महानगर नई दिल्ली रविवार 3 नवंबर, 2019, रु. 5.00 (14 + 4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

हल्की बारिश और हवा ने प्रदूषण से दी कुछ राहत

लेकिन एक्यूआइ अब भी गंभीर स्तर पर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

देश की राजधानी और आसपास के शहरों में हवा की रफ्तार बढ़ने और शाम को हल्की बारिश से जहरीली धुंध से शनिवार को लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि एक्यूआइ का स्तर अभी भी गंभीर है। शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) रात आठ बजे 402 रहा जो शुक्रवार शाम चार बजे 561 तक पहुंच गया था। बाकी पेज 8 पर

मुख्यमंत्रियों ने कहा, संयुक्त योजना बने

नई दिल्ली/ चंडीगढ़, 2 नवंबर (भाषा)।

दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने शनिवार को केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप करने और संबंधित राज्यों से मिलकर इस स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त योजना लागू करने की मांग की। बाकी पेज 8 पर

अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

आतंक की बड़ी वजह खत्म की

बैंकाक में आयोजित 'स्वास्दी मोदी' कार्यक्रम में भारतवंशियों को संबोधन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए 'हाउडी मोदी' के तर्ज पर शनिवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकाक के निमिबुत्र स्टेडियम में आयोजित 'स्वास्दी मोदी' (थाई भाषा में स्वास्दी का अर्थ अभिवादन) कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवंशियों को संबोधित किया। इस मौके पर अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है। भारत ने आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का काम कर लिया है।' प्रधानमंत्री ने इस मौके पर नौ नवंबर को करतारपुर साहिब गलियारे के उद्घाटन कार्यक्रम की जानकारी साझा की।

अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'अब हम उन लक्ष्यों के हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, जो कभी असंभव लगते थे। सोच भी नहीं सकते थे। मानकर चलते थे कि यह तो हो ही नहीं सकता। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का काम भारत ने कर लिया है। पता है क्या किया? क्या किया? थाईलैंड में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को पता है क्या किया। जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है तो उसकी गूंज दुनियाभर में सुनाई देती है और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पिछले पांच साल में हुए बदलावों की वजह से जनता ने इस बार मेरी सरकार को बड़ा जनादेश दिया। 60 साल में यह पहली बार हुआ है। भारत सरकार की पिछली पांच साल की उपलब्धियों से दुनिया भर में भारतीय मूल के लोग गर्व कर रहे हैं। वे गर्व से बताते हैं कि हम भारतीय मूल के हैं। प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को छठ पर्व की भी बधाई और बाकी पेज 8 पर

बैंकाक में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते भारतीय समुदाय के लोग।

370 पर फैसले की गूंज पूरी दुनिया में

प्रधानमंत्री ने कहा, जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है तो उसकी गूंज दुनियाभर में सुनाई देती है, आज थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है

पिछले पांच साल में भारत ने इतनी तरक्की की है कि दुनिया भर में भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ, वे गर्व से बताते हैं कि हम भारतीय मूल के हैं

'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' में भारत के हितों पर जोर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

बहु-प्रतीक्षित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत के अंतिम दौर में पहुंचने के बीच सबकी निगाहें भारत की ओर लगी हैं कि क्या वह 16-एशिया प्रशांत देशों से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक बाकी पेज 8 पर

आरसीईपी से अर्थव्यवस्था को होगा बड़ा नुकसान : सोनिया

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती और क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते (आरसीईपी) को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार आरसीईपी के माध्यम से पहले ही बुरी बाकी पेज 8 पर

तीसहजारी अदालत में भिड़े वकील और पुलिस

पुलिस की जिप्सी फूंकी, गोलीबारी में दो वकील घायल

शनिवार को पुलिसकर्मियों और वकीलों में झड़प के दौरान आग की लपटों में घिरा पुलिस वाहन।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

तीस हजारी अदालत परिसर में शनिवार दोपहर मामूली कहासुनी ने वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया। इस दौरान एक पुलिस जिप्सी फूंक दी गई और आठ अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। झड़प के दौरान पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली वकील विजय वर्मा की छाती पर लगी। वहीं, एक अन्य गोली वकील रंजीत सिंह मलिक के हाथ में लगी। इसके अलावा एक वकील का पैर टूट गया। घटना के बाद सभी को पास के सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां विजय वर्मा का आइसीयू में इलाज चल रहा है। वहीं झड़प में दस पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनमें एसीपी हरिंदर कुमार, दो थाना अध्यक्ष और उपायुक्त का आपरेटर शामिल है।

झड़प के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मियों को भी पहुंची चोटें

शुरुआत में पता चला है कि झड़पों में स्थानीय थाना प्रभारी और जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी चोटें पहुंची हैं। सूचना मिलने पर जिला पुलिस उपायुक्त समेत आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पर यह विवाद करीब दो-तीन घंटे तक चलता रहा।

देर शाम को दिल्ली बाकी पेज 8 पर

हरियाणा कांग्रेस में खींचतान पर विराम

हुड्डा को बनाया विधायक दल का नेता

चंडीगढ़, 2 नवंबर (जनसत्ता)।

कांग्रेस विधायक दल एवं नेता विपक्ष को लेकर चल रही खींचतान पर शनिवार को विराम लग गया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सहमति जताते हुए उन्हें कांग्रेस विधायक दल के नेता का ओहदा सौंपा। पार्टी महासचिव व हरियाणा मामलों के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में यह घोषणा की। आजाद ने बताया कि शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में नेता नियुक्त करने संबंधी निर्णय सोनिया गांधी पर छोड़ा गया था। पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने सोनिया को रिपोर्ट दी जिसके बाद उन्होंने हुड्डा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया। 31 विधायकों वाली कांग्रेस के सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते हुड्डा को अब विधानसभा में विपक्ष के नेता का भी दर्जा मिलेगा। यानी हुड्डा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और विधानसभा में दफ्तर भी आबंटित होगा।

हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अप्रत्याशित बाकी पेज 8 पर

विधानसभा में भी अब विपक्ष के नेता होंगे हुड्डा, मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा और विधानसभा में दफ्तर

विधायकों की बैठक में कोई फैसला नहीं होने के कारण विधायकों ने सोनिया को फैसले के लिए अधिकृत किया था

भारत के नए नक्शे में पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद सरकार द्वारा जारी नए नक्शों में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है।

गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का भाग

गृह मंत्रालय ने भी एक अधिसूचना में भारत का नया नक्शा जारी किया है जिसमें दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। इसमें पीओके की बाकी पेज 8 पर

रविवारी
3 नवंबर, 2019

रोशनी की मीनारें
समुद्री यात्राओं में दिशा-बोध और किनारों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होती है, वरना रास्ता भटकने का खतरा होता है। ऐसे में लाइट हाउसों यानी रोशनी की मीनारों की अहम भूमिका होती है। उससे नाविकों को किनारों का पता चलता है। लाइट हाउसों के बारे में बता रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।

• कहानी/ राजेश झरपुरे • विमर्श/ रामप्रकाश कुशवाहा • योग दर्शन/ डॉ वरुण वीर • शख्सियत/ चितरंजन दास • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

पारंपरिक परिधानों में इतरा कर चलें • दीप्ति अंगरीश
• कविता/ सूर्यकुमार पांडेय • कहानी/ संतोष उत्सुक

सिद्धू ने करतारपुर साहिब जाने के लिए मांगी मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

भारत और पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गलियारे के उद्घाटन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को भी निमंत्रण भेजा है। सिद्धू ने पाकिस्तान में आयोजित गलियारे के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर अनुमति मांगी। पिछले साल अगस्त में सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था।

पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के न्योते का जिक्र करते हुए जयशंकर और अमरिंदर को लिखा पत्र

विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे अपने पत्र में सिद्धू ने कहा बाकी पेज 8 पर

संरा सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चर्चा नहीं होगी : पीयर्स

संयुक्त राष्ट्र, 2 नवंबर (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस महीने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। संरा में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि और नवंबर के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष केरन पीयर्स ने यह जानकारी दी। पीयर्स ने कहा कि दुनिया में कई और मुद्दे चल रहे हैं।

ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि और नवंबर के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष पीयर्स ने कहा कि दुनिया में कई और मुद्दे चल रहे हैं।

ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की इस 15 सदस्यीय प्रमुख संस्था की अध्यक्षता संभालने के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, 'नहीं, कश्मीर के लिए हमारे पास कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है।' एक सीरियाई पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या ब्रिटेन के परिषद की अध्यक्षता के दौरान कश्मीर पर कोई बैठक या चर्चा निर्धारित है? पीयर्स ने कहा, 'दुनिया में कई मामले चल रहे हैं और हर महीने अध्यक्ष उनमें से कुछ मुद्दों को चुनते हैं जो सुरक्षा परिषद के कामकाज में नियमित रूप से सूचीबद्ध नहीं होते हैं।' उन्होंने कहा, 'हमने कश्मीर को नहीं चुना है क्योंकि सुरक्षा परिषद ने हाल में इस पर चर्चा की थी और सुरक्षा परिषद के किसी अन्य सदस्य ने हमसे बैठक निर्धारित करने को नहीं कहा है।' बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता बारादरी

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है कि दिल्ली में जितना विकास हुआ है वह कांग्रेस और शीला दीक्षित की देन है। उन्होंने कहा कि हम हारे हैं पर हताश नहीं हैं। उनका दावा है कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच दिखेगी।
पेज 7 पर

दरअसल

खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होंगी स्थितियां

क्रिकेट : 20-20

दो साल पहले ऐसे ही हालात में श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ

दमघोंटू धुंध में दमखम दिखाने उतरेंगे भारत-बांग्लादेश

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

'दमघोंटू धुंध' के बीच भारत और बांग्लादेश तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला का पहला मैच रविवार को फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेलने उतरेंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक आठ टी-20 मैच हुए हैं जिसमें सभी में भारत ने जीत दर्ज की है। नियमित कप्तान विराट कोहली को विश्राम दिए जाने के बाद रोहित शर्मा टीम की अगुआई करेंगे। उधर, बांग्लादेश को शाकिब अल हसन की बड़ी कमी खलेगी, जिन्हें भ्रष्ट संपर्क की सूचना नहीं देने के कारण आइसीसी ने दो साल के लिए निलंबित कर रखा है।

शनिवार को अभ्यास के दौरान मास्क पहने हुए बांग्लादेशी क्रिकेटर

दोनों देशों के क्रिकेटरों को भरोसा है कि वे इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में सफल रहेंगे।

बांग्लादेश के कोच रसेल डोमिंगो साफ कर चुके हैं कि उनके खिलाड़ियों के लिए यह मसला नहीं है भले उनकी टीम मास्क लगाकर अभ्यास कर रही थी।

भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने कहा कि एक बार मैदान पर उतरने के बाद यह कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली-एनसीआर में जन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा भी की है। लेकिन पूर्व के कटु अनुभवों के बावजूद बीसीसीआइ की रोटेशन नीति के तहत फिरोजशाह कोटला को मिला यह मैच आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ दो साल पहले इसी तरह की परिस्थितियों में यहां टैस्ट मैच खेला गया था और तब श्रीलंकाई ही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों को भी बाकी पेज 8 पर

महिला व पुरुष हॉकी टीमों ने कटाया ओलंपिक का टिकट

भुवनेश्वर, 2 नवंबर (भाषा)।

ओलंपिक में आठ बार के हॉकी चैंपियन भारत ने एफआइएच पुरुष क्वालीफायर्स के दूसरे मैच में रूस को 7-1 से हराकर अगले साल तोक्यो में होने वाले खेलों के लिए क्वालीफाई किया। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी जीत दर्ज करके ओलंपिक खेलों में अपनी जगह पक्की की। – विस्तृत खबर पेज 14 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

Service No.2894333 Hav. Kailash Chander Sati S/o Narain Dutt Sati R/o RZ/C-25, VinodPuri, Vijay-Enclave, Palam, New Delhi-110045 that inaduertantly in my army service record my wife name has been wrongly written as Kamla Sharma instead of Kamla Sati,which may be amended accordingly. 0040518273-3

It is for general information that I, SARBHJEET SINGH, S/o SHRI GURNAM SINGH, residing at B-45/D, Shivangi Kunj, Opposite BG-1, Paschim Vihar, New Delhi-110063 inform that name of mine has been wrongly written as SARABHJEET SINGH SODHI. The actual name of mine is SARBHJEET SINGH which may be amended accordingly. 0040518220-1

I, hitherto known as Akhtar Raj S/o-Shaikh Mohammad Mustafa R/o-6/22,First Floor,Shanti Niketan,Roop Nagar Delhi-07,have changed my name and shall hereafter be known as Aashiq Shaikh. 0040518227-1

I, Vivek Dhoundiyal, S/O Sh.Bachhi Ram Dhoundiyal R/O-JG-II/14, Vikaspuri, New Delhi-110018,Have Changed My Name,From Vivek Dhoundyal To New Name Vivek Dhoundiyal.,For All Further Purpose. 0040518339-1

I, Vikash Kumar S/o Sh.Mithan Singh R/o-H.No.182, near-Hari-Chowk, Deoli, New-Delhi-110062, have changed my name to Vikas Singh for all purposes. 0040518265-9

I, Vijay Kumar S/o Late Jagbir Singh Saini R/o 163A/4, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi-110017 have changed my name to Vijay Kumar Saini. 0040518265-7

I, Valiur Rehman S/o Bilat R/o-B-242, Nehru Camp, Govind puri, Kalkaji, Delhi-110019, have changed my name to Wali ur Rahman. 0040518273-1

I, Suneel Kumar, S/O Samman Ram R/O-205, Street No-6, New Lahore Colony, Shastri Nagar, Delhi-110031. Changed My Name To Sunil Kumar. 0040518307-5

I, Veer Shekhar S/o Ranbir Singh R/o- 240 Holambi-Khurd Delhi-110082 have changed my name to Veer Shekhar Mann 0040518307-1

I, Sumita Maharaniya W/o Sanjay Sagar R/o-1/4316 RamNagar-extension Shahdara Delhi-32,have changed my name and shall hareafter be known as SUMITA SAGAR,for all future purpose. 0040518339-3

I, Suman D/o Om Prakash R/o-97, Chara Mandi, Near-Rakhi Market, Zakhira, N.Delhi-110015 have changed my name to Suman Bharti permanently. 0040518259-4

I, Suhail s/o Mohd.Salim R/o-11/12, Gali No.2, West Laxmi-Market, Khureji, Krishna Nagar, Delhi-110051,have changed my name to Mohd.Suhail, for all future purposes. 0040518273-6

I, Shri Pal Singh S/o Shri.Bani Singh R/o 645, Gali No.2/2 Left Dev-Colony, Rohtak, Haryana inform that my name has been mentioned as Shri Pal and Shripal Dhankhar in my tenth mark sheet and Bank Account respectively, My actual name is Shri Pal Singh.,for all future purposes. 0040518307-4

I, Shivani D/o Ashok Kumar R/o D-30, Amar Colony, Nangloi, New Delhi-110041 have changed my name to Shiwani permanently. 0040518259-2

I, Sharanjit Kaur W/o Parminder Singh R/o-J-11/130 (G.F.) Rajouri-Garden, New Delhi, have change my name to Saranjeet Kaur. 0040518265-3

I, Sarita Devi D/o Sh.Narayan Choudhary R/o-C-128, New Ashok-Nagar, Delhi-110096, have changed my name to Sarita Choudhary, for all purposes. 0040518273-2

I, Santosh Kaur W/o Surender Singh Sehmi R/o-A-73, Block-A, Jhilmil Colony, Delhi-110095, have changed my name to Santosh Kaur Sehmi. 0040518259-6

I, Sanjiv Kumar S/o Sh. Shyoraj Singh R/o 144,03, Shakti Vihar, East Dayal Pur, Delhi -94, informs that in 10th class schoolmark sheet my name is written as Sanjeev Kumar however, SanjivKumar and Sanjeev Kumar both are same person & my correct name is Sanjiv Kumar for all future purposes. 0040518251-1

I, Gurdeep Gulati S/O Sardul Singh Gulati, R/O Ba/300, Tagore Garden, New Delhi-110027., changed My Name To Gurdeep Singh Gulati. 0040518307-7

I, Devender Kumar S/o Mishri Lal R/o-75, AB-Extension, Sultanpuri, Delhi-86, have changed my minor son's name Pushker to Aarush. 0040518259-3

I, Ayesha Singh w/o Manish Bhatia Address: 158-159 pocket-20 sector-24, Rohini, Delhi-110085, change my name to Ayesha Singh Bhatia. 0040518265-2

व्यक्तिगत

I, S. GANESAN S/o-682452N, Ex-Jwo,G. Sivaraman R/o-H-305,JM Orchid Apartments, Sector-76, Noida:-201301, (UP),have changed my name from S. GANESAN to SIVARAMAN GANESAN vide affidavit:-dated-02/11/2019 at Noida. 0040518227-2

I, Ranjana Rani W/o-Kuldeep Singh R/o: C3A/374, Janak puri, New Delhi-58 Have Changed My Name Name to Ranjana Singh. 0040518265-4

I, Priyanka Garg D/o Praveen Garg W/o Vishal Mittal R/o-385 Gagan-Vihar Delhi-110051, have changed my name to Priyanka Mittal for all purposes. 0040518265-8

I, Pratibha Dhiman D/o Jagmohan Gupta R/o Flat-No.304/B4, RPS-Savana, Neharpar, Sector-88, Kherikalan(113), Faridabad, Haryana-121002 have changed my name to Pratibha Gupta. 0040518259-1

I, Parwati W/O Pawan Kumar Gupta R/O-C-48-B, Street No-8, Bhagat Singh Marg, Shalimar-Bagh Village, Delhi-110088, Changed my name to Parul Gupta. 0040518273-4

I, Paramjeet Kaur Kamboj W/o Anmoljit Singh Kamboj R/o-7/2, Ground-Floor, Sector-5, Rajender-Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, have changed my name to Paramjit Kaur. 0040518265-6

I, Pankaj Kumari D/o Sh. Mohinder Singh R/o Kothi No.2, Bijali Cottage, Derawal Nagar, Model Town II, North West Delhi – 110009 have changed my name to Pankaj Thakur. 0070681466-1

I, Sejal D/o Kishan Chand R/o-A-215 Street-4, Rama-Garden Karawal Nagar Delhi-110094 have changed my name to Sejal Kaushal Permanently. 0040518339-4

I, Nimmi W/o Puran Singh R/o 631, Lodhi Road Complex Central Delhi-110003 have changed my name to Nirmala for all purposes. 0040518256-1

I, Naveen Chandra Tewari/ Naveen Tiwari S/O Tara Dutt Tewari R/O B-23d, Gangotri Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019. Changed My Name To Naveen Tewari. 0040518307-8

I, Mumtaz Ali Sunni S/o Kutbuddin R/o-H.No.B-181 Street No.20, Mansingh Nagar, Mustafabad Delhi-110094, have changed my name to Mumtaj Ali for all purposes. 0040518265-10

I, Mohammad Imran Latif S/o Mohammad Abdul Latif, R/o 117/16 Hata Suleman Qadar, Molviganj, Lucknow inform that in my Passport No. F1350791 my name is wrongly written as Imran Latif. The correct name is Mohammad Imran Latif. 0060070535-2

I, Manmeet Gulati W/O Gurdeep Singh Gulati R/O-Ba/300, Tagore Garden, New Delhi-110027., changed My Name To Manmeet Kaur Gulati. 0040518307-6

I, Manish Goel S/o Satpal R/o-157, Swastik-Kunj Appartment, Sector-13, Rohini, Delhi-110085. have changed my name to Manish Kumar 0040518307-2

I, Mangala D Babbar W/o Gautam Babbar R/o 002, Cape Town Tower Nri City Sector Omega-2, Greater Noida-201310, have changed my name to Mangala Babbar for all purposes. 0040518219-1

I, Mamta Bala W/O Shri Sanjay Kakkar R/O B-3/245-271, First Floor, Sector-6 Rohini Delhi-110085, have changed my name to Mamta Kakkar. 0070681505-1

I, Lovneesh Verma S/O Anil Kumar Verma R/O S-117, School Block, Shakarpur, Delhi-110092., Changed My Name To Lovenish Verma. 0040518339-2

I, Lata D/o Narender Kumar R/o 2109/5 Church Compound, Turkman Gate, New Delhi-110002, have changed my name to Florence John after my marriage for all purposes. 0040518222-1

I, Jyoti W/o-Tarun Bisht R/o:D2A/17D,Janakpuri, New Dehi-58 Have Changed My Name to Jyoti Bisht for all Purposes. 0040518265-5

I, Jyoti Dua W/o Sanjay Jaggi R/o J-11/29, FF, Rajouri-Garden Delhi-27 have changed my name to Jyoti Jaggi. 0040518265-1

I, Jasvinder Kaur W/o,Arvinder Singh Sehmi R/o B-4, S-4, Ramprastha Colony, Chander-Vihar, Ghaziabad, U.P.-201011,have changed my name to Jasvinder Kaur Sehmi. 0040518259-5

I, Jagdeep Sahrawat S/o Jagat Singh Sahrawat R/o-FF,19, Street-F4, F-Block, Vatika-India Next, Sector-82, Gurugram(Haryana)122004, have changed my name to Jagdeep. 0040518273-5

I Anil Aggarwal S/o Sh.Bhagwan Dass Aggarwal R/o 4675-B/21, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 have changed my name to Aneel Aggarwall for all purposes. 0040518212-1

I, Shivam Sharma S/o Sunil Dutt Vashisth R/o H.No.-159, Gali No.-7 Vill-Nithari, Sector-31 U.P.-201301 do hereby solemnly inform that my father's name is Wrongly mentioned in my class 10th certificate as Sunil Dutt Vishisth instead of Sunil Dutt Vashisth. Both are one and same person 0040518261-1

I, Chinkey Sinha W/o Sh.Sanjay Kumar R/o-A-49A,Tranjit Camp,Tikri Khurd, Delhi-110040,have changed my name to Chinki Devi for all future purposes. 0040518227-4

I, Avishek Kochar S/o Pratap Kochar R/o-Flat No.15B, Tower No.C, Central-Park-2, Sec-48, Sohna-Road, Gurugram (Haryana),have changed my minor daughter's name from Tavshee Kochar to Tavishee Kochar. 0040518307-3

I, Ranju Chawla W/o-Satish Kumar Chawla R/o.House.No. 421/10, Near-Durga Mandir, Chhattarpur,New Delhi-74, inform that Ranju Chawla and Ranju Bala both name are same person. 0040518094-3

खोया+पाया

मैं, श्री अरविन्द कुमार सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह सूचित करता हूँ कि मेरे द्वारा क्रय किए गए मकान संख्या ए–32 रेलनगर, लखनऊ, का लखनऊ, विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्गत आवंटन पत्र खो गया है।

I, MOHIT Kumar S/o Mukesh kumar R/o-Rc-61 sangam-Park khora colony Gzb.have lost my original certificate class-10th (2014) Rollno-8606120 class-12th (2016) Rollno-0098133 CBSE-Delhi 0040518273-9

I, ROHIT Kumar S/o Ramesh chand R/O-B-83 B-block Amar-colony gokalpur Delhi-94 have lost my original certificate class-10th year-2011 Rollno-8640720 CBSE-Delhi. 0040518273-10

I, Veena Manchanda W/o Ashok Kumar Manchanda R/o-594 Bhai Parmanand-Colony Delhi-110009, have lost my Allotment-Letter, Possition-Letter And Demolation Slip Of Property Number 594 Bhai Parmanand Colony Delhi-110009. 0040518307-9

It's notified for the information that my original Qualifying Examination Certificates of Secondary Examination-1998 RollNo.6126314 & Senior Secondary Examination Year-2000 RollNo.6219419 issued by CBSE have lost. Kumsi Bhatia D/o, Malvinder Singh R/o-J-196, Top-Floor, Rajouri Garden, N.Delhi-110027. 0040518259-7

I, Divya kumari thakur D/O-Shatrujeet thakur R/O h.no-25 st.no-9 shastri-park extension buradi delhi-84 have lost my original certificate class-12th year-2017 Rollno-9654853 CBSE- Delhi. 0040518273-8

I, KUNAL S/o Parveen R/o S.R.S peera garhi-village N.D-87 have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8337068 CBSE- Delhi. 0040518273-11

खोया पाया

जनता को यह सूचित किया जाता है कि **कल्याणी कॉमर्शियल्स लिमिटेड** (सीआईएन: L65923DL1985PLC021453) जिसका पंजीकृत कार्यालय बीजी–223, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जीटी करनाल रोड, दिल्ली– 110042 में स्थित है, भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीआरओ) द्वारा जारी 2 जून, 1998 को पंजीकरण संख्या 14.00928 का एनबीएफसी प्रमाणपत्र खो दिया है। यदि किसी को मिले तो कृपया इसे कंपनी को वापस कर दें। जनता को इसके किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रमाण पात्र के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी जाती है।

रिक्त स्थान

REQUIREMENT
Faculty for
B.ED., B.A & B.Com
Eligibility & Salary as per U.G.C./U.P. Govt/ University Norms
Apply with photograph & Testimonials within 7 days
To Secretary
Milestone Institute of Professional Studies
(Approved by NCTE, & Affiliated to C.C.S. University, Meerut)
6km, Delhi - Meerut Road, Morta, Ghaziabad (U.P.)
Contact : 9891537836
9810949944

अदालती सूचना

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
In the court of Sanjiv Jain Judge Family Court, South East District, Saket, Delhi
Suit No. HMA-828/18
Lata Vishwakarma, W/o Sh. Shri Ram D/o Sh. Bhagwan Das Vishwakarma R/o House No. 128, Hari Nagar,Ashram, New Delhi - 110014. ....Plaintiff
Against Shri Shri Ram S/o Sh. Hari Dass, R/o House No. 674, 6 Tooti Chowk, Paharganj, New Delhi-110001 ....Defenant
To, Shri Shri Ram S/o Sh. Hari Dass, R/o House No. 674, 6 Tooti Chowk, Paharganj, New Delhi-110001.
Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified That if you shall not defend the case on the 05 day December 2019 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court, this 22 day of October 2019.
S/d. Sanjiv Jain, Judge Family Court South East District, Saket, Delhi
Seal Date:22/10/2109

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल [illegible] दिल्ली–35 ने अपने पुत्र नवरंग व उसकी पत्नी संगीता को उनके उचित पान पालन, [illegible] व अशिष्टता होने के कारण उनसे अपने सारोकार बिल्कुल खत्म करते हुए उन्हें अपनी [illegible] व अचल सम्पत्ति से बेदखल के लिए बेदखल कर दिया है। अतः उनके (नवरंग व संगीता) के किसी कार्य व्यवहार के प्रति मेरा मुवक्किल व परिवार के अन्य सदस्य जिम्मेदार नहीं होंगे।
के. के. कौशिक (अधिवक्ता)
चै.नं. [illegible] रोहिणी कोर्ट, दिल्ली–85

सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक रूप से समस्त लोगों को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री बिजई राम पुत्र स्व. श्री नवरंगी राम एवं श्रीमती मंती देवी पत्नी श्री बिजई राम, मकान न. सी–10/20 दयालपुर, पुस्ता रोड, दिल्ली–94 के निवासी हैं। उन्होंने अपने पुत्रों 1. संत कुमार और उसकी पत्नी श्रीमती सरिता 2. दीप कुमार और उसकी पत्नी श्रीमती सुनीता को उनके अपमान जनक और अभद्र व्यवहार के कारण उनको अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति से पूर्णतया बेदखल करते हैं। यदि कोई उनसे मेरे मुवक्किल की किसी भी संपत्ति के बाबत कोई व्यवहार या लेनदेन करता है तो उसका वह व्यक्ति स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। मेरे मुवक्किल ऐसे किसी लेन देन के लिए उत्तरदायी नही होंगे।
Sd/-
Ghanshyam & Associates
Advocates & Solicitors.
Ch. No. 1509, Lawyers Chamber Block, Rohini Court Complex, Delhi

सार्वजनिक सूचना
मेरे मुवक्किल राजेन्दर कुमार जैन पुत्र श्री सुल्तान सिंह व इनकी पत्नी रेखा निवासी– म.–6/132, लोधी मौहल्ला, फर्श बाजार शाहदरा दिल्ली–32 ने अपने पुत्र आयुष जैन को उसके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सभी संबंध विच्छेद कर दिए हैं। उसके किसी भी लेन–देन व कृत्य के लिये मेरे मुवक्किल व उसके परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं होगा।
अधिवक्ता
अनुज जैन (एडवोकेट)
एनरोलमेंट नम्बर–डी. 1349/2012

सार्वजनिक सूचना
मेरे मुवक्किल श्री बाल किशन गर्ग पुत्र श्री मुरारी लाल गर्ग व उनकी पत्नी श्रीमती आशा गर्ग निवासी म. नं. ए–56, मजलिस पार्क, आदर्श नगर, दिल्ली–33, ने अपने पुत्र कमल गर्ग उर्फ कमल गुप्ता व उसकी पत्नी श्रीमती स्वाती गर्ग उर्फ स्वाती गोयल को उनके दुर्व्यवहार के कारण उन्हे अपनी सभी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है जोकि मेरे मुवक्किल के परिवार से लगभग पिछले 1½ वर्षों से अलग रह रहे हैं। जोकि मेरे मुवक्किलगण का इनके किसी भी कृत कार्यों से लेन देन आदि नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इनसे व्यवहार आदि करता है तो उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
Sd/-
DINESH TRIPATHI
ADVOCATE

PUBLIC NOTICE
It is general information that I Uday Shankar S/o Narayana Swamy residing at 5203 ATS Greens-2 Sector-50 Noida, Gautam Budh Nagar, UP, 201301 declare that name of mine and my father has been wrongly written as M Udayshankar and M S Narayanswamy in educational documents. The actual name of mine and my father is Uday Shankar and Narayana Swamy respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE
"Public at large is hereby informed that my client Mohd. Shafi, son of late Ahmed Ali, 9175, Gali Zameer Wali, Nawab Ganj, Azad Market, Delhi have severed his relations with his son Arif and his wife Shaheen Parveen. My client has disowned and debarred them from all his movable and immovable properties, whatsoever and wheresoever situated in their name. My client will not be responsible for any act and conduct of the said persons and if anybody deals with them shall be doing so at their own risks, consequences and responsibilities.
RAJESH DHANKHAR
(Advocate)
Ch.No. 786, 1st Floor, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE
This is for information of general public that my Client Smt. Charanjeet Kaur Matharu W/o Gurmeet Singh Matharu R/o F-107, Vishna Garden, New Delhi-110018 has detained & disowned her son Gayan Singh Matharu & daughter-in-Law Maninder Kaur from all her movable & immovable properties because they are out of control of my client. Anybody dealing with them shall do so at his own risk & responsibility
Adv. Virender Kumar
227, Authority Building, Janakpuri

PUBLIC NOTICE
It is general information that I Kamalika Dutta Deb Krori W/o Sudip Dutta residing at A-106A, Sector-27, Noida, Gautam Budh Nagar, UP, 201301 declare that name of mine has been wrongly written as Kamalika Dutta in my Passport. The actual name of mine is Kamalika Dutta Deb Krori respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE
I, Malshri Singh Malik W/o Mahinder Singh Malik, residing at Flat No. 6072, Sector-B, Pocket-8 Vasant Kunj, New Delhi-110070 declare that my maiden name is MALSHRI SINGH Alias MOLLY and my Date of Birth is 30 MAY 1958 as per my Higher Secondary School Certificate. After marriage on 29 June 1980, my correct name is Malshri Singh Malik. That Molly Singh, Molly Malik, Malshri Singh, and Malshri Singh Malik is one and the same person who is me.

सार्वजनिक सूचना
[illegible] श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी मकान नं. डी–[illegible] [illegible] कि वह दुर्व्यवहार करते तथा निरंतर [illegible] के कारण उनसे अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुए उन्हें अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। परिणाम में मेरा व मेरे परिवार का उनसे [illegible] से कोई भी संबंध नहीं है और उनसे संबंध कोई भी किसी भी तरह का लेन–देन या संबंध स्थापित करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उनके किसी भी कृत्य के लिए मेरा मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होगा।
भूपत [illegible] (अधिवक्ता)
चै.नं. 610, [illegible] कोर्ट, दिल्ली–17

PUBLIC NOTICE
Be it known to all that my client Sh. Vinod Kumar S/o Late Suraj Prakash R/o H. No. 4288, Main Bazar Pahar Ganj, New Delhi-110055, have inherited the property No. 550-551, Ground Floor, Gali Ghosain, Pahar Ganj, New Delhi-110055 by virtue of the WILL dated 13.01.2017 Smt. Shanti Devi W/o Late Sh. Suraj Prakash R/o H. No. 4288, Main Bazar Pahar Ganj, New Delhi-110055, who died on 31.01.2017 with right to enjoy property and deal with same and get the same transferred in my name as the exclusive owner. Any person having any objection may contact on mobile number 09990127539 within three days.
Suresh Choudhary, Advocate
Ch. No. 320, Patiala House Courts, New Delhi-01
M. No. 9891984826

रबड़ स्टांप प्रशासक नहीं हूं : बेदी

नई दिल्ली/पुडुचेरी, 2 नवंबर (भाषा)।

पुडुचेरी की उपप्रशासक किरण बेदी ने मुख्यमंत्री वी नारायणसामी द्वारा उन्हें 'राक्षस' कहे जाने के बाद शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे कोई 'रबड़ स्टांप प्रशासक हैं, जिसका काम सिर्फ हस्ताक्षर करना है।'

उन्होंने बताया, 'मुख्यमंत्री एक प्रशासक को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो मामला–दर–मामला के आधार पर उन्हें भेजी जाने वाली फाइलों पर अपने विवेक का इस्तेमाल करती है।' उन्होंने कहा, 'अगर आप उपप्रशासक से किसी बात पर स्वीकृति चाहते हैं तो आप पहले से ही स्वयं निर्णय नहीं कर सकते हैं। फाइल को अच्छी तरह देखने के दौरान मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगी और वे मुझे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मैं इस पर अपने आप हस्ताक्षर कर दूंगी।' बेदी ने खुद को 'राक्षस' कहे जाने के विरोध में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के खिलाफ हमला जारी रखते हुए शनिवार को कहा, 'मुख्यमंत्री 'असली राक्षसों' को नहीं पहचानते, अगर वे चाहें तो असली राक्षसों को पहचानने में मैं उनकी मदद करूंगी।' उन्होंने आरोप लगाया कि पुडुचेरी में जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला है तब से कांग्रेस सरकार उन्हें अपने इशारे पर चलाना चाहती है।

उन्होंने कहा, 'मुझसे उनकी जो उम्मीदें थीं शुरू से ही वो उनके उलट रहीं। हो सकता है वे इसके उलट व्यवहार के आदी रहे हों।' उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उन्हें यह अहसास दिलाया कि वह कोई 'रबड़ स्टांप प्रशासक नहीं हो सकतीं जो सिर्फ हस्ताक्षर करे', तब उन्होंने उनके खिलाफ 'अशोभनीय, असभ्य और अपमानजनक' भाषा का

पुडुचेरी की उपप्रशासक किरण बेदी ने कहा कि एक प्रशासक को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री नारायणसामी।

इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

बेदी ने कहा कि इस मुद्दे को वह अपनी मासिक रिपोर्ट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के सामने उठाएंगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनके राजनीतिक विरोधी उनके खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी कर रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं और उनकी अशोभनीय कैरिकेचर बना कर प्रदर्शित कर रहे हैं। वह इससे पहले भी केंद्र और उसके कैबिनेट सहयोगियों से नारायणसामी के खिलाफ शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। बेदी ने कहा, 'एक तरफ कांग्रेस सरकार पुडुचेरी के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ वे संवैधानिक प्रावधानों के तहत मौजूदा उपप्रशासक को मिले अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को स्वीकारना नहीं चाहते हैं।' उन्होंने कहा, 'केंद्र प्रशासित क्षेत्र अधिनियम और व्यापार एवं वित्तीय शक्तियां नियम के तहत मेरे पद के लिए निहित अधिकारियों और जिम्मेदारियों के साथ मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करती रहूंगी।' उन्होंने कहा कि वह उनके (नारायणसामी के) 'दुर्व्यवहार के बजाय अपने काम पर कहीं अधिक ध्यान' देती हैं।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 'राक्षस' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए वह उनकी इस टिप्पणी को 'असंसदीय, असभ्य, अनुचित, अशोभनीय और अस्वीकार्य' बता चुकी हैं। अपने वाट्सऐप संदेश में उन्होंने नारायणसामी से केंद्र प्रशासित क्षेत्र में जमीन हथियाने वाले और रंगदारी वसूलने वालों के रूप में मौजूद कई 'असली राक्षसों' की पहचान करने को कहा। उन्होंने कहा कि इन राक्षसों को गुंडा भी कहा जाता है और अब इन पर पुलिस की नजर है। उन्होंने पुडुचेरी के पुलिस महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव द्वारा ऐसे राक्षसों की हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश को रेखांकित किया।

कांग्रेस ने येदियुरप्पा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

कांग्रेस ने कुछ कथित वीडियो का हवाला देते हुए शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर विधायकों की खरीद–फरोख्त करने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले दिनों में कांग्रेस इन 'नए साक्ष्यों' के साथ शीर्ष अदालत का रुख भी करेगी।

येदियुरप्पा के खिलाफ कांग्रेस के इस आरोप पर फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि येदियुरप्पा के नए वीडियो सामने आए हैं जिनमें कांग्रेस और जद (सेकु) विधायकों की खरीद–फरोख्त की बात हो रही है। हम कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के तहत भाजपा विरोधी विधायकों को खरीदने और विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए सरकारी एजंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब येदियुरप्पा के वीडियो से यह सिद्ध भी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फैसला बगावत करने वाले विधायकों के पक्ष में होगा और वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या उनको यह भरोसा है कि वे सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग कर सकते हैं?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। हम भी ताजा सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। देश के लोग भी इनसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं।

चिन्मयानंद मामले में आश्रम के पास नाले से मिला पीड़िता का पर्स

शाहजहांपुर, 2 नवंबर (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मुमुक्षु आश्रम के पास एक नाले में खोज के दौरान पीड़िता का पर्स बरामद किया। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अब एसआइटी को उस चश्मे की तलाश है जिसमें लगे जासूसी कैमरे की मदद से पीड़िता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की मालिश करते हुए वीडियो बनाया था।

एसआइटी सूत्रों ने बताया कि पीड़िता ने जिस चश्मे की मदद से वीडियो बनाया था, वह चश्मा छात्रा के हॉस्टल से नहीं मिला। इस चश्मे को अहम सबूत मान रही एसआइटी के एक दल ने आज सुबह मुमुक्षु आश्रम के पास नाले में स्थानीय पुलिस और मजदूरों की मदद से खोज की। खोज के दौरान नाले में पीड़िता का पर्स मिला लेकिन चश्मा अभी तक नहीं मिल पाया है। चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर आठ नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस होनी है। अदालत ने एसआइटी से सात नवंबर तक जवाब मांगा है। पीड़िता के पिता और मां से कल शुक्रवार को दोपहर से देर शाम तक एसआइटी ने लंबी पूछताछ की थी।

वाट्सऐप स्पाईवेयर : हैदराबाद के वकील का भी नंबर हैक

हैदराबाद, 2 नवंबर (भाषा)।

हैदराबाद शहर के एक नागरिक अधिकार अधिवक्ता को पेगासस द्वारा निशाना बनाया गया जिसने पूरी दुनिया में 1400 नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को शिकार बनाया है।

बी. रवींद्रनाथ ने कहा कि उन्हें सात अक्टूबर से उनके वाट्सऐप पर एक अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर से संदेश मिलने शुरू हुए थे जिसमें दावा किया गया था कि यह कनाडा स्थित सिटिजंस लैब्स से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले कह रहे थे कि वे हकिंग पर एक सर्वेक्षण कर रहे हैं जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।

रवींद्रनाथ ने कहा, 'मैंने सोचा ये (संदेश) स्पैम या धोखाधड़ी से जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद उसी वाट्सऐप नंबर से वाट्सऐप कॉल भी आई। मैंने उसे भी नजरंदाज किया। 29 अक्तूबर को मुझे वाट्सऐप से एक आधिकारिक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया है हो सकता है कि मेरा फोन हैक कर लिया गया हो। मैंने उसे भी नजरअंदाज किया। बाद में जब कंपनी ने वाद (एनएसओ समूह के खिलाफ) दायर किया, मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोन हैक कर लिया गया है।'

फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी

इजराइली स्पाईवेयर 'पेगासस' अब तक पूरी दुनिया में 1400 नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को शिकार बना चुका है।

वाट्सऐप ने 31 अक्तूबर को कहा कि इजराइली स्पाईवेयर 'पेगासस' का इस्तेमाल करके अज्ञात इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर जासूसी की जा रही है। भारत के कुछ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। वाट्सऐप ने कहा है कि वह एनएसओ ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह इजराइली कंपनी है, जो निगरानी करने का काम करती है। समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसके जरिए जासूसों ने करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं। इनमें चार महाद्वीपों के लोग शामिल हैं। इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

वाट्सऐप ने यह नहीं बताया कि भारत में कितने लोगों को इस जासूसी का निशाना बनाया गया या वे कौन लोग हैं। वाट्सऐप ने मंगलवार को एनएसओ समूह के खिलाफ अमेरिकी संघीय अदालत में एक वाद दायर किया। रवींद्रनाथ 'कमेटी फॉर रिलीज आफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स' (सीआरपीपी) के महासचिव हैं, जिसे भदराद्री कोठागुडेम पुलिस द्वारा प्रतिबंधित भाकपा माओवादी का मुखौटा संगठन बताया गया है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि रवींद्रनाथ एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में माओवादियों के लिए काम कर रहे हैं जो कि विचारधारा का प्रसार करना है। अधिवक्ता ने आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि एक संगठन के तौर पर वे माओवादियों सहित राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए काम करते हैं।

शव बरामद : जयपुर, 2 नवंबर । लापता युवक–युवती का शव शनिवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की एक नहर से बरामद हुआ है। (**भाषा**)

PUBLIC NOTICE
BE IT KNOWN TO ALL TO WHOM IT MAY CONCERN THAT My Clients Mrs. Rima w/o Late Shanwan Lal @ Shrwan Lal, aged 63 years r/o 15/106, Dakshinpuri Extension, New Delhi-110062 also at Village Nai Kheri, Tehsil Kekri, Distt. Ajmer, Rajasthan has broken down & severe her all relations & disclaimed, disowned & debarred her daughter Ms. ASHA D/O LATE SHARWAN LAL, from her all moveable & immovable properties & right of succession, due to her disobedient behavior and misconducts as she was married to Mukesh and has left her matrimonial home (not residing with her husband), she is forcibly residing with her minor son Kartik Kumawat at the residence of my clients without her consent & disobeying and willing to live in her own style independently, and as Ms. Asha working beyond control & harassing, humiliating, misbehaving my old aged widow clients, even emotionally blackmailing her and having ill eyes to grab her self-acquired property, hereafter my clients shall not be responsible for her any misconduct. If anybody dealing with her in any manner shall be doing so at own risks, costs, consequences and responsibilities.
RANJAN GUPTA (Advocate)
Ch. No. 311, Lawyers' Block, Saket Court Complex, New Delhi-110017

रतुल पुरी के ख

मौसम

तापमान **नई दिल्ली**

अधिकतम–28.7 डि.से. सूर्योदय– 6:34

न्यूनतम– 19.2 डि.से. सूर्यास्त– 17:36

जावडेकर का आरोप, प्रदूषण पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को खलनायक बताना चाहते हैं केजरीवाल

छात्रों पर पत्र लिखने का बना रहे दबाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

प्रदूषण पर केंद्र व राज्य सरकार के बीच घमासान जारी है। शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री व दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रदूषण के मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। जावडेकर ने कह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले में बच्चों पर हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने का दबाव बना रहे हैं। जावडेकर ने इसकी निंदा की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदूषण के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और कोई समाधान निकालने के बजाय आरोप–प्रत्यारोप में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को खलनायक के रूप में पेश करके उन्हें पत्र भेजने के लिए बच्चों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, जो पिछले 15 साल में बिगड़ी है और अब केंद्र सरकार की ओर से इसका निवारण किया जा रहा है। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एनसीआर के सभी राज्यों के साथ बैठकें शुरू की हैं और इसका समाधान निकालने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए सभी राज्यों को एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप छोड़कर एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

जावडेकर ने कहा कि वायु प्रदूषण को एक स्विच से बंद या चालू नहीं किया जा सकता। इसे नियंत्रित करने के लिए सभी एंजसियों व आम जनता को एक साथ काम करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार ने आम जनता को पर्यावरण मैत्री मेट्रो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काम किया है और इसकी मदद से गाड़ियों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिली है। आज मेट्रो का करीब 300 किलोमीटर का नेटवर्क है जिससे प्रतिदिन 50 लाख लोग सफर कर रहे हैं।

आरोपों पर मुख्यमंत्री का पलटवार, लिखी चिट्ठी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

दिल्ली सरकार पर प्रदूषण मामले में राजनीति करने के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को पत्र लिखकर पलटवार किया है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे का जिक्र किया गया है और कहा है कि इस हलफनामे में सरकार ने खुद माना है कि अक्तूबर व नवंबर में पराली की वजह से खराब और गंभीर वायु प्रदूषण रहता है। इसकी वजह से वायु गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिसमें पराली का योगदान है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बताया कि 2018–19 में पंजाब के किसानों के लिए 33075, हरियाणा के लिए 11941 और उत्तर प्रदेश के लिए 18706 मशीनें केंद्र सरकार से उपलब्ध कराई गई हैं। इसी तरह 2019–20 में केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए क्रमशः 24214, 14644 और 7418 मशीनें मंजूर की हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल किया है कि इन मशीनों को राज्यों को किश्तों पर उपलब्ध कराने से दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं होगा।

दिल्ली वाले काला धुंआ पीने को मजबूर : सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के लोग काला धुंआ पीने को मजबूर है और इस प्रदूषण से बचने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दिल्ली चिंतित है और बच्चे व बुजुर्ग परेशान है। पूरा उत्तर भारत धुएं की चपेट में है। इस स्थिति का समाधान निकालना जरूरी है। प्रदूषण के मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज तक तीन बैठक बुलाई और तीनों में कोई बैठक नहीं की।

उन्होंने बताया कि इस बैठक में पराली से हो रही परेशानी पर चर्चा की जानी थी। लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं किया। इस मामले में केंद्र सरकार ने आज तक कोई भी योजना नहीं बनाई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली वाले सम विषम की व्यवस्था लागू करने जा रहे है और पटाखे का प्रयोग कम किया है। इसके अतिरिक्त इस धुंए से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं। डीजल जनरेटर व निर्माण गतिविधियां बंद की जा रही है। कूड़ा जलाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। दिल्ली कदम कुर्बानी दे रहे हैं और सरकार के कदमों में सहयोग दे रहे हैं। 46 फीसद प्रदूषण पराली के धुंए की वजह से है।

'सरकार प्रदूषण पर गंभीर नहीं'

भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 57 माह में कोई काम नहीं किया है, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण के हालात और गंभीर हो गए हैं। इस वजह से दिल्ली वालों को मास्क के सहारे जीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब तक केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम करती रही है और दिल्ली वालों के करोड़ों रुपए इस पर अब तक बर्बाद किए हैं।

प्रदूषण की मार : एम्स सहित अन्य अस्पतालों में सांस और दिल के मरीजों में 15 से 20 फीसद का इजाफा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

दिवाली के बाद पिछले पांच दिनों में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में तेजी से आई गिरावट से राष्ट्रीय राजधानी में न केवल मरीजों की मुसीबत बढ़ी है बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी खतरे में इजाफा हुआ है। दमघोंटू हवा का सीधा असर स्वास्थ्य व स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है। दिल्ली स्थित एम्स सहित अन्य अस्पतालों में सांस और दिल के मरीजों की संख्या में 15 से 20 फीसद का इजाफा दर्ज किया गया है। कमोबेश यही हाल दिल्ली के दूसरे अस्पतालों का भी है।

> एन 95 मास्क संक्रमण से बचाता है, वायु प्रदूषण से नहीं : डॉ गुलेरिया

एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने बताया कि हकीकत यह है कि एन 95 मास्क संक्रमण से बचाता है, वायु प्रदूषण से नहीं। इसलिए उसे या एअर प्यूरीफायर को प्रदूषित हवा का विकल्प न समझें। हवा साफ रखने की कवायदें तेज करें।

डॉ गुलेरिया ने शनिवार को कहा कि हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के बाद वायु प्रदूषण के कारण सांस और हृदय रोग विभाग की ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) व आपातकालीन सेवा में मरीजों की संख्या पिछले पांच दिनों में 20 फीसद तक बढ़ गई है। सफदरजंग के पल्मोनरी रोग विभाग में भी मरीजों की संख्या में इतना ही इजाफा हुआ है। डीडीयू, पटेल चेस्ट सहित दूसरे अस्पतालों का भी यही हाल है।

पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बुजुर्ग रोग विशेषज्ञ डॉ आशीष गोयल ने बताया कि इस अस्पताल में भी करीब इतने ही मरीजों की तादात बढ़ी है। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग मरीजों को खास दिक्कत आ रही है। उनको दमा, खांसी, सीने में दर्द व जलन की शिकायत ज्यादा हो रही है। वायु प्रदूषण इतना घातक होता है कि यह गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत पर भी असर डालता है।

छठ : श्रद्धालुओं ने अर्घ्य देकर की खुशहाली की कामना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, पार्कों में और विशेष तौर पर मोहल्लों में बनाए गए छठ घाटों पर लाखों की संख्या में व्रतियों ने शनिवार को अस्ताचलगामी सूर्य भगवान की अराधना की। श्रद्धालुओं ने अपने और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से व्रतियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो इसकी पूरी व्यवस्था की। रविवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिनों वाला आस्था का महापर्व का संपन्न हो जाएगा।

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बुराड़ी, वजीराबाद, सोनिया विहार, गीता कॉलोनी, मयूर विहार चिल्ला, डीएनडी फ्लाईओवर और कालिंदी कुंज पर बनाए गए घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इसके साथ ही पार्कों में बनाए गए कृत्रिम घाटों पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इन सभी घाटों पर सुरक्षा–व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यमुना नदी के किनारे चप्पे–चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों और पुलिस के जवानों की ओर से निगरानी की जा रही थी। छठ घाटों पर छठ मैया के गीत गूंज रहे थे। घाट तक पहुंचने में लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए स्वयंसेवक लगाए गए। घाट पर पूजा की तैयारियों के मद्देनजर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम व बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यवस्था की थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी में बने छठ घाट पर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा में बने घाट पर अर्घ्य दिया। इसी तरह दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी राजा पार्क में बने घाट पर पहुंच कर सूर्य की अराधना की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, राज्य सभा सांसद विजय गोयल, भाजपा नेता गोपाल झा ने भी घाट पर पहुंच कर पूजा अर्चना की। वहीं, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा वजीराबाद घाट पर पहुंचे और सभी पूर्वांचलवासियों को छठ की शुभाकामना दी। वहीं, कांग्रेस के चुनाव समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद आइटीओ स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया।

निगम ने वायु प्रदूषण और छठ की व्यवस्था का लिया जायजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के निवारण और छठ घाटों की व्यवस्था के लिए निगम ने अपनी ओर से कार्रवाई और व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी निगम ने अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास वायु प्रदूषण कम करने के लिए शनिवार को मध्य जोन के उपायुक्त अमन गुप्ता ने निगम और डीडीसीए अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना किसी कोताही के स्टेडियम के आसपास कार्य करें।

उन्होंने मध्य जोन के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्टेडियम के आसपास धूल प्रदूषण के स्थानों को चिन्हित कर वहां कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मध्य जोन में पानी के छिड़काव के लिए नौ पानी के टैंकर और पानी की बौछार करने वाले यंत्र दिन रात कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दो मैकेनिकल रोड स्वीपर भी क्षेत्र की सफाई में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि धूल प्रदूषण के चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर भी अतिरिक्त सफाई कर्मचारी, पानी के टैंकर और मैकेनिकल रोड स्वीपर लगाए जाएंगे।

जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड

सी आई एन : L14100UP1995PLC019017
पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर –128, नोएडा–201304, उ.प्र.
दूरभाष :+91(120) 2470800
कॉर्पोरेट कार्यालय : जेए, सेक्टर, 63,अर्जुन लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
दूरभाष : +91(11) 49828500 फैक्स :+91(11) 26145389
वेबसाइट : www.jalindia.com ई मेल : jal.investor@jalindia.co.in

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 47 को विनियम 29 के साथ पढ़ते हुये, के संदर्भ में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **शनिवार, 9 नवम्बर, 2019** को, अन्य विषयों सहित, 30 सितंबर, 2019 को समाप्त हुए तीन महीने तथा छः महीने के अनअंकेक्षित एकल एवं संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकार करने हेतु होगी।

अन्य जानकारी कंपनी की वेबसाइट यानि www.jalindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानि www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड
एम. एम. सिब्बल
संयुक्त अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव
सदस्यता क्रमांक एफसीएस–3538

JAYPEE
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 नवम्बर, 2019

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	29.5 डि.से.	29.5 डि.से.	28.5 डि.से.	29.0 डि.से.
न्यूनतम	18.8 डि.से.	18.8 डि.से.	17.7 डि.से.	18.8 डि.से.

तीस हजारी अदालत में पुलिस और वकीलों में हिंसक झड़प के बाद सुरक्षा बल और दंगा निरोधक दस्ता तैनात

बार काउंसिल ने की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नंबवर।

तीस हजारी अदालत में शनिवार दोपहर हुई हिंसक झपड़ के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और दंगा निरोधक दस्ता को तैनात कर दिया गया था, ताकि स्थिति ना बिगड़े। दिल्ली के विभिन्न जिला अदालत के वकील भी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय विधिज्ञ परिषद) के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि इस घटना की निंदा करते हैं। काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा

- दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की ठोस कार्रवाई की मांग
- घटना के बाद देर रात तक बड़ी संख्या में पुलिस बल और दंगा निरोधक दस्ता रहे अदालत के बाहर तैनात

कि मामूली विवाद के बाद पुलिस को इस प्रकार की बर्बरता नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मांग कि है कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वकीलों पर गोलियां चलाने वाले आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, वरिष्ठ नेता छतर सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता तीस हजारी अदालत पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। चोपड़ा ने कहा कि इस घटना की जिनती निंदा की जाए कम है। अगर अदालत परिसर में इस प्रकार की बर्बरता दिल्ली पुलिस करती है, तो आम लोगों के साथ दिल्ली पुलिस का व्यवहार कैसा होगा? इस घटना के बाद सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी और एक अन्य महिला वकील मिली, जिन्होंने बताया कि उनके चैंबर में घुसकर पुलिसकर्मियों ने तोड़फोड़ की और महिला वकील के साथ गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की है कि वकीलों पर गोली चलाने और हमला करने वाले आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर बर्खास्त किया जाए।

विशेष आयुक्त की देखरेख में होगी मामले की जांच

तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई हिसंक झड़क की जांच-पड़ताल दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त की देखरेख में की जाएगी। इस मामले की जांच के लिए अपराध शखा की एक एसआइटी गठित की गई है। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल का कहना है कि जांच रिपोर्ट के बाद ही इस मामले की सच्चाई का पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि झड़प की जानकारी दोपहर करीब दो बजे पुलिस को मिली थी।

आइआइटी दीक्षांत समारोह में बोले इसरो प्रमुख

जीवन में सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डाक्टर के सिवन का मानना है कि पढ़ाई में सफल होना और जीवन में सफल होना दोनों अगल चीजें हैं। जीवन में सफल होने के लिए टॉपर या तेज होना जरूरी नहीं बल्कि विकल्प रहित संकल्प और लक्ष्य केंद्रित कार्य में निरंतरता ही केवल जरूरी है और यह कोई भी कर सकता है। डाक्टर के सिवन ने यह बात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह में कहीं। उन्होंने पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थियों से करिअर में जोखिम उठाने, चुनौती लेने और असफलता से कभी नहीं घबराने की सीख दी। इसरो प्रमुख ने कहा कि हम सब जानते हैं कि असफलता, सफलता का बीज मंत्र है लेकिन यह समाज को

कुछ नया दे सकने का भी मंत्र है। गलतियों से सबक लेकर जब कोई आगे बढ़ता है तो वह समाज को कुछ नया दे जाता है। दूसरी ओर शॉर्ट-कट वाली सफलता किसी दूसरे की राह को अपनाकर पाई जाती है।

शनिवार को होने वाले दीक्षांत समारोह में 2042 छात्रों को डिग्रियां दी गईं। इनमें 113 छात्रों को मेडल व अन्य पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर आइआइटी दिल्ली ने अपने तीन पूर्व छात्रों श्रीनिवाशन केशव, डॉ मोहित आरोन, बिन्नी बंसल को 'डिस्टिंगविश एलुमनाई अवार्ड आइआइटी दिल्ली' से सम्मानित किया। सिवन ने इस मौके पर अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से विद्यार्थियों से साझा किए।

कच्ची कॉलोनियों को चुनावी हथियार बनाएगी भाजपा

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के फैसले को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपना अहम चुनावी हथियार बनाएगी। ऐसी करीब 1731 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दी है। अब पार्टी हाईकमान को चिंता है कि अन्य मुद्दों की तरह यह मुद्दा आम आदमी पार्टी (आप) भी भुना सकती है। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में एक विशेष अभियान शुरू करने के फरमान जारी किए हैं। यह अभियान सभी निगम वार्ड में शुरू होगा। भाजपा समझाएगी कि किस प्रकार से इन कॉलोनियों को पक्का होने का दर्जा मिलेगा।

इन कॉलोनियों में यह मुहिम तीन नवंबर से शुरू होगी और 13 नवंबर तक चलाई जाएगी। इसमें कॉलोनियों के लोगों तक इन्हें पक्का करने की प्रक्रिया और भाजपा के प्रयासों से अवगत कराया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए सभी निगम पार्षदों को तुरंत काम शुरू करने के आदेश दिए हैं ताकि दिल्ली के चुनाव के लिए जनता के मन को टटोला जा सके। अब तक चुनावी जमीन पर केवल आम आदमी पार्टी ही नजर आ रही है और हाल ही में कांग्रेस में नई तैनाती के बाद कुछ सक्रिय नजर आई है। ऐसे 1797 कॉलोनियां थीं जिसमें से अब तक 1731 की अड़चनें दूर हुई हैं।

दिल्ली में 10 दिन की विशेष मुहिम होगी शुरू

अब तक इन कॉलोनियों को कांग्रेस के बड़े वोट बैंक के तौर पर जाना था। कांग्रेस सरकार ने आखिरी कार्यकाल से पहले अस्थायी प्रमाणपत्र जारी किए थे। इस वजह से तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस की वापसी हुई थी। लेकिन बाद में इन क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी को अधिक वोट डाला था। इसलिए इन कॉलोनियों पर तीनों ही पार्टियों का ध्यान केंद्रीत रहेगा। सरकार इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यह पहले ही तय कर चुकी है कि इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया में केवल 0.5 फीसद सर्किल रेट ही वसूला जाएगा। भाजपा नेताओं को यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे कॉलोनियों की साफ-सफाई और अंदर की कॉलोनियों में गलियों में कामकाज की व्यवस्था को बेहतर बनाए।

यह कामकाज ही आने वाले दिनों में दिल्ली में भाजपा के लिए सरकार का रास्ता खोल सकता है। इसके अतिरिक्त पार्टी नेताओं का यह भी आदेश दिए हैं कि जो लोग आज भी मतदाता सूची के दायरे से बाहर रह गए हैं। उन लोगों को जोड़ने के लिए हर वार्ड स्तर पर कार्य शुरू किया जाए। इनमें युवा व पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को केंद्रीत कर योजनाएं लागू की जाएं। इसकी मदद से भाजपा अपने मूल कैडर के साथ नए मतदाताओं को जोड़कर अपनी जीत का रास्ता प्राप्त कर सकती है।

COURT NOTICE
In the court of sh. Devnoor singh JMIC Ludhiana
CNR NO:PBLD03-007537-2019
PESH: 15-11-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC
M/S CRYSTAL CROP PROTECTION LTD
V/S
SANDEEP KUMAR
Complaint R/w sec-138 OF N.I.ACT
NOTICE TO: SANDEEP KUMAR, PROP, M/S CHAHAL PESTICIDES, VPO KOTRA, DIST KAITHAL, HARYANA-136027
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 15-11-2019 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed as above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 23-10-2019 FOR DETAILS LOGIN TO
https://highcourtchd.gov.in/?/district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
कॉर्पो. कार्यालय: एसीओई-14, सेक्टर-7-सी, मधु कर, चंडीगढ़-160019
Tel.:0172-5021555, 5021666,
Fax:0172-5021495
E-mail:e-cs@stylam.com
Web: www.stylam.com
CIN : L20211CH1991PLC011732
सूचना
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 (1) (ए) के अनुपालन में यहां इस सूचना दिया जाता है कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 12 नवंबर, 2019 को निर्धारित की गई है जिसमें अन्य बातों के अ.सं. विनि., 2015 के मद्दनजर तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.stylam.com तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थान: चंडीगढ़ सतीश
तिथि: 1.11.2019 कम्पनी सचिव

Court Notice
In the court of Sh.devnoor singh JMIC Ludhiana
CNR NO:PBLD03-008016-2019
PESH : 11-11-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC
M/S CONCERN PHARMA LTD
V/S
M/S GANGADHAR MEDICAL AGENCIES
Complaint R/w sec-138 of N.I.ACT
Notice to: 1. M/S GANGADHAR MEDICAL AGENCIES143, SUKHARIA SHOPPING CENTRE ,GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, SRIGANGANAGAR -335001 RAJASTHAN, THROUGH, ITS PROP. LOVISH GUPTA
2. LOVISH GUPTA, PROP M/S GANGANAGAR MEDICAL AGENCIES, 143, SUKHARIA SHOPPING CENTRE, GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, SRIGANGANAGAR-335001, RAJASTHAN
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 11-11-2019 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed as above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 29-10-2019 FOR DETAILS LOGIN TO
https://highcourtchd.gov.in/?/district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh.devnoor singh JMIC Ludhiana
CNR NO:PBLD03-008022-2019
PESH : 11-11-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC
M/S CONCERN PHARMA LTD
V/S
M/S GANGADHAR MEDICAL AGENCIES
Complaint R/w sec-138 of N.I.ACT
Notice to: 1. M/S GANGADHAR MEDICAL AGENCIES143, SUKHARIA SHOPPING CENTRE ,GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, SRIGANGANAGAR -335001 RAJASTHAN, THROUGH, ITS PROP. LOVISH GUPTA
2. LOVISH GUPTA, PROP M/S GANGANAGAR MEDICAL AGENCIES, 143, SUKHARIA SHOPPING CENTRE, GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, SRIGANGANAGAR-335001, RAJASTHAN
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 11-11-2019 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed as above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 29-10-2019 FOR DETAILS LOGIN TO
https://highcourtchd.gov.in/?/district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh.devnoor singh JMIC Ludhiana
CNR NO:PBLD03-008019-2019
PESH : 11-11-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC
M/S CONCERN PHARMA LTD
V/S
M/S GANGADHAR MEDICAL AGENCIES
Complaint R/w sec-138 of N.I.ACT
Notice to: 1. M/S GANGADHAR MEDICAL AGENCIES143, SUKHARIA SHOPPING CENTRE ,GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, SRIGANGANAGAR -335001 RAJASTHAN, THROUGH, ITS PROP. LOVISH GUPTA
2. LOVISH GUPTA, PROP M/S GANGANAGAR MEDICAL AGENCIES, 143, SUKHARIA SHOPPING CENTRE, GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, SRIGANGANAGAR-335001, RAJASTHAN
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 11-11-2019 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed as above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 29-10-2019 FOR DETAILS LOGIN TO
https://highcourtchd.gov.in/?/district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

महिला की हत्या, तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

सहजीवन में रह रही एक महिला की हत्या कर उसके शव को सूटकेस में डालकर फेंकने के आरोपियों में से तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बवाना इलाके में बीते महीने की 18 तारीख को महिला की लाश पूंठ खुर्द इलाके के पास लावारिस हालत में मिली थी। गिरफ्तार लोगों की पहचान नोएडा निवासी नोमान (30), अरमान (26) निवासी शकूरपुर गांव और न्यू उस्मानपुर निवासी शमशाद (30) के तौर पर हुई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से यह खुलासा हुआ था कि ऑटोरिक्शा सवार किसी व्यक्ति ने सूटकेस को वहां फेंका था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मृतका की पहचान शकूरपुर गांव की रहने वाली शबनम (नाम बदला हुआ) के तौर पर हुई है।

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालय: दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली–110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
परोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 18.11.2019 को सांय 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस. अतः लोगों को और विशेष रूप से ऋणधारक और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटरों को प्रत्याभूत – दाता कॉर्पोरेशन बैंक से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित राशि की वसूली हेतु दिनांक 19.11.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अंतिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई–मेल आईडी	ऋणधारक / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	सतबरी शाखा, श्री जमित श्रीवास्तव कुमार, मो. +91-9740297406, फोन: 011-26301930, 011- 65905005, ईमेल: cb1528@corpbank.co.in	कर्जदार : मैसर्स परमविक इंजीनियर्स, प्रोप. सुशील कुमार पवार	सम्पति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निवासी सम्पति भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 3986, क्षेत्रफल 147 वर्ग गज, सैनिक कॉलोनी, सैक्टर–49, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित।	₹ 09,29,372.00 मांग सूचना दिनांक 03.04.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 114.50 लाख / ₹ 11.45 लाख / ₹ 1.00 लाख	19-11-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101002217510 IFSC Code- CORP0001528
2	सोहना, श्री गंगाधर चंद्रेकर, मो. 9811282567, फोन: 0124-2362050 ईमेल: cb1081@corpbank.co.in	ऋणधारकों: 1. मैसर्स इंनाइट एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी 2. श्री रामपत यादव पुत्र श्री प्रभु दयाल, 3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामपत यादव, 4. श्री महेश कुमार पुत्र श्री रामपत यादव, 5. श्री राजेन्द्र यादव पुत्र श्री रामन चंद यादव, 6. श्री धर्मवीर पुत्र श्री प्रभु दयाल, 7. श्री धर्मपाल यादव पुत्र श्री प्रभु दयाल, 8. श्रीमती स्वाति यादव पत्नी श्री अशोक कुमार, 9. श्रीमती रिंकू यादव पत्नी श्री जगपाल, 10. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री धरमवीर	खसरा नं. 1(4-2),10(3-18),11(5-10),12/1,1(2-0),9-26-27/1/1(1-13),9-26,27/2/1(1-16),9-26-27/3/1(0-2), गांव अटा, तहसील नूंह, जिला मेवात – 122103 में स्थित	₹ 3,33,85,802.00 दिनांक 28.11.2013 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 921.00 लाख / ₹ 92.10 लाख / ₹ 2.00 लाख	19-11-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101004144601 IFSC Code CORP0001081
3	धारूहेड़ा शाखा, श्री विवेक कुमार, मो. 8168392901, फोन: 01274-242707, 01274-242516, ईमेल: cb1247@corpbank.co.in	ऋणधारकों: मैसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज, प्रोप. तनु शर्मा पुत्री श्री मदन लाल गारंटर : 1. कमल किशोर शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, (2) नरेंद्र कुमार पुत्र श्री राम	खेवट नं. 2100/2404, रैयत नं. 81, किला नं. 25/2/2/2(3-0) झज्जर रोड, रेवाड़ी, में स्थित, कुल भूमि क्षेत्रफल 1512.50 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री नरेन्द्र कुमार (गारंटर) के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा)	₹ 2,10,27,979.37 मांग सूचना दिनांक 09.11.2015 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 187.00 लाख / ₹ 18.70 लाख / ₹ 1.00 लाख	19-11-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101002755441 IFSC कोड: CORP0001247
4	डेलर कैलाश–II शाखा, श्री संजीव सिंगला मो. 9868303945, फोन: 011-29210667, 29212059, ईमेल: cb0286@corpbank.co.in	ऋणधारकों: मैसर्स एलएमएस टॉवर कम्पनी गारंटर: 1. श्री लवलेश मोहन सिंघल, 2. श्रीमती अनिता सिंघल 3. सौरभ सिंघल, 4. मैसर्स सिंघल सीमेंटस ऋणधारकों: 1. श्री लवलेश मोहन सिंघल, 2. श्रीमती अनिता सिंघल 3. मयूर सिंघल, 4. सौरभ सिंघल	सम्पति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण सम्पति मकान (प्लॉट नं.) 816–सी, सैक्टर–15, पार्ट–2, (सैक्टर 15–I), जिसे अब विजयश्री कॉलोनी अरबन इस्टेट गुड़गांव कहते है, (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल 420 वर्ग मी. (502.32 वर्ग गज), यह सम्पति अनिता सिंघल के नाम पर है।	₹ 4,74,77,542.59 मांग सूचना दिनांक 05-04-2018 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि ₹ 1,81,19,863.00 मांग सूचना दिनांक 05-04-2018 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 605.00 लाख / ₹ 60.50 लाख / ₹ 2.00 लाख	19-11-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101006159066 IFSC कोड: CORP0000286
5	विकासपुर शाखा, श्री सुनील कुमार, मो. 7562009008, फोन: 0124-2563630, 2563629, ईमेल: cb0440@corpbank.co.in	कर्जदार मैसर्स ई–मेडिटेक इंश्योरेंस प्रा. लि. गारंटर्स: 1) श्री गोपाल वर्मा पुत्र स्व. किशन चंद वर्मा 2) श्रीमती निशा वर्मा पत्नी श्री गोपाल वर्मा.	सम्पति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि बेसमेंट + 2 और आगा मंजिला विद्यिंग मकान / प्लॉट नं. 33, आकाशनीम मार्ग, डीएलएफ कुतुब एनक्लेव कॉम्पलैक्स, फेज–II, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, यह सम्पति संयुक्त रूप से श्री गोपाल वर्मा पुत्र स्व. किशन चंद वर्मा के नाम पर है। निवासी : 33 आकाशनीम मार्ग, डीएलएफ फेज–II, गुड़गांव, हरियाणा और श्रीमती निशा वर्मा पत्नी श्री गोपाल वर्मा, बी–9 / 6257, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, भूमि क्षेत्रफल 336 वर्ग मी. या 401.88 वर्ग गज, बिल्डिंग जिसका प्लिंथ एरिया 7560 वर्ग मी., चौहदी : उत्तर में – आकाशनीम मार्ग, प्लॉट नं. 32, दक्षिण में – आकाशनीम मार्ग, प्लॉट नं. 34, पूरब में – रोड, पश्चिम में – प्लॉट नं. के–9/9	क. रु. 16,08,72,150.63 (रु. सोलह करोड़ आठ लाख बहत्तर हजार एक सौ पचास और पैसे तिरेसठ मात्र) दिनांक 16.11.2018 तक ब्याज और ख. रु. 3,21,00,000.00 (रु. तीन करोड़ इक्कीस लाख मात्र) कर्जदार को जारी की सी/एल की बकाया राशि पर ब्याज, आकस्मिक, लागत प्रभार इत्यादि	₹ 731.00 लाख / ₹ 73.10 लाख / ₹ 2.00 लाख	19-11-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101005713748 IFSC कोड CORP0000440

कृपया विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/balaji_enterprises__1.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/e_meditek_insurance_tpa_limited_0.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/elite_education_welfare_society__1.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/lms_tyre_company_3.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/paramvish_engineers_1.pdf और वेबसाईट : www.bankauctions.in & https://ibapi.in देखें।

दिनांक: 02.11.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

निगमकर्मियों का धरना जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

निगमकर्मियों का लंबित मांगो को लेकर 22 अक्तूबर से नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को भी जारी रहा। धरने के 12 वें दिन कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

धरने पर मौजूद कर्मचारी यूनियन नेता और कोर कमेटी सदस्य संजय गहलोत ने बताया कि पिछले 12 दिनों से कोर कमेटी (जिसमे लगभग 35 विभिन्न संगठन शामिल हैं) कमर्चारियों की मांगों को लेकर धरने पर है परन्तु अभी तक निगम प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने बताया कि उत्तरी निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष कार्यालय से कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक का निमंत्रण प्राप्त हुआ था लेकिन सभी सदस्य इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों के मेयर, स्थाई समिति अध्यक्ष और तीनों आयुक्त एक साथ बैठक में उपस्थित होकर निगम कमियों की मांगों का समाधान नही करेंगे तब तक लगातार प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना यथावत जारी रहेगा।

खबरों में शहर

कस्टम विभाग ने तस्करी का सोना किया जब्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नंवबर।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाई अड्डे पर कस्टम की टीम ने श्रीलंका के कोलंबो से सोना तस्करी कर दिल्ली पहुंचे एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 260 ग्राम सोना बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला कि वह पहले भी पांच बार इसी प्रकार सोना तस्करी कर भारत ला चुका है। बिना कस्टम की नजर में आए एयरपोर्ट से सुरक्षित निकल गया था। आइजीआइ कस्टम के अधिकारी ने बताया कि आरोपी 31 अक्तूबर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआइ-282 से कोलंबो से दिल्ली पहुंचा था। इमिग्रेशन क्लीयरेंस के बाद वह बिना जांच के ग्रीन चैनल पार करने की जुगत में था, इसी दौरान वहां तैनात कस्टम की टीम ने उसे पकड़ कर जांच की।

ईडी को मिली मिशेल से पूछताछ की अनुमति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एजंसी को पांच और छह नवंबर को तिहाड़ जेल में मिशेल से पूछताछ करने और बयान लेने की अनुमति दी। मिशेल अभी तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने पूछताछ के दौरान कानूनी सहायता के लिए मिशेल के दो वकीलों को आधे घंटे तक मौजूद रहने की भी अनुमति दी। दुबई से प्रत्यर्पित मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 22 दिसंबर को अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़े 3,600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। मिशेल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

दो हत्याओं में शामिल तीन बदमाश गिरफ्तार, एक फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

द्वारका जिला पुलिस ने हत्या करने वाले एक बड़े गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर हत्या की एक योजना को नाकाम कर दिया है। चार बदमाशों के इस गिरोह में से एक ने अंगूठी बेची तो दूसरे ने मोबाइल बेच कर हथियार खरीदा और तीसरे ने मोटरसाइकिल का इंतजाम किया और चौथे ने गोली मारी। एक दिन में दो हत्याओं में शामिल इस गिरोह के चौथे बदमाश की तलाश की जा रही है। सभी की अलग-अलग लोगों से दुश्मनी थी।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक द्वारका जिला स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने एक ही दिन में दो युवकों की हत्या करके शनिवार को तीसरी हत्या करने पहुंचे तीनों दोस्तों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से एक हरियाणा और दो दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। इनके पास से पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं।

एटीएम ठग गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

अपराध शाखा ने एटीएम से छेड़छाड़ कर ठगी करने वाले एक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्यों श्रेयांस नितिन कोठादिया, अनुभव नायक उर्फ बाबू और दिलशाद के पास से 67 एटीएम कार्डस, एटीएम की स्कीमिंग मशीन, दो जासूसी कैमरे, एक एमएसआर राइटर और एक लैपटाप बरामद किए हैं। गिरोह बीते दो सालों से एटीएम ठगी का धंधा कर रहा था। ये गिरोह करीब सौ लोगों को अब तक निशाना बना चुका है। मुंबई के मलाद थाने में गिरोह के सदस्य वांछित थे।

आज के कार्यक्रम

साभा-संगोष्ठी / विविध

इंडिया हैबीटाट सेंटर : पश्चिमी संगीत पर चर्चा, बेसमेंट थिएटर, सेंटर परिसर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

इंडिया हैबीटाट सेंटर : फिल्म, स्टेन सभागार, सेंटर परिसर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

epaper.jansatta.com

25वां कोलकाता फिल्म महोत्सव आठ से

कोलकाता, 2 नवंबर (जनसत्ता)।

पच्चीसवां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आठ नवंबर से शुरू होगा। पंद्रह नवंबर तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव का उद्घाटन एक बार फिर हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन करेंगे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्रियां जया बच्चन व राखी गुलजार, चर्चित फिल्मकार महेश भट्ट समेत अन्य मौजूद रहेंगे। समापन समारोह 15 नवंबर को नजरुल मंच में होगा। 25वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की आयोजन कमिटी के मुख्य सलाहकार व राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने यह जानकारी दी। आयोजन कमेटी के चेयरमैन राज चक्रवर्ती ने बताया कि इस बार फिल्मोत्सव में 76 देशों की 214 फीचर फिल्में, 152 लघु फिल्में व वृत्तचित्र दिखाए जाएंगे। उद्घाटन फिल्म महान फिल्मकार सत्यजीत रे की गुपी गायेन बाघा बायेन होगी, जिसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस साल फोकस कंट्री जर्मनी है। फिल्मोत्सव में 24 देशों की 65 फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी।

नंदन-1, 2, 3, रवींद्र सदन, शिशिर मंच, बिजली, प्रिया, नवीना, अंजता, मीनार, न्यू एंपायर, नजरुल तीर्थ, आइनाक्स सिटी सेंटर-1 समेत 17 जगहों पर फिल्में दिखाई जाएगी।

फिल्मोत्सव में पहली बार दो 3डी फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रिया व बिजली सिनेमाघरों में उनका प्रदर्शन होगा। फिल्मोत्सव में पहली बार बच्चों के लिए केआइएफएफ फॉर किड्स नामक खास सेक्शन होगा, जिसके तहत 14 नवंबर को बाल दिवस पर शिशिर मंच में चार बाल फिल्में दिखाई जाएंगी।

ईडी ने चिदंबरम की जमानत याचिका का किया विरोध

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट में आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका का शनिवार को विरोध किया। ईडी ने कहा कि उनके द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों की गंभीरता उन्हें राहत पाने का हकदार नहीं बनाती। 74 वर्षीय चिदंबरम की जमानत याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनने संबंधी दलील विधि सम्मत नहीं है और उनकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है। मामला न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। न्यायमूर्ति कैत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब देने को कहा था।

चिदंबरम ईडी द्वारा दायर धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 22 अक्तबर को चिदंबरम को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए तिहाड़ जेल के अधीक्षक को आंतों से जुड़ी बीमारी 'क्रोहन' से पीड़ित चिदंबरम को स्वच्छ परिवेश, मिनरल वाटर, घर का बना भोजन और मच्छरदानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जमानत याचिका पर अपने जवाब में ईडी ने कहा कि चिदंबरम

ईडी ने अदालत में कहा कि चिदंबरम द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों की गंभीरता उन्हें राहत पाने का हकदार नहीं बनाती।

द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए वह अदालत से राहत पाने के हकदार नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए देश के उच्च पद का दुरुपयोग किया। ईडी ने कहा कि उन्हें जमानत दिया जाना न केवल न्यायालय और देश की भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करने की नीति के खिलाफ होगा, बल्कि सभी भ्रष्टाचार के मामलों में एक बहुत गलत मिसाल कायम करेगा। एजंसी ने कहा कि जांच से इकट्ठा की गई पर्याप्त सामग्री से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से धनशोधन का मामला है जिसमें चिदंबरम, उनके पुत्र कार्ति और अन्य की संलिप्तता है। चिदंबरम ने इससे पहले धनशोधन मामले में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। हालांकि याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी और वहां भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। ईडी ने चिदंबरम को 16 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। यह मामला 2007 में वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश प्राप्त करने की मंजूरी में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

राव का टूटा सितार, एअर इंडिया पर लगाया आरोप

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय संगीतकार शुभेंद्र राव ने एअर इंडिया पर अपना सितार तोड़ने का आरोप लगाया है। राव ने शुक्रवार को एअरलाइन पर अपने सितार को ठीक तरह से न रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों को वाद्ययंत्रों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

संगीतकार ने फेसबुक पर लिखा, 'एक बार फिर वही हुआ। मेरा सितार एक बार फिर टूट गया, इस बार हमारी एअर इंडिया ने यह किया। वैदिक हेरिटेज इंक में प्रस्तुति देने अभी न्यूयार्क पहुंचा हूं और मेरा सितार इस स्थिति में यहां पहुंचा है। कोई इतना कठोर और असंवेदनशील कैसे हो सकता है?'

उन्होंने कहा, 'यकीनन यह थोड़ा सा खुला रह गया था नहीं तो यह टूटता ही नहीं। मुझे पता है कि कई लोग इसका समर्थन करेंगे और कई सुझाव देंगे लेकिन सीधी बात यह है कि एअरलाइन और उनके कर्मचारियों को यह समझने की जरूरत है वाद्ययंत्रों के साथ संवेदनशील होना चाहिए।' पिछले साल नवंबर में भी दिल्ली से सिडनी की यात्रा के दौरान राव को ऐसे कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा था।

- शुभेंद्र राव ने फेसबुक पर दी सितार टूटने की जानकारी
- उन्होंने टूटे हुए सितार की तस्वीर भी साझा की है

राव ने कहा कि उन्होंने वाद्ययंत्रों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाने के लिए एक ऑनलाइन याचिका शुरू की थी, लेकिन उससे भी कुछ ठोस हल नहीं निकल पाया। राव ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला, एअर इंडिया के सीएमडी अश्विनी लोहानी को फेसबुक पर टैग करते हुए लिखा, 'कृपया ध्यान दें कि हमारे अपने राष्ट्रीय वाहक से गलती हुई है और किसी को इस अशिष्टता की जिम्मेदारी लेनी होगी और कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम कलाकार एअर इंडिया या अन्य किसी एअरलाइन के जरिए प्रताड़ित न हों।'

राव ने टूटे हुए सितार की तस्वीर भी साझा की है। इस पर उन्होंने लिखा कि इस तस्वीर से स्पष्ट है कि किसी ने सितार को खोलने की कोशिश की। राव ने यह सुझाव भी दिया कि एअरलाइनों को वाद्यतंत्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए भुगतान करना चाहिए।

आइएफएफआइ में रजनीकांत को दिया जाएगा विशेष स्वर्ण जयंती पुरस्कार

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शनिवार को घोषणा की कि 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआइ) में अभिनेता रजनीकांत को विशेष स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित होगा, जिसमें देश-विदेश की लगभग 250 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी।

मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'महोत्सव की संचालन समिति ने एक विशेष आइकॉन पुरस्कार का सुझाव दिया था, जो महान अभिनेता रजनीकांत को प्रदान किया जाएगा। यह आइएफएफआइ के दौरान एक प्रमुख आकर्षण होगा।' देश की सबसे बड़ी सिने हस्तियों में से एक रजनीकांत ने सरकार को इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुझे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देने के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं।'

जावडेकर ने इस आयोजन में विख्यात फ्रेंच अभिनेत्री इजाबेल हप्पर्ट को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि महोत्सव के स्वर्ण जयंती वर्ष में सिनेमा के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए पचास महिला फिल्मकारों की पचास फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी।

निर्भया कोष से मानव तस्करी रोधी शाखा की स्थापना

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को बताया कि निर्भया कोष की मदद से सभी जिलों में मानव तस्करी निरोधी शाखा और प्रत्येक पुलिस थाने में महिला सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी। निर्भया कोष की स्थापना 2013 में की गई थी। यह कदम 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए नृशंस सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के बाद उठाया गया था। इसका मकसद महिला सुरक्षा के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की पहल का समर्थन करना था।

ईरानी ने यह घोषणा ट्विटर के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना एवं उनमें सुरक्षा के भाव को बढ़ाना है। उन्होंने ट्वीट किया, 'निर्भया कोष सभी पुलिस थानों में महिला सहायता केंद्र और देश के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी निरोधी शाखा की स्थापना में मदद करेगा।

फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट/ शॉप नं0 205, दूसरा तल, अग्रवाल सिटी मॉल रोड नं0 44, पीतमपुरा उत्तर दिल्ली, दिल्ली-110034
ई-मेल: franklinleasingfinance@gmail.com
CIN : U74899DL1992PLC048028
सूचना
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सूचीयन विनियमन, 2015 के नियम 29 के अनुपालन में **फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड** के निदेशक मंडल की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में **वृहस्पतिवार, 14 नवंबर 2019 को अप. 03.30 बजे** आयोजित है, जिसमें 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही व छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का अनुमोदन होगा। इस सिलसिले में जैसा कि पहले सूचित है, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015, संशोधित के साथ पठित ''इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध हेतु कंपनी के आचार संहिता'' के अनुपालन में कंपनी की प्रतिभूतियों के सौदे के लिए ट्रेडिंग विंडो उपर्युक्त कोड के अधीन सभी नामित व्यक्तियों, उनके नजदीकी संबंधियों तथा सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए स्टाक एक्सचेंजों को कंपनी के वित्तीय परिणाम की घोषणा के बाद 48 घंटे पूरे होने तक बंद रहेगी।
बोर्ड के आदेशानुसार
वास्ते **फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड**
स्थान : दिल्ली हस्ता/-
दिनांक : 01.11.2019 **रमेश कुमार डालमिया**

अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020
(CIN:L45101DL1979PLC009654)
वेबसाईट: www.acilnet.com,
ई-मेल: cs.corpoffice@acilnet.com
सूचना
सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियिमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 13 नवम्बर को 4.00 बजे अप. में पंजी. कार्यालय ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही (क्यू 2)के लिये कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (दोनों स्टैंडएलॉन एंव समेकित) तथा एजेण्डा के अन्य मदों, यदि कोई हो, पर विचार किये जाएंगे।
पुनः हमारी सूचना के अनुसार कम्पनी की शेयरों के लिये ट्रेडिंग विण्डो सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015, यथा-संशोधित के अनुपालन में इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन तथा रिपोर्ट के लिये निर्मित इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कम्पनी की नीति (''नीति'') के प्रावधानों के अनुसार 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेंगे।
यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.acilnet.com तथा स्टॉक एक्सचैंज जहां कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईट अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लि. (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया)लि. के लिये
स्थान: नई दिल्ली हस्ता/-
तिथि: 2.11.2019 विपिन कुमार तिवारी
जी एम (कॉर्पोरेट) एवं कम्पनी सचिव

KEI केईआई इंडस्ट्रीज लि.
पंजी. कार्यालय: डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020
CIN: L74899DL1992PLC051527
टेली: +91-11-26818840/8642
फैक्स: +91-11-26817225
ईमेल: cs@kei-ind.com
वेबसाईट: www.kei-ind.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त 2री तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।
पुनः जैसा कि हमारी पत्र तिथि 30 सितम्बर, 2019 के माध्यम से पूर्व में सूचित किया गया है, कम्पनी द्वारा निर्मित इंसाइडर्स द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिए आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इंसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी के ट्रेडिंग विंडो कम्पनी के सभी विनिर्दिष्ट कर्मचारियों (तथा उनके नजदीकी संबंधियों) के लिये 01, अक्टूबर, 2019 से कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद अर्थात 14 नवम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।
विस्तृत विवरणों के लिए निवेशक कंपनी की वेबसाईट **(www.kei.ind.com)** तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट **(www.bseindia.com)** तथा **(www.nseindia.com)** देखें।
केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(अनिल गुप्ता)
स्थान: नई दिल्ली अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
तिथि: 2.11.2019 **DIN: 00006422**

MEDICAMEN BIOTECH LTD.
Regd. Office: 1504, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019
(CIN: L74899DL1993PLC056994)
Website: www.medicamen.com
Email id: cs@medicamen.com
NOTICE
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Meeting of Board of Directors of Medicamen Biotech Limited will be held on Friday, November 08, 2019, at 1500, Chiranjiv Tower, 43 Nehru Place Near Delhi-110019, inter alia to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2019.
The notice may be accessed on the Company's website at www.medicamen.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.
By order of the Board
For Medicamen Biotech Limited
Sd/-
Place: New Delhi Parul Chaudhary
Dated: 02.11.2019 Company Secretary

इंडिया फिनसेक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: डी-16, प्रथम फ्लोर, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085
CIN: L65923DL1994PLC060827,
फोन: 011-47096097
वेबसाईट: www.indiafinsec.com,
ई-मेल आईडी: indiafinsec@gmail.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (ए) तथा 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया फिनसेक लिमिटेड के निदेशक मंडल की 7/2019-20 बैठक गुरुवार, 14.11.2019 को 3.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें 30.9.2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणाम तथा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
विवरणों के लिए वेबसाईट http://www.indiafinsec.com/investorsinfo/ एवं http://www.bseindia.com देखें।
इंडिया फिनसेक लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली वर्षा भारती
तिथि: 2.11.2019 कम्पनी सचिव

इंडियन अफिलिएट्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: कम्पनी सचिवालय, बाय हार्टीकल्चर, जिला मोहाली (पंजाब)
CIN: L24301PB1986PLC006715
सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के अनुपालनों एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 30.09.2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक चंडीगढ़ में 14.11.2019 को आयोजित की जाएगी।
कृते इंडियन अफिलिएट्स लिमिटेड
स्थान: चंडीगढ़ भवदीप के. गुप्ता
दिनांक: 02.11.2019 कम्पनी सचिव

एसएचई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: एससीओ 41-42, सैक्टर 26, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ 160019
CIN: L00000CH1983PLC031318
सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के अनुपालनों एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 30.09.2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक चंडीगढ़ में 14.11.2019 को आयोजित की जाएगी।
कृते एसएचई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
स्थान: चंडीगढ़ सुमीत बोरा
दिनांक: 02.11.2019 कम्पनी सचिव

सवेरे ट्रेड एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
CIN: L51909DL1990PLC040761
पंजी. कार्यालय: 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेली.: (91-11) 25747696, 2575 1934/35/36, फैक्स: (91-11) 2575 1937/38
वेबसाईट:www.savaretrade.com, ईमेल: narendermakkar@yahoo.com
सूचना
स्टॉक एक्सचैंज के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 12.11.2019 को 4.00 बजे अप. में 3 रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.09.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।
सवेरे ट्रेड एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
नरेन्दर कुमार मक्कर
(DIN:00026857)
स्थान: नई दिल्ली निदेशक
तिथि: 2.11.2019

रूंगटा ईरीगेशन लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
CIN: L74899DL1986PLC023934
टेली: 011-40453330
Email: info@rungtairrigation.in
Website: www.rungtairrigation.in
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियमन 29 (1) (ए) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019 को 12 बजे अप. में 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 सित. 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
पुनः विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो जो 1 अक्टूबर, 2019 (पत्र तिथि 28 सितम्बर, 2019 के माध्यम से) से बंद है, उपरोक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.rungtairrigation.in पर भी उपलब्ध होंगे।
रूंगटा ईरीगेशन लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
नई दिल्ली पूजा जुनेजा
2.11.2019 (कम्पनी सचिव)

ओरासिस सिम्फनी इंडिया लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 63, टेक्नोलुक सेक्टर, 64, गौतम बुध नगर, नई दिल्ली-110000
ईमेल: info@orasil.com
वेबसाइट: www.orasil.com
CIN: L74130DL1994PLC059341
फोन नं. 120-4125476
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, स्वीकृत और रिकॉर्ड पर लेने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **शनिवार, 9 नवम्बर, 2019 को दोपहर 12:00 बजे** कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय ए-64, सेक्टर 2, नोएडा-201301 में आयोजित किया जाएगा।
इससे संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.orasil.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **ओरासिस सिम्फनी इंडिया लिमिटेड**
हस्ता./-
(वी.के. नवल)
स्थान: नई दिल्ली प्रबंध निदेशक
तिथि: 1.11.2019 DIN: 00003529

TIRNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Regd. off.: Tirna House, No. 6 Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi - 110030.
Phone: 011-49518530 • Fax: 011-26807073
Email: investor@tirna.in Web: www.tirna.in
CIN L51909DL1987PLC027186
NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 14th November, 2019, at the Registered Office of the company, inter-alia, to consider and approve the Standalone & consolidated unaudited Financial results of the Company for Quarter and Half year ended on 30th September, 2019.
The information contained in this notice is also available on Company's website at www.tirna.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com
For Tirna Rubber And Infrastructure Limited
Place : New Delhi Vaibhav Pandey
Date: 02.11.2019 Company Secretary

हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड
सीआईएन: L51909DL1982PLC014434
पंजीकृत कार्यालय: एस-191/सी, तीसरा तल, मानक कॉम्प्लैक्स, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
ई-मेल : info@helpagefinlease.com
वेबसाइट: www.helpagefinlease.com
फोन : 011-22481711
सूचना
सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 33 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर 2019 को अप. 2.00 बजे एस-191/सी, तीसरा तल मानक कॉम्प्लैक्स, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड में लिया जाएगा।
यह सूचना www.helpagefinlease.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से
मैसर्स हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली सिद्धार्थ गोयल
दिनांक: 01.11.2019 प्रबंध निदेशक

अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड
CIN: L67120HR1980PLC039125
कार्यालय: प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा-122003
फोन: 0124-4556677
ईमेल: info@aravalisecurities.com
वेबसाईट: www.aravalisecurities.com
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33, 47 तथा अन्य लागू होने वाले विनियमन, यदि कोई हो, के अनुपालन में अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019 को 3.00 बजे अप. (आईएसटी) में उसके पंजीकृत कार्यालय-प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122003 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थान: गुरुगाँव रुचि श्रीवास्तव
तिथि: 4.11.2019 कम्पनी सचिव

स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि.
पंजी. कार्यालय: ग्राम-मेलनहेड़ी, तहसील, बरवाला, जिला पंचकूला (ह.)
CIN: L27109PB1972PLC003133
सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के अनुपालनों एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 30.09.2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक चंडीगढ़ में 14.11.2019 को आयोजित की जाएगी।
कृते स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि.
स्थान: चंडीगढ़ दीपिका गुप्ता
दिनांक: 02.11.2019 कम्पनी सचिव

स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: ग्राम हरिपुरा, जिला सोनीपत (ह.)
CIN: L49202PB1973PLC003610
सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के अनुपालनों एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 30.09.2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक चंडीगढ़ में 14.11.2019 को आयोजित की जाएगी।
कृते स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड
स्थान: चंडीगढ़ ज्योत्सना बजाज
दिनांक: 02.11.2019 कम्पनी सचिव

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड
सीआईएन : एल15142आरजे1991पीएलसी006353
पंजीकृत कार्यालय : बी-536-537 मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर-301030 (राजस्थान)
फोन नं. : +91 77378 22222, ई-मेल : sardaproteins@yahoo.com,
वेबसाईट : www.sardaproteins.com
सूचना
एतद् द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के विनियम 47 के अनुसार में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक **बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को अप. 4.00 बजे** निगामित कार्यालय इन्साइड डाटा इन्जीनियस ग्लोबल लिमिटेड, स्टेशन रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर 302018 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य के साथ, **30 सितम्बर 2019** को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम के साथ संपत्ति एवं दायित्व और रोकड़ प्रवाह विवरण विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे तथा उनके संबंध में सीगित अलेखापरीक्षक की रिपोर्ट अभिलेखबद्ध की जाएगी।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.sardaproteins.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।
सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड द्वारा
हस्ता.- अमित कुमार मोदी
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ACS-29371
तिथि : 02.11.2019
स्थान : जयपुर

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के तहत 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि ऋणीहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सामने अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 01. नवम्बर, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद करें/सौदा न कर

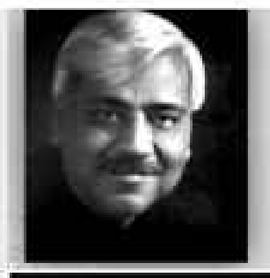

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

छुटकी के साथ

छुटकी मुझे बहुत प्रिय है। मैं उसके साथ बहुत समय बिताता हूं। खासकर अपने एकांत और खामोशी का समय। वह सब जानती है और शायद इसीलिए छुटकी मेरा भाव और मन भांप कर उसमें एक क्षण में रम जाती है। वह न कोई सवाल करती है और न ही अपने मन की बात जाहिर करती है। बस मेरे प्रवाह में जैविक, प्राकृतिक रूप से शामिल हो जाती है। उसका यह भाव मुझे बहुत भाता है। जब मैं किसी सोच में होता हूं तो उसको दुलारने लगता हूं। पता नहीं क्यों गहन सोच मेरे मन में उसके लिए दुलार उत्पन्न कर देता है और मैं उसके सिर पर हाथ फेरने लगता हूं। वह गोदी में और सिमट आती है और बस एकटक सिर उठाए मेरी आंखों से मौन संवाद करती है। विचार का जब कभी तारतम्य कुछ क्षणों के लिए टूटता है, तो मैं उसकी आंखों में देख कर प्यार से मुस्करा देता हूं। उसके लिए वह पल भर की मुस्कराहट काफी है– वह समझ जाती है कि हम कह रहे हैं कि छुटकी बिटिया अब हम तुम्हे क्या बताएं, हम किस कशमकश में हैं? क्या हम कहें और तुम सुन कर क्या करोगी? हर आदमी को अपनी उलझन खुद ही सुलझानी पड़ती है। उसकी कोई क्या मदद कर सकता है।

पर छुटकी अपनी तरह से मदद हर बार करती है। चुप रह कर, खामोश समझदारी बरत कर। उसको खूब मालूम है कि किसी भी उलझन का कोई स्थायी हल नहीं है। वह समझती है कि इंसान अल्पकालिक कामचलाऊ प्रतिवचन जरूर ढूंढ़ सकता है, पर अपने हालात पर महावत की तरह अंकुश नहीं लगा सकता है। पहली कशमकश दूसरी कशमकश की जननी होती है और यह प्रक्रिया अंत तक चलती रहती है। यह वह रक्त बीज है, जो हर पल मनुष्य के मानस में नया दानव उत्पन्न करता है और उसका सारा जीवन असंख्य दानव-छायाओं से आभासी युद्ध करते हुए गुजरता है।

पर छुटकी की जिंदगी में आभासी कुछ भी नहीं है। सब कुछ वास्तविक है। इसलिए वह न तर्क करती है और न ही दर्शन की ओर जाती है। उसके लिए स्पर्श की आत्मीयता सर्वप्रधान है। स्पर्श सब कुछ कह जाता है और उसका अनुभव स्वयं में विस्तृत वार्तालाप का बोध है। छुटकी का हर स्पर्श मुझमें एक अनूठा बोध जगाता है।

छुटकी और मेरी योनि अलग अलग हैं। कहते हैं, लाखों योनियां पार करने के बाद ही मनुष्य योनि मिलती है। मैं मनुष्य योनि को प्राप्त हूं। छुटकी श्वान योनि में है। मेरे पास विवेक है। कहते हैं, पशु विवेकहीन होते हैं। मनुष्य और पशु के बीच विवेक ही सबसे महत्त्वपूर्ण भेद है। इसलिए मनुष्य जाति पशु जाति से उत्कृष्ट है। मेरे पास विवेक है और मैं अक्सर उलझनों में फंसा रहता हूं। छुटकी विवेकहीन है। उसकी सद्भावना, उसका समर्पण, अगाध प्रेम और सहज समझ मेरे

> छुटकी खिलने को आतुर है। मैं, उसको अपने मन की तरह, बांधे रहता हूं। मैं अपने डर से बंधा हूं और बेचारी छुटकी मुझसे बंधी हुई है। मैं मन की आजादी से सहम जाता हूं। छुटकी बेपरवाह है।

विवेक को अक्सर लांघ कर मुझे उस संवेदना तक ले जाते हैं, जिसमें सोच के बोझ को मैं झटक कर सिर्फ उस पल के आनंद के स्पर्श से अभिभूत हो जाता हूं। विवेक पर अनुभव की अनुभूति मुझे यकायक सरस बना देती है। सोच पिघल कर 'होने' की तरलता का एहसास जगा देती है।

छुटकी जब भी मुझे टकटकी बांधे देखती है, धीरे से और पास और फिर और पास खिसकती आती है, तो वह अपनी मूक संवेदनाओं को मुझसे संबद्ध कर निष्कर्षों के बियाबान में भटकने से बचा लेती है। वह सूंघ कर रास्ता ढूंढ़ लेती है, जबकि मैं विवेचना के झाड़ झंखाड़ में फंसा रहता हूं। हम सूंघ नहीं पाते हैं और शायद इसीलिए हमें हमेशा दिशा और दशा भ्रम रहता है। हमारा दिमाग और जुबान ज्यादा चलती है और सहज प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं। इनके जरिए हमने अपने आप को लाचार कर दिया है।

ऐसा नहीं है कि छुटकी कोई विशिष्ट जंतु है। उससे पहले मेरी लाडो थी। उसकी तबियत को लेकर मैंने कुछ ज्यादा ही बुद्धि लगाई थी और वह अकाल ही काल का ग्रास बन गई थी। बेहद पछतावा हुआ था। लाडो की कमी बहुत महसूस होती थी, पर काफी समय तक हिम्मत नहीं हुई थी कि दूसरी बिटिया को घर ले आने का खयाल भी मन में पालें। पर एक दिन लाडो का खयाल मन से उठ कर दिमाग पर हावी हो गया। छुटकी घर आ गई। उसने हमारी गोद में बैठ कर एहसासों को फिर से हरा-भरा कर दिया। लाडो की सोच खत्म हो गई थी। उसका अनुभव फिर जी उठा था।

छुटकी कहो या लाडो, बात एक ही है। हम लोग रोज शाम को घूमने जाते हैं। सूरज के अस्त होने के कुछ पहले ही छुटकी अपनी दोपहर की नींद से उठती है और अपना पट्टा लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। अगर मैं टालमटोल करता हूं तो अपना पंजा मेरे हाथ पर बार-बार मार कर चलने का आग्रह करने लगती है। मेरे उठते ही उस पर शोखी सवार हो जाती है। बल खाती, वह कभी मेरे आगे-आगे दौड़ती है तो कभी अचानक मुड़ कर मेरे पैरों में लिपट जाती है। अगर मैं रुक जाऊं तो पलट कर वह दबे स्वर में भौंकती है। वह स्वर शिकायत का होता है– रुक क्यों गए? आओ मेरे साथ दौड़ो न! उसकी शाम की शोखी मेरे मन में भी उल्लास जगा देती है। उसका अपने पट्टे को खींचना ठीक उसी तरह होता है जैसे कभी-कभी मेरा मन अपनी सीमा रेखाओं को खींचने लगता है। मस्ती बंधन नहीं चाहती है। शोखी बेलगाम होकर ही खिलती है। छुटकी खिलने को आतुर है। मैं, उसको अपने मन की तरह, बांधे रहता हूं। मैं अपने डर से बंधा हूं और बेचारी छुटकी मुझसे बंधी हुई है। मैं मन की आजादी से सहम जाता हूं। छुटकी बेपरवाह है। उसकी अपनी वृत्ति पर भरोसा है। मुझको अपनी वृत्ति पर भरोसा नहीं है। मैं समझदार आदमी हूं, इसलिए अपने अंदर की शोखी का संज्ञान लेने से बचता हूं। कृत्रिम भोग और विलास मेरा लक्ष्य है। सब कुछ है, बस वह छुटकी वाली मस्ती नहीं है। शाम की बयार में ठुमक-ठुमक कर चलने की शोखी नहीं है।

मैं खुश नहीं हूं। छुटकी खुश है। हम दोनों साथ हैं, क्योंकि उसका मुझसे जो रिश्ता है वह मेरी इस कमी को पूरा करता है। छुटकी इंसानी दिवालियापन को जन्मजात समझती है। वह मेरी पूरकता की प्राप्ति के लिए अपनी आहुति दे रही है। पट्टे से बंधी है, पर बेबाक अंतरंगता से हर बार मेरी एक और गिरह खोल देती है। मुझे आदमी से इंसान बनाने की उसकी उत्सुकता मेरी उदासीनता को अपने पर हावी नहीं होने देती है। सही मायने में वह मेरी 'बेस्ट फ्रेंड' है।

सभी को चाहिए गांधी

जगमोहन सिंह राजपूत

इस समय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में चर्चा और चिंता के मुख्य विषय या तो हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, हथियार, अविश्वास, पलायन आदि से संबंधित होते हैं या जलवायु परिवर्तन, जल संकट, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत, बढ़ता समुद्री जल स्तर और कई राष्ट्रों के विलुप्त होने की आशंकाओं से जुड़े होते हैं। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि लगभग प्रत्येक में कोई न कोई व्यक्ति गांधी को याद करता है! उसके बाद विमर्श की दिशा ही बदल जाती है। ऐसा लगाने लगता है कि आज की कठिन परिस्थितियों में भी सामान्य मानवीय प्रयासों से मनुष्य और प्रकृति के बीच की लगातार कमजोर होती कड़ी को पुनर्जीवित करना संभव है। मगर भारत ने तो गांधी के विचारों को उनके जीवनकाल के अंतिम वर्षों से ही– बिना कहे– नकारना शुरू कर दिया था। गांधी खुद भी इससे अनभिज्ञ नहीं थे।

गांधी ने चालीस वर्ष की आयु में 'हिंद स्वराज' लिखा। जिन आशंकाओं को गांधी ने अपनी दूरदृष्टि से पहचान लिया था वे चिंताजनक परिमाण में अब भारत के सामने आ गई हैं, मगर समाधान हम पश्चिम की सोच की नकल से ही पाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने 'हिंद स्वराज' में लिखा कि : 'मेरी पक्की राय है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों से नहीं, बल्कि आजकल की सभ्यता से कुचला जा रहा है, उसकी चपेट में वह फंस गया है। उसमें से बचने का अभी भी उपाय है, लेकिन दिन-ब-दिन समय बीतता जा रहा है।' इसके साथ ही उनकी भारत की गहरी समझ इन शब्दों में व्यक्त होती है : 'मैं मानता हूं कि जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है, इस सभ्यता को पाने में दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं, उनकी बराबरी कर सकें ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का केवल नाम रह गया, मिस्र की बादशाहत चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया और चीन का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गिरा-टूटा जैसा भी हो, हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है।' गांधी के लिए स्वराज का अर्थ अपना शासन ही नहीं था, वह था अपने 'ऊपर ऊपर शासन'! और यह विदेशी शासन से आजादी पाने से भी कठिन चुनौती है। लेकिन रास्ते हैं।

पहला रास्ता तो यही था कि हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी, 'क्योंकि अमीर अपनी अमीरी की वजह से सुखी नहीं है और गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है!' दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर गांधीजी ने गोखले के परामर्श के अनुसार भारत का भ्रमण किया, उसे जाना, पहचाना; उसी के आधार पर आगे बढ़े। वे समझ लगातार विकसित होती रही, और 7 नवंबर 1929 को उन्होंने 'यंग इंडिया' में लिखा : 'हम एक ऊंची ग्राम-सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारे देश की विशालता और हमारी भूमि की स्थिति तथा आबोहवा, मेरी राय में; मानो यह तय कर दिया है कि उसकी सभ्यता ग्राम सभ्यता ही होगी। उसके दोष तो मशहूर हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा नहीं है, जिसका इलाज न हो सकता हो।'

इसके आगे उन्होंने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिलाया था : उस समय देश की आबादी तीस करोड़ थी। उतनी 'बड़ी' आबादी के लिए और कोई विकल्प था ही नहीं, ग्राम स्वराज के अलावा! हां, विकल्पों पर तब विचार हो सकता था अगर आबादी केवल तीन करोड़ की जा सकती! क्या आज एक सौ तीस करोड़ पर आधुनिक सभ्यता और शहरीकरण का बोझ डालना सही रणनीति मानी जा सकेगी? अगर हमने अपनी योजनाओं में ग्राम स्वराज और किसान तथा मिट्टी को शुरू से ही गांधी के इच्छानुसार तरजीह दी होती, तो आज किसानों की आत्महत्याओं का 'सामान्यीकरण' न हो गया होता! किसानों का ऋण माफ करने की योजनाएं अब चुनाव घोषणा पत्रों का आवश्यक अंग बन गई हैं : चौबीस घंटे में माफ; दस दिन में माफ! बाद में क्या होता या नहीं होता है, इस पर बहसें होती रहती हैं।

यह तथ्य कोई नकार नहीं सकता है कि किसान के कष्ट और निराशाएं बढ़ती ही रहती हैं, उनके गांव उजाड़ होते जा रहे हैं! दिल्ली में हवा में जहर घुलता है, हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाने के गुनहगार घोषित कर दिए जाते हैं, जेलों में डाले जाते हैं, अन्य प्रकार से भी प्रताड़ित होते हैं, मगर कोई सरकार आगे आकर उनके समक्ष पराली के वैकल्पिक उपयोग के संसाधन उचित परिमाण में उपलब्ध कराने का दायित्व लेने का कष्ट नहीं उठाती है। गांधी तो आत्मनिर्भर गांव की संरचना चाहते थे, वे उस तकनीक के भी विरुद्ध नहीं थे, जो उसमें सहायता कर सके। गुजरात के अमूल का उदाहरण बहुत कुछ कहता है। इसमें डेरी उद्योग में नई आधुनिक तकनीकी का समय की आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर उपयोग किया गया है। लाखों किसानों के जीवन पर इसका सार्थक और समर्थक प्रभाव पड़ा है। गांधी की इसी दृष्टि से समझना होगा। वे गतिशीलता के विरुद्ध कभी नहीं रहे, अपने सोच और विचारों में बदलाव को वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते थे।

संदर्भ

> आज के नीति निर्धारक अगर गांधी के विचारों को समझाने का सघन प्रयास करें, उसके मूल उदेश्य तथा लक्ष्य को पहचान सकें, तो निश्चित रूप से बदली हुई परिस्थितितों में भी समाधान निकाले जा सकेंगे, जिनमें स्वदेश, स्वराज और स्वदेशी पुन: अपना उचित स्थान पा सकेंगें।

इंदौर की एक आमसभा में 10 मई, 1935 को गांधीजी ने कहा था कि वे इस धारणा से सहमत नहीं हैं कि हिंदुस्तान की आबादी इतनी बढ़ गई है कि उसके भरण-पोषण के लिए मशीनों की आवश्यकता है। वे मानते थे कि 'हम हिंदुस्तान के छोटे-छोटे उद्योगों से करोड़ों रुपए का धन पैदा कर सकते हैं। उसमें पैसे की भी विशेष आवश्यकता नहीं है, जरूरत है लोगों की मेहनत की।' गांधीजी औद्योगिक सभ्यता के खिलाफ थे। वे ऐसे यंत्र नहीं चाहते थे, जो 'काम न रहने के कारण आदमी के अंगों को बेकार बना दें।' गांधी का विश्वास था कि जब तक व्यक्ति मशीन का मास्टर है, उसका उपयोग होना चाहिए। मगर जब मशीन व्यक्ति की बॉस हो जाएगी तब मशीन का ही शासन होगा! इससे बचाना चाहिए।

आज एआई- आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस- का जमाना है। युवा जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। रही गांव की बात, तो जब ट्रैक्टर आए, श्रम कम हुआ, मगर साथ ही साथ पशु हटे और घटे, पेड़ कटे, तालाब और अन्य जल स्रोत विलुप्त होते गए, मशीनों के कारण यह सब भी आसान होने के कारण आंख मूंद कर होता गया! मगर अब हम कहां पहुंचे हैं? हमारी कृषि भूमि से रासायनिकों के दुष्प्रभाव को निकाल पाना असंभव-सा लगता है, जलस्तर नीचे जा रहा है, खाद्य पदार्थों में जहरीली मिलावट बढ़ती ही जा रही है। आज आर्गेनिक फल, सब्जियां तीन-चार गुने दामों में लोग ढूंढ़ रहे हैं! और भी बहुत कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। सरकारें चीन के लिए बाजार खोल देती हैं, वे सस्ते माल से बाजार को पाट देते हैं। जनता से अपेक्षा की जाती है कि वह चीनी माल न खरीदे! यह कैसी विडंबना है? कहां गए वे दस्तकार, कारीगर जो अंतिम पंक्ति में खड़े थे और जिनके लिए गांधी हर पल चिंतित रहते थे?

'हिंद स्वराज' के तीस वर्ष बाद गांधीजी ने स्वयं कहा कि अगर मैं हिंद स्वराज पुनः लिखूं, तो कुछ शब्द बदल दूंगा, मगर मूल भावना और संकल्पना तो वही रहेगी। आज के नीति निर्धारक अगर गांधी के विचारों को समझाने का सघन प्रयास करें, उसके मूल उदेश्य तथा लक्ष्य को पहचान सकें, तो निश्चित रूप से बदली हुई परिस्थितितों में भी समाधान निकाले जा सकेंगे, जिनमें स्वदेश, स्वराज और स्वदेशी पुनः अपना उचित स्थान पा सकेंगें।

अपना पक्ष रखना जरूरी है

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

कुछ बातें हैं, जो हम 'सेक्युलर' मिजाज के पत्रकार कहने से डरते हैं, खासकर हिंदुत्व के इस दौर में। मिसाल के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब हिंदुओं का मजाक उड़ाया हाल में दिए गए एक भाषण में, तो उसको हमने अनसुना कर दिया। निजी तौर पर मुझे बहुत तकलीफ हुई जब हैदराबाद के इस आला राजनेता ने कहा कि 'कितने खुदा हैं इनके, रोज एक नया खुदा पैदा कर देते हैं न'। मगर मैंने भी इस भाषण के बारे में नहीं लिखा। आज भी शायद उन दो वीडियो क्लिप को देख कर चुप ही रहती, जो मैंने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर देखे थे। जिक्र अगर उनका कर रही हूं तो सिर्फ इसलिए कि उनका सीधा रिश्ता है जम्मू-कश्मीर से। पहला वीडियो पाकिस्तान का है। इसमें दिखते हैं छोटे बच्चे, जो एक लाइन में खड़े होकर अपने से थोड़े बड़े बच्चे को मुस्कुरा कर गले मिल रहे हैं। यह बच्चा फिर अपने आप को नकली मानव बम बना कर गिर पड़ता है बच्चों से थोड़ी दूर जाकर। बैकग्राउंड में सुनाई देती हैं कुरान की आयतें।

दूसरा वीडियो इराक से था, जिसको बनाया गया था अबु बकर अल-बगदादी की हत्या के अगले दिन। इसमें दिखती हैं काले बुर्कों में कई सारी औरतें, जिनकी सिर्फ आंखें दिखती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को भी काले दस्तानों से ढक कर रखा है। ये औरतें मातम करती हैं बगदादी के लिए, यह कहते हुए कि उनको यकीन है कि नया खलीफा आएगा बगदादी की जगह लेने, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है कि दुनिया में एक भी काफिर जिंदा न रहे। कश्मीर से रिश्ता यह है कि इस किस्म का इस्लाम काफी सालों से फैलने लगा है कश्मीर घाटी में और इतना प्रभाव रहा है इसका कि घाटी का मजहबी चेहरा भी बदल गया है और 'आजादी' की लड़ाई का मकसद भी। अब मकसद आजादी नहीं है, मकसद बन गया है कश्मीर घाटी में शरीअत नाफिस करना। कहने की जरूरत नहीं, लेकिन कहना जरूरी भी है कि भारत किसी हाल में अपनी भूमि पर एक इस्लामी खिलाफत को कायम होने नहीं दे सकता है।

समस्या यह है कि बहुत सालों से इसके लिए जिहाद चल रही है कश्मीर घाटी में और इसको न कश्मीरी राजनेता रोक सके हैं, न दिल्ली के राजनेता। पिछले हफ्ते जिस दिन जम्मू-कश्मीर का राज्य होना कानूनी तौर पर हटाया गया, कांग्रेस के वरिष्ठ कश्मीरी राजनेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर समस्या पैदा हुई है सिर्फ 2014 के बाद। यानी दोष सारा नरेंद्र मोदी का है। झूठ है यह। आजाद साहब अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर समस्या 1947 में पैदा हुई थी और जिंदा रही है आज तक कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की गलत नीतियों के कारण। मोदी की गलती सिर्फ एक है कि उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उसको हटाने के कारण दुनिया के सामने नहीं रखे हैं। दुनिया के बड़े राजनेताओं को समझाने की खुल कर कोशिश नहीं की है कि वर्तमान स्थिति यह है कश्मीर घाटी में कि आइएसआइएस किस्म की खिलाफत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जिहादी आतंकवादी।

> मोदी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए दुनिया के सामने साबित करना कि अनुच्छेद 370 को हटाए बिना कश्मीर घाटी से जिहादी आतंकवाद को रोकना तकरीबन असंभव था। जिहादी आतंकवाद और जिहादी सोच सिर्फ भारत के लिए समस्या नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है।

ऐसा करने के बदले पांच अगस्त के बाद मोदी सरकर का ध्यान ज्यादातर अटका रहा है इस बात को साबित करने में कि अब कश्मीर घाटी में हालात बिलकुल 'नॉर्मल' या सामान्य हो गए हैं और आम लोग बहुत खुश हैं, उनके राज्य की बदली हुई स्थिति को देख कर। इस झूठ को सच साबित करने के मकसद से यूरोप के कुछ सांसदों को कश्मीर ले जाया गया पिछले हफ्ते। वहां से लौटने के बाद उनमें से कई थे, जिन्होंने कहा कि उनको अगर घाटी का दौरा करने की इजाजत मिली है, तो भारत के विपक्षी राजनेताओं को भी मिलनी चाहिए। कइयों ने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन यह भी कहा कि कश्मीर के राजनेताओं को इतने महीने नजरबंद रखना ठीक नहीं है। ऊपर से अपने देश के मीडिया में सवाल उठने लगे हैं कि इस यूरोपीय पर्यटन के लिए पैसे किसने दिए थे। इस तरह की कोशिशें अक्सर नाकाम रहती हैं इस दौर में, जब सोशल मीडिया पर आम इंसान अपनी बातें रख सकते हैं जब चाहें।

दुनिया जानती है कि कश्मीर घाटी में अभी तक स्थिति सामान्य नहीं है। दुनिया जानती है कि वहां के तकरीबन सारे बड़े राजनेता अभी तक नजरबंद हैं। दुनिया जानती है कि घाटी में तीन महीनों से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। दुनिया जानती है कि कश्मीर में हर दूसरे दिन कर्फ्यू लग जाता है। दुनिया जानती है कि सेल फोन सेवाओं से अभी तक ज्यादातर लोग वंचित रखे गए हैं। दुनिया यह भी जानती है कि घाटी के कई हिस्सों में अभी तक जिहादी संस्थाओं का बोलबाला है। यही कारण है कि बाहर से आए मजदूरों की निर्मम हत्याएं हुई थीं हाल में, ताकी खौफ का माहौल बना रहे।

सो, मोदी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए दुनिया के सामने साबित करना कि अनुच्छेद 370 को हटाए बिना कश्मीर घाटी से जिहादी आतंकवाद को रोकना तकरीबन असंभव था। जिहादी आतंकवाद और जिहादी सोच सिर्फ भारत के लिए समस्या नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। भारत सरकार ने अपना पक्ष अभी तक पूरी तरह रखा नहीं है, सो फिलहाल पाकिस्तान बाजी जीत रहा है।

चुपाय मारो दुलहिन

बारखबर

■ सुधीश पचौरी

दीपावली आई तो यूपी सरकार ने रिकार्ड संख्या में दीपक जलाने का अपना ही पुराना रिकार्ड तोड़ डाला!

गिनीज बुक वाले भी क्या करते! इस बार राम की पैड़ी पर पांच लाख इक्यावन हजार दीपक जलाए गए थे। इससे पहले तीन लाख से ऊपर दीये जलाने का रिकार्ड बनाया था। इस बार सीधे पांच लाख से ऊपर। अगली बार शायद दस लाख हों, क्योंकि तब तक अयोध्या सबंधी 'फैसला' भी आ चुका होगा!

हिंदी वाले चैनल तो अयोध्या के नाम मात्र से ही भक्तों की तरह रोमांचित हो उठते हैं। इस बार कई अंग्रेजी चैनल भी अयोध्या के भक्त हो गए। ऐसे में इतने सारे दीपकों के जलने से होने वाले प्रदूषण पर सवाल कोई क्यों करता?

ऐसे अवसरों पर कई एंकर अचानक साड़ी, बिंदी वाली हो उठती हैं। और कई एंकर सूट छोड़ कुर्ता, जाकेट में आ जाते हैं, मानो सब थोड़ा-थोड़ा हिंदू बन जाते हैं।

'जैसी बहै बयार पीठ तब तैसी दीजै' इसी को कहते हैं। इन दिनों वे सीन में अपने को ही पूरी तरह डुबो देते हैं, ताकि प्रभुजी की कृपादृष्टि उन पर किसी तरह पड़ जाए!

दिवाली बीती ही थी कि फोकस में कश्मीर आ गया। यूरोपीय संघ के सत्ताईस सासंदों का मन कश्मीर देखने को मानो मचल उठा और हमारे कुछ चैनल उनकी आगमनी करने में लगे रहे। लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा जो न कराए सो थोड़ा। देखते-देखते सत्ताईस देवताओं का कश्मीर दर्शन कामेडी बन गया।

जो कथित रूप से कश्मीर की जनता का हालचाल जानने गए थे, वे हमें डल झील के शिकारों में बैठ सैर करते, ठहाके लगाते दिखे। बाद में कुछ एंकरों ने बताना शुरू किया कि सत्ताईस देवता कहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद का खतरा है, यों सब ठीक-ठाक है।...

वे शिकारे में बैठ मस्ती करें और हमारा विपक्ष हवाई अड्डे से ही वापस कर दिया जाए? कई न्यायप्रिय चैनलों को यह अन्याय काफी बाद में समझ में आया और बाकी की कसर विपक्ष की चोटों ने पूरी कर दी।

पहली बार सत्ता पक्ष के प्रवक्ता-जन हकबकाते दिखे। लोग पूछते रहे कि सरकार कहती रही है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, तब इसका इस तरह से अंतरराष्ट्रीयकरण क्यों किया जा रहा है? किसने इस टूर को फाइनेंस किया है? सरकार से उसका क्या रिश्ता है?

इन सवालों का कोई सटीक जवाब प्रवक्ताओं के पास नहीं दिखा। पहली बार कुछ भक्त एंकर भी कश्मीर को लेकर की जाती इस अनीति की निंदा करते दिखे।

और धन्य हैं हमारे चैनल! जब कभी ये किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो बड़े से बड़े की ऐसी की तैसी कर देते हैं। यही हुआ। एंकरों ने पूछना शुरू कर दिया कि इस टूर की आयोजिका स्वनामधन्या 'मादी शर्मा जी' आखिर हैं कौन? सरकार की वे हैं कौन?उनको सीधे अंदर तक पहुंच रखने का हक किसने दिया?

> दिवाली बीती ही थी कि फोकस में कश्मीर आ गया। यूरोपीय संघ के सत्ताईस सासंदों का मन कश्मीर देखने को मानो मचल उठा और हमारे कुछ चैनल उनकी आगमनी करने में लगे रहे। लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा जो न कराए सो थोड़ा।

एक चैनल ने स्वनामधन्या के पते पर छापा मारा, ताकि प्रामाणिक खबर दे सके, लेकिन उनका दफ्तर उसे बंद मिला। किसी ने उनको बताया कि यह हफ्ते बाद खुलेगा!

इसे कहते हैं 'होम करते हाथ जला लेना'!

पहली बार एक 'ऑफिशियल'-सा दिखता, पर 'अनऑफिशियल' बताया जाता 'शो' एकदम 'प्लॉप' नजर आया। सत्ताईस देवता कब विदा हो गए इसकी खबर तक न बनी!एक चर्चक ने अफसोस जताया कि ये लोग 'पीआर' तक कायदे से नहीं कर सकते! एक ने तो इसे 'कठपुतली शो' भी कहा!

इस बीच हरियाणा में तो सरकार बन गई, लेकिन महाराष्ट्र में लटकी रही। एक दिन खबर आती कि शिवसेना मान गई है, फिर अगले दिन खबर टूटती कि जी नहीं, वह तो फिफ्टी-फिफ्टी पर अड़ी है। सारी निगाहें शिवसेना के संजय राउत के बोलने पर लगी रहीं।

फिर एक सुबह कई चैनल खबर देते रहे कि भाजपा-शिवसेना के बीच सब कुछ तय हो चुका है। शिवसेना को डिप्टी सीएम के साथ तेरह मंत्रालय और मिलने वाले हैं, लेकिन शाम आते-आते संजय राउत फिर भाजपा को फिफ्टी-फिफ्टी के वादे की याद दिलाते दिखे और शुक्रवार की सुबह की खबर यह आई कि शिवसेना के संजय राउत शरद पवार से मिले हैं। उन्हीं के हवाले से एक चैनल ने यह खबर भी दी कि शिवसेना के पास दो तिहाई बहुमत है!

परिणाम चाहे जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि शिवसेना ने भाजपा की अकड़ ढीली कर दी है।

इसी दौरान पीएमसी बैंक घोटाले की कृपा से छठा खाताधारक भी स्वर्ग सिधार गया। बहुत से खाताधारक आजाद मैदान में धरना देते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन अभी तक किसी एक बड़े केंद्रीय नेता के कान पर जूं नहीं रेंगी! न किसी ने भरोसा दिया कि जमा रकम खाताधारकों को वापस मिलेगी। रिजर्व बैंक को कारगर हस्तक्षेप करना था, जो अब तक नहीं किया गया। यह कैसी वित्तीय व्यवस्था है? कौन-सी बैंकिंग प्रणाली है कि लोग अपने ही पैसे के लिए तरस रहे हैं और जो अपने आर्थिक संकट को सह नहीं पा रहे और तिल तिल करके मर रहे हैं!

वृहस्पतिवार की सबसे बड़ी खबर इजरायल के एनएसओ द्वारा कई भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा दलित एक्टिविस्टों के वाट्सऐप की जासूसी ठहरी! एक चैनल जासूसी के शिकार चार लोगों के पास जा पहुंचा, जो बोले कि हमसे कहा गया है कि कुछ न बोलें।

यानी 'चुपाय मारो दुलहिन, मारा जाए कौआ!'

epaper.jansatta.com

हम हारे हैं हताश नहीं हैं

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी का अभी तक का विकास कांग्रेस की देन है, जिसे अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली सरकार संभाल नहीं पा रही है। ये जानते ही नहीं कि विधानसभा के जरिए कैसे लोगों की सेवा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम एक-एक करके इनकी सारी चालाकियों पर से परदा उठाएंगे। बातचीत कार्यक्रम का संचालन किया कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने।

बारादरी की बैठक में सुभाष चोपड़ा

सभी फोटो : अरुष चोपड़ा

मनोज मिश्र : दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। इसे कैसे पार करेंगे?

सुभाष चोपड़ा : यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे लोगों को सिर्फ यह बताना है कि पिछले पांच साल जिस तरह गुजरे हैं, वे कैसे रहे हैं। दिल्ली की दुर्दशा अगर किसी ने की है, तो वह केजरीवाल हैं। बस ढकोसलेबाजी, जुमलेबाजी करते रहे कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। हमने भी दिल्ली में पंद्रह साल सरकार चलाई है। सच्चाई यह है कि तब भी कई मुद्दे होते थे, जिनमें केंद्र सरकार या एलजी की तरफ से ना हो जाती थी। पर शीला जी सबको साथ लेकर केंद्र सरकार के पास जाती थीं। तब वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। कहीं कोई मुश्किल आती थी तो हम उनके पास जाते थे और समझाते थे कि यह काम दिल्ली राज्य के लिए अच्छा है। मगर इनको तो बस नारा देना होता है कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। इस तरह इनका एकमात्र मकसद है कि इससे अल्पसंख्यक खुश होंगे। इसमें भी जो पढ़े-लिखे लोग हैं वे जानते हैं कि केजरीवाल भाजपा की बी टीम है। आप देखिए कि शुरू में जब इनकी पार्टी बनी तो उसमें ज्यादातर लोग जो आए, वे भाजपा और आरएसएस के थे और बाद में उनमें से ज्यादातर वहीं लौट गए। इस आदमी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का नारा देकर लोगों को भरमाया। क्या वजह थी कि इनके साथ जो समझदार लोग जुड़े थे, वे इन्हें छोड़कर चले गए। इससे लोगों के मन में यह शंका पैदा हुई कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हमारे पास इनसे जुड़ी तमाम बातों के जवाब हैं, जो इन्होंने लोगों से छिपा रखी हैं। वह हम लोगों को बताएंगे।

मृणाल वल्लरी : अभी केजरीवाल सरकार ने बसों में

महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत की, जो एक बड़ी जनकल्याणकारी योजना है। बिजली की दरें कम होने से भी लोग खुश हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

● कोई भी सुविधा दिल्ली के नागरिकों को मिलती है, खासकर महिलाओं को, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मगर क्या पौने पांच साल अपनी बहनों-बेटियों की याद नहीं आई इनको? चुनाव से तीन महीने पहले क्यों? फिर महिलाओं को ही क्यों? जो स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें यह सुविधा क्यों नहीं? अगर मुझे ऐसा करने का मौका मिलता, तो मैं सबसे पहले उन्हें यह सुविधा देता। अगर महिलाओं को यह सुविधा दी जा रही है, तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को क्यों नहीं? जो लोग अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं? वरिष्ठ नागरिकों को क्यों नहीं? जब मैंने यह सवाल उठाया तो इनको कहना पड़ा कि उस पर भी हम विचार करेंगे। जब हमने सत्ता छोड़ी तब दिल्ली में बसों की संख्या थी आठ हजार और आज है महज एक हजार। जहां तक बिजली की बात है, ये बड़े-बड़े विज्ञापन देकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। वह जमाना याद करें, जब दिल्ली और पानी के लिए लोग हाहाकार मचाते थे। दस घंटे, पंद्रह घंटे भी बिजली नहीं आती थी। महिलाएं मटका फोड़कर प्रदर्शन करती थीं कि हमें पानी दो। फिर हमने प्राथमिकता तय की कि दिल्ली में बुनियादी सुविधाएं दी जाएं। इस तरह बिजली, पानी, मेट्रो वगैरह की जो सुविधाएं दिल्ली को मिलीं, वे कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उपलब्ध कराईं। अब ये बिजली के बिल माफ कर रहे हैं, तो कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। बिजली की चोरी पर रोक हमने लगाई। सबसिडी सबसे पहले हमने देनी शुरू की। जहां तक मुफ्त देने की बात है, तो इन पौने पांच सालों में इन्होंने शुल्क के जरिए आठ हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किए। उसमें से अगर दो सौ, तीन सौ करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली दे भी दे रहे हैं, तो वह कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनियों में कांग्रेस सरकार ने कभी पानी का बिल नहीं लिया। ये सब बातें लोग नहीं जानते हैं। हम बताएंगे, तो उन्हें समझ आएगा। हम एक-एक करके इनकी सारी चालाकियों पर से परदा उठाएंगे।

अजय पांडेय : पहले आपकी सीधी लड़ाई भाजपा से थी। अब भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों से है। आप अपनी सीधी लड़ाई भाजपा से मानते हैं या आम आदमी पार्टी से?

● इस वक्त हमारी लड़ाई भाजपा की ए टीम और बी टीम से है। मैं बी टीम इसलिए बोलता हूं कि केजरीवाल सरकार लोगों को खुश करने के लिए रोज कोई न कोई नाटक करती है। एक तरफ तो वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती है, दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का समर्थन करती है। हम भी चाहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, पर कुछ दिक्कतें थीं कि एक ही जगह पर दो सरकारें नहीं चल सकतीं। तो हमने बहुत विस्तार से इसका भी उपाय सुझाया कि नई दिल्ली को अलग कर दें।

जनसत्ता बारादरी

सुभाष चोपड़ा

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे सुभाष चोपड़ा दिल्ली के खांटी कांग्रेसी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। चोपड़ा ने दिल्ली में सियासत की पौधशाला कहे जाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के रास्ते राजनीति में कदम रखा और 1970 में डूसू के पहले अध्यक्ष बने। 1983 में वे मिंटो रोड क्षेत्र से महानगर परिषद के सदस्य चुने गए और पहली बार 1998 में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद लगातार तीन बार विधायक बन कर उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाई। चोपड़ा प्रदेश कांग्रेस में सचिव, महासचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। वर्ष 1999 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया, जबकि वे 2003 में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। यह दूसरा मौका है जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चोपड़ा को दिल्ली में पार्टी की बागडोर सौंपी है। सबको साथ लेकर चलने की सियासी शैली उनकी बड़ी ताकत मानी जाती है।

पंकज रोहिला : आम आदमी पार्टी इस बात को भुनाती है कि बिजली पर सबसिडी उन्होंने शुरू की। इसे कैसे देखते हैं आप?

● नहीं, सब जानते हैं कि यह हमारी सरकार ने शुरू किया था। मैंने पहले भी कहा कि जैसे-जैसे बिजली की चोरी कम होती गई, वैसे-वैसे हमने सबसिडी की योजना लागू की। यह दृष्टिकोण कांग्रेस पार्टी का था। मगर ये तो मुद्दों को इसी तरह भटकाते रहते हैं। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर इन्होंने आंदोलन चलाया था। उसे हमने तैयार किया। इन्होंने विधानसभा में उसे पारित कर दिया। मगर जब उसे लागू करने की बात आई, तो इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लागू नहीं करने दे रही। अरे, लागू करो न! किसी ने हाथ थोड़े रोका है। बस ये लोग नाटक करते रहते हैं।

दीपक रस्तोगी : आपके पास मुद्दे जरूर हैं, पर भाजपा और 'आप' के पास चुनाव की रणनीति बेहतर है। उनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इसे कैसे टक्कर देंगे?

● आज दिल्ली कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। एक भी आदमी नहीं बता सकते आप, जो मेरे साथ न हो। इसलिए कि मेरी सबसे दोस्ती है, सबसे मेरा प्यार है। कोई मुझसे बाहर जा नहीं सकता। मेरी महत्त्वाकांक्षा खुद कुछ बनने की नहीं है, मेरी महत्त्वाकांक्षा है कि जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलवाई, जिस पार्टी ने जनकल्याण के लिए निःस्वार्थ सेवा की, जिस पार्टी ने सभी धर्मों का सम्मान किया, उस पार्टी के लिए कुछ काम कर सकूं। इसलिए मैंने एक नया कैडर तैयार करना शुरू किया है। हमारी उपलब्धि यह है कि हमने दिल्ली के अंदर काम किया है और हमारे पास दृष्टिकोण है। हमारे पास अनुभव है। इन दोनों के पास तो कुछ भी नहीं है। विधानसभा के जरिए लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, इन्हें तो यह भी समझ नहीं आता।

अजय पांडेय : कांग्रेस के नेताओं पर आरोप है कि वे ड्राइंगरूम में बैठ कर राजनीति करते हैं। कभी सड़क पर नहीं उतरते, गलियों में नहीं घूमते। जनता से उनकी दूरी बन गई है। क्या आप इससे सहमत हैं?

● नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रदेश में जाइए, देखिए कि क्या हालत है। मैंने कोई जादू तो नहीं किया, पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को प्यार चाहिए। मैं अपने लोगों को यही समझाता हूं कि जब तक आप जमीनी स्तर पर जाकर आम आदमी के सुख-दुख में भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक कोई आपको नहीं पूछेगा। कांग्रेस की पहचान गरीब आदमी से जुड़ाव की है। हम सब मिल कर काम करेंगे और इसका नतीजा नजर आएगा।

मनोज मिश्र : कहा जा रहा था कि अजय माकन खुश नहीं हैं?

● बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। माकन मेरे पास आए, लवली वहां थे। वालिया जी थे। ये लोग रोज मुझसे मिलते हैं। ये लोग मेरे छोटे भाई की तरह हैं। एक भी नाम ऐसा नहीं गिना सकते, जो मुझसे अलग हो। मेरा किसी से मतभेद नहीं है।

सूर्यनाथ सिंह : मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस काफी कमजोर हुई है। अंदरूनी कलह बढ़ा है। क्या इसका दिल्ली विधानसभा चुनावों में लोगों पर असर नहीं पड़ेगा?

● देखिए, मैं राष्ट्रीय पार्टी की बात तो करूंगा नहीं। मेरा काम प्रदेश कांग्रेस को संभालना है, तो मैं इसी की बात करूंगा। आने वाले चुनाव में मैं कैसे बेहतर प्रदर्शन करूं, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। जहां तक राष्ट्रीय राजनीति की बात है, आप बताइए कि किसकी जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन नहीं आते? अगर हम चुनाव में हार गए, तो पार्टी खत्म नहीं हो गई। हम लोग हारे हैं, हताश नहीं हुए हैं। यही बात मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं। हममें हिम्मत कम नहीं हुई है।

पंकज रोहिला : इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे?

● आज सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण। नौ सौ इक्यासी लोग मर चुके हैं प्रदूषण से। सत्रह लाख लोग प्रभावित हुए हैं इससे। सच्चाई यह है कि पांच साल पहले भी तो पराली जलती थी! दिल्ली को संयुक्त राष्ट्र से शीला दीक्षित सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुरस्कार मिला था। मगर आज हालत यह है कि प्रदूषण की वजह से हाहाकार मची हुई है। जब सीएनजी बसें आठ हजार से घट कर एकर हजार होंगी, तो उसका असर तो दिखेगा ही। लोग अपना वाहन तो इस्तेमाल करेंगे ही। गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं, इतना सारा निर्माण कार्य चल रहा है कि प्रदूषण नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के किए किसी काम को ये लोग संभाल नहीं पाए।

मुकेश भारद्वाज : अभी आपको क्या लगता है कि दिल्ली में पार्टी को शून्य से कहां तक ले जा पाएंगे?

● शून्य कुछ नहीं होता। राजनीति में कभी भी शून्य नहीं होता। जहां तक दिल्ली विधानसभा की बात है, हम पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे।

निर्भय पांडेय : मुसलिम और दलित हमेशा आपके साथ रहते आए थे, अब क्या हुआ कि वे छिटक गए हैं?

● कोई नहीं छिटका है। अभी देश में जो माहौल है, वह दहशत का है। अल्पसंख्यक जानते हैं कि उनके साथ अगर कोई कंधे से कंधा मिला कर खड़ा हो सकता है तो वह है कांग्रेस पार्टी। हम हमेशा उनके साथ रहे हैं। हममें भेदभाव की भावना नहीं है। दिवाली के दिन मैंने वाल्मीकि बस्ती में जाकर दिवाली मनाई।

मनोज मिश्र : पहले घोषणा हुई कि कीर्ति आजाद को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा, फिर वह फैसला बदल दिया गया। क्यों?

● यह सिर्फ लोगों का कयास था। घोषणा तो इसकी हुई ही नहीं थी। नाम तो चलते रहते हैं। किसी भी पार्टी में पांच-छह नाम चलते हैं। कीर्ति मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उनके साथ मेरा लंबा जुड़ाव है। मेरे लिए खुशी की बात है कि वे अब हमारे साथ हैं।

अजय पांडेय : हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस ने आर्थिक मंदी और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था। क्या दिल्ली के चुनाव में भी यही मुद्दे रहेंगे?

● अभी दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। मैं पूछता हूं कि जब नौकरियां ही नहीं हैं तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का क्या फायदा? छोटे दुकानदारों के पास काम नहीं है। तरह-तरह के शुल्क लगा दिए गए हैं। यही चीजें तो हमें लोगों को बतानी हैं। लोगों के हित से जुड़ा कोई भी मामला हो, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लोग इस बात को जानते हैं।

दीपक रस्तोगी : दिल्ली में कैसे प्रत्याशियों को उतारने का इरादा है?

अब ये बिजली के बिल माफ कर रहे हैं, तो कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। बिजली की चोरी पर रोक हमने लगाई। सबसिडी सबसे पहले हमने देनी शुरू की। जहां तक मुफ्त देने की बात है, तो इन पौने पांच सालों में इन्होंने शुल्क के जरिए आठ हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किए। उसमें से अगर दो सौ, तीन सौ करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली दे भी दे रहे हैं, तो वह कोई अहसान नहीं कर रहे हैं।

● मुझे दस-पंद्रह दिन और दीजिए, मैं दिखा दूंगा कि दिल्ली में कांग्रेस है क्या।

सूर्यनाथ सिंह : आपकी टीम कब तक गठित हो जाएगी?

● मैं टीम बनाने की परवाह नहीं करता। हमारा हर कार्यकर्ता हमारी टीम में है। हर वह कार्यकर्ता हमारे साथ है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास करता है। जो अपने नेता में विश्वास नहीं करता, वह हमारे साथ नहीं हो सकता। जो काम करता है, वही समिति में आएगा। कार्यकर्ता ही पार्टी चलाएगा। हमने कार्यकर्ता से कह दिया है कि तुम योजना बनाओ कि क्या करना है और कैसे करना है। वह करो। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां साथ में रहूंगा। हमारा काम है कि लोगों को जागरूक करें। इन दोनों पार्टियों के गलत कामों के बारे में उन्हें बताएं।

निर्भय पांडेय : बाहरी दिल्ली के लोगों की शिकायत रही है कि यहां जिस भी पार्टी की सरकार आई, उसने उनकी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा। उसे लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं।

● उनके लिए हम जो कुछ कर सकें, वह कम है। उन लोगों ने हमें रहने के लिए अपनी जमीन दी। मगर आज गांवों के अंदर हालत यह है कि सीलिंग कर दी गई। उनकी दुकानें बंद करा दी गईं। आज उनके पास रोजगार की समस्या है। जनसुविधाएं तो धीरे-धीरे सब जगह पहुंच रही हैं, पर मुख्य समस्या है पेट भरने की। वे अन्नदाता हैं। जब वही भूखे रहेंगे, तो क्या फायदा।

दीपक रस्तोगी : आपने भ्रष्टाचार की बात की, जबकि खुद कांग्रेस पर भ्रष्टाचार की छाया अब भी बनी हुई है!

● कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं रही है। वह मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने अपनी सरकार के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उन्हें बाहर किया। उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए।

प्रस्तुतिः सूर्यनाथ सिंह / मृणाल वल्लरी

किताबें मिलीं

गांधी और समाज

गांधी के जीवन और विरोधाभासों को देखें तो कहा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व और दर्शन एक सतत बनती हुई इकाई था। एक निर्माणाधीन इमारत, जिसमें हर क्षण काम चलता था। उनका जीवन भी प्रयोगशाला था, मन भी। एक अवधारणा के रूप में गांधी उसी तरह एक सूत्र के रूप में हमें मिलते हैं जिस तरह मार्क्स; यह हमारे ऊपर है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य को उस सूत्र में कैसे समझें। बीच-बीच में अप्रासंगिक सिद्ध करने और जाने कितनी ऐतिहासिक गलतियों का जिम्मेदार ठहराए जाने के बावजूद गांधी बचे रहते हैं; और रहेंगे। उनकी हत्या करने वाली ताकतों के वर्चस्व के बाद भी वे होंगे। वे कोई पूरी लिखी जा चुकी धर्म-पुस्तिका नहीं हैं, वे जीने की एक पद्धति हैं जिसका अन्वेषण हमेशा जारी रखे जाने की मांग करता है।

'पहला गिरमिटिया' लिख कर गांधी-चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, वरिष्ठ हिंदी कथाकार गिरिराज किशोर ने 'गांधी और समाज' पुस्तक में अपने आलेखों, वक्तव्यों और व्याख्यानों में गांधी को अलग-अलग कोणों से समझने और समझाने की कोशिश की है। ये सभी आलेख पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग मौकों पर लिखे गए हैं इसलिए इनके संदर्भ नितांत समकालीन हैं और आज की निगाह से गांधी को देखते हैं। इन आलेखों में 'व्यक्ति गांधी' और 'विचार गांधी' के विरुद्ध इधर जोर पकड़ रहे संगठित दुष्प्रचार को भी रेखांकित किया गया है और उनके हत्यारे को पूजने वाली मानसिकता की हिंस्र संरचना को भी चिंता व चिंतन का विषय बनाया गया है।

गांधी और समाज : गिरिराज किशोर; राजकमल प्रकाशन, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 595 रुपए।

बहुव्रीहि

यह सुपरिचित चित्रकार, कला अध्यापक, रंगकर्मी और सिने अभिनेता कनु पटेल के कृतित्व पर आधारित पुस्तक है। पुस्तक में चार अध्याय हैं- दृश्यता का नया मानक, कला-दृष्टि का विस्तृत आयतन, रंग संस्कार और नाट्यावदान तथा परदे पर अभिनय का कौशल। इसके पहले अध्याय 'दृश्यता का नया मानक' में एक चित्रकार के रूप में उनके सृजन की प्रक्रियाओं और महत्त्वपूर्ण चित्र शृंखलाओं पर विचार करने के साथ-साथ कला जगत में उनकी उपस्थिति को विवेचित करने का प्रयत्न है तो 'कला-दृष्टि का विस्तृत आयतन' में एक कला अध्यापक और विचारक के रूप में कला पर उनकी चिंताओं और व्यावहारिक समझ का अनुशीलन है। 'रंग संस्कार और नाट्यवदान' अध्याय में एक रंग अभिनेता और निर्देशक के रूप में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखने के साथ हिंदी और गुजराती भाषाओं में उनके महत योगदान को परखा गया है तो 'परदे पर अभिनय का कौशल' कनु पटेल द्वारा अभिनीत दूरदर्शन के नाटकों, धारावाहिकों तथा फिल्मों को देखने का यत्न किया गया है तो उनके विशिष्ट अवदान को परखने का प्रयत्न भी।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 'बहुव्रीवि' कनु पटेल जैसे सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के व्यक्ति को मूल्यांकित करने की एक आवश्यक पहल है जिससे हम सहजता से एक ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं जो स्वयं में एक समग्र संस्था है।

बहुव्रीहि- कनु पटेल का कलावदान : ज्योतिष जोशी; लज्जा पब्लिकेशंस, दूसरी मंजिल, सुपर मार्केट, राजेंद्र मार्ग, नाना बाजार, वल्लभ विद्यानगर, आनंद (गुजरात); 750 रुपए।

माटी मानुष चून

'गंगा के दोनों किनारे धान की अकूत पैदावार देते थे, इसी तरह गेहूं, दालें और सब्जियां- क्या नहीं था, जो गंगा न देती हो। लेकिन आर्सेनिक ने सबसे पहले धान को पकड़ा और उनकी थाली में पहुंच गया, जो गंगा किनारे नहीं रहते। रही-सही कसर खेतों में डाले जा रहे पेस्टिसाइड से पूरी कर दी, जो बारिश के पानी के साथ बह कर गंगा में मिल जाता। अनाज और सब्जियों में आर्सेनिक आने के कारण वह चारा बन कर आसानी से डेयरी में घुस गया और गाय-भैंसों के दूध से भी बीमारियां होने लगीं। भूमिगत जल में पाया जाने वाला यह जहर पता नहीं कैसे मछलियों में भी आ गया। मछलियों में आर्सेनिक की बात सुन सभी ने एक-दूसरे की ओर देखा, लेकिन गीताश्री अपनी ही रौ में थी।

देखते ही देखते गंगा-तट जहर उगलने लगे, जिस अमृत के लिए सभ्यताएं खिंची चली आती थीं वह हलाहल में तब्दील हो गया। नतीजा, विस्थापन। लाखों बेमौत मारे गए और करोड़ों साफ पानी की तलाश में गंगा से दूर हो गए। 'गंगा से दूर साफ पानी की तलाश', कहने में अजीब-सा लगता है, नहीं?' नारों और वादों के स्वर्णयुग में जितनी बातें गंगा को लेकर कही जा रही हैं, अगर वे सब लागू हो जाएं तो क्या होगा? बस आज से पचास-साठ साल बाद सरकार और समाज के गंगा को गुनने-बुनने की कथा है 'माटी मानुष चून'।

माटी मानुष चून : अभय मिश्रा; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।

नई दिल्ली

महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक नई सरकार : सुधीर

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच खींचतान जारी रहने के बीच भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शनिवार को भरोसा जताया कि राज्य में 10 नवंबर से पहले नई सरकार बन जाएगी। शिवसेना ने मुनगंटीवार पर उनके इस बयान को लेकर निशाना साधा था कि गतिरोध समाप्त नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि दोनों सहयोगी दलों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए।

मुनगंटीवार ने चंद्रपुर में कहा कि नई सरकार का शपथग्रहण छह या सात नवंबर को होगा। उन्होंने कहा, 'जनादेश का सम्मान करना भाजपा और शिवसेना का कर्तव्य है। मंत्रिपद किस तरह से बांटना है यह चर्चा के जरिए तय हो सकता है।' उन्होंने कहा कि भाजपा वार्ता के लिए तैयार है।

मुनगंटीवार शनिवार सुबह शिवसेना के मुखपत्र में प्रकाशित संपादकीय पर प्रतिक्रिया जता रहे थे जिसमें राष्ट्रपति शासन की 'धमकी' को लेकर उन पर निशाना साधा गया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना को नाराज होने की जरुरत नहीं क्योंकि उन्होंने केवल वही कहा जिसका प्रावधान सरकार नहीं होने की दशा में संविधान में है।

इस बीच, शिवसेना ने शनिवार को अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर निशाना साधा। शिवसेना ने भाजपा नेता सुधीर मुंगंतीवार के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में अगर सात नवंबर तक सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन की और बढ़ा जा सकता है। पार्टी ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से गठबंधन सहयोगी से पूछा कि क्या राष्ट्रपति की मुहर राज्य में उसके कार्यालय में पड़ी है?

शिवसेना ने सवाल उठाया, 'मुंगंतीवार द्वारा दी गई इस धमकी से आम लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब क्या यह है कि भारत के राष्ट्रपति आपकी (भाजपा की) जेब में हैं या राष्ट्रपति की मुहर महाराष्ट्र में भाजपा के दफ्तर में रखी है?' 'सामना' के संपादकीय में शिवसेना ने पूछा, 'क्या ये लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में विफल रहने पर भाजपा राष्ट्रपति शासन थोप सकती है।

'महाराष्ट्र का अपमान ..., क्या राष्ट्रपति आपकी जेब में हैं?' शीर्षक वाले मराठी संपादकीय में मुंगंतीवार के बयान को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया गया है। पार्टी ने कहा, 'यह बयान संविधान और कानून के शासन के बारे में अल्पज्ञान को दर्शाता है। यह धमकी तय व्यवस्थाओं को दर किनार कर चीजों को अपने मुताबिक करने की दिशा में एक कदम हो सकती है। यह बयान लोगों के जनादेश का अपमान है।'

आखिरी पल तक निभाएंगे गठबंधन धर्म : राउत

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

पार्टी के मुखपत्र सामना में भाजपा पर निशाना साधने के कुछ समय बाद ही शनिवार को शिवसेना ने कहा कि वह गठबंधन धर्म पर कायम रहेगी और आखिरी पल तक गठबंधन धर्म निभाएगी। पार्टी की इस टिप्पणी को भाजपा के प्रति रुख में नरमी का संकेत माना जा रहा है।

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 'पार्टी ने विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था और आखिरी पल तक गठबंधन धर्म को निभाएगी।' उन्होंने कांग्रेस नेता हुसैन दलवई की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी का स्वागत किया जिसमें उन्होंने नई सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन देने की सिफारिश की थी। राउत ने शुक्रवार को कहा था कि शिवसेना को नई सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन मिल जाएगा। राउत ने कहा, 'राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर विचार करें तो शिवसेना और भाजपा को छोड़कर सभी दल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शिवसेना ने सरकार बनाने की बातचीत कभी बंद नहीं की... लेकिन बात कभी शुरू भी नहीं हुई।' शिवसेना नेता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से हुई मुलाकात को भी तवज्जो नहीं दी जिसके बाद राज्य में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए नए समीकरण बनने के कयास लगाए जा रहे थे। राउत ने कहा, 'महाराष्ट्र से जुड़े कई मुद्दे हैं जिसपर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे से बातचीत करते हैं।'

सोनिया से मिलेंगे राकांपा प्रमुख : अजित पवार

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिरोध के बीच राकांपा प्रमुख शरद पवार सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने ने शनिवार को यह भी कहा कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव परिणाम वाले दिन (24 अक्तूबर) से ही कह रही हैं कि वे विपक्ष में बैठेंगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'शरद पवार सोमवार को दिल्ली जाएंगे। मेरे पास सूचना है कि उनकी और सोनिया गांधी के बीच हाल में फोन पर बात हुई थी। वह (दिल्ली में) उनसे बात करेंगे। काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि उनके बीच क्या चर्चा होती है।'

उन्होंने कहा, 'यद्यपि कांग्रेस और राकांपा का परिणाम वाले दिन से ही यह कहना है कि उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। हमने खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार किया है।'

हल्की बारिश और हवा ने प्रदूषण से दी कुछ राहत

पेज 1 का बाकी

हालांकि दिल्ली के 37 निगरानी केंद्रों में से 20 में एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई। विवेक विहार सर्वाधिक प्रदूषित रहा जहां एक्यूआइ 450 था। इसके बाद आनंद विहार तथा आइटीओ में हवा की गुणवत्ता 448 मापी गई। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि हवा की गति में थोड़ा सुधार है और धीरे-धीरे यह बढ़ सकती है। रविवार से मंगलवार तक इस क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलने की संभावना है।

स्काईमेट के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश पहलावत ने अपने ट्वीट में कहा कि दिल्ली के आसमान पर बादल छा गए हैं। जिससे बारिश की संभावना है। मौसम कार्यालय ने कहा कि चक्रवात 'महा' और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सात और आठ नवंबर को बारिश होने की संभावना है। प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार पांच नवंबर तक सभी स्कूलों के बंद रहने का एलान कर चुकी है। वहीं पांच नवंबर तक सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर भी रोक है। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली-एनसीआर में जन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा भी की है।

मौसम कार्यालय ने कहा कि चक्रवात 'महा' और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सात और आठ नवंबर को बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हालांकि हल्की बारिश होगी लेकिन यह जल रही पराली के प्रभाव को कम करने के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण होगी और प्रदूषकों को भी दूर करेगी। स्काईमेट के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को सुबह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था। दोपहर ढाई बजे बढ़ कर 480 तक पहुंच गया था। इसके मुताबिक एनसीआर में शनिवार को गुरुग्राम में 641, फरीदाबाद में 608, नोएडा में 589 व गाजियाबाद में 500 रहा।

मुख्यमंत्रियों ने कहा, संयुक्त योजना बने

पेज 1 का बाकी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कुछ पक्षकारों द्वारा प्रदूषण पर कथित राजनीति करने की आलोचना की। उन्होंने यह बैठक रविवार को बुलाने का सुझाव दिया।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने रेखांकित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों की परेशानी से उनका राज्य बेरपरवाह नहीं है।' उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन के तहत किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने के उनके प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया। अमरिंदर ने लिखा, 'क्या पंजाब एंव हरियाणा सहित सभी पक्षकारों से परामर्श कर इस समस्या का समाधान खोजना आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मान्यवर प्रधानमंत्री?' उन्होंने स्वीकार किया कि पराली जलाने और हवाओं की दिशा की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, लेकिन साथ ही विभिन्न स्वतंत्र एजंसियों के आंकड़ों को भी रेखांकित किया जिसके मुताबिक प्रदूषण की वजह उद्योग, वाहन और दिल्ली में बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्य हैं।

हालांकि, अमरिंदर सिंह ने साथ ही कहा कि वह इन आंकड़ों की आड़ नहीं ले रहे हैं न ही किसी पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि अपने गुनाह छिपाने से किसी को लाभ नहीं होगा।

दमघोंटू धुंध में दमखम दिखाने उतरेंगे भारत-बांग्लादेश

पेज 1 का बाकी

परेशानी हुई थी। इस बार भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस तरह के खतरनाक हालात में खेलकूद की किसी भी गतिविधि में शामिल होने से स्पष्ट मना किया है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के क्रिकेटरों को विश्वास है कि वे इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में सफल रहेंगे। बांग्लादेश के कोच रसेल डोमिंगो साफ कर चुके हैं कि उनके खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ा मसला नहीं है भले ही उनकी टीम मास्क लगाकर अभ्यास कर रही थी।

भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने भी कहा कि एक बार मैदान पर उतरने के बाद यह कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। उधर, बांग्लादेश टीम की बैठक में खराब वायु गुणवत्ता का मुद्दा भी उठा लेकिन कप्तान महमुदुल्लाह रियाद ने कहा कि अब समय क्रिकेट पर ध्यान देने का है क्योंकि मौसम की परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं हैं। महमुदुल्लाह ने भारत के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पूर्व कहा, असल में हमने इन परिस्थितियों पर चर्चा की। यह हमारे नियंत्रण में है। हम रविवार को होने वाले मैच और उसे जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम यहां नहीं खेले हैं। जब हम यहां आए तो धुंध थी और यह हम सभी जानते हैं। लेकिन खिलाड़ी पिछले तीन दिनों से अभ्यास कर रहे हैं और परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारे नियंत्रण में नहीं है और हमें अपनी क्रिकेट पर ध्यान देना होगा। शिखर धवन पारी का आगाज करने उतरेंगे लेकिन कोहली की अनुपस्थिति में भारत के पास विश्व कप को ध्यान में रखकर तीन टी-20 मैचों की इस श्रृंखला में मध्यक्रम में प्रयोग करने का अच्छा मौका होगा।

तीस हजारी अदालत में भिड़े वकील और पुलिस

पेज 1 का बाकी

प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी तीस हजारी कोर्ट पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सचिव विष्णु शर्मा ने कहा है कि इस घटना की निंदा करते हैं और आगामी सोमवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे।

तीस हजारी बार एसोसिएशन के सचिव जयवीर सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि एक वकील की कार पार्किंग के दौरान पुलिस की एक जेल वैन को छू गई थी। इसी बात पर वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद सागर कुमार नाम के वकील को अदालत परिसर के हवालात ले जाया गया और बुरी तरह पीटा गया। इसी बीच जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा, छह अन्य न्यायाधीशों के साथ तीस हजारी परिसर के गेट पर पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद गुस्साए वकीलों की पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया।

प्रत्यक्षदर्शी वकील अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि मामला बढ़ता देख पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान विजय वर्मा (40) व रंजीत सिंह मलिक (32) को गोली लग गई जबकि पंकज दुबे का पैर टूट गया। इसके अलावा एक अन्य वकील भी घायल हो गए। विजय शर्मा का एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन रात आठ बजे सेंट स्टीफन अस्पताल में किया जाएगा। वहीं, घायल रंजीत कुमार मलिक की दो अंगुलियों में चोटें पहुंची हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने काटने की सलाह दी है। एहतियान दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया।

सिद्धू ने करतारपुर साहिब जाने के लिए मांगी मंजूरी

पेज 1 का बाकी

कि उन्हें नौ नवंबर को करतारपुर साहिब गलियारे के उद्घाटन समारोह के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया है। इमरान खान के न्योते का जिक्र करते हुए सिद्धू ने लिखा, 'एक सिख के रूप में इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने महान गुरु बाबा नानक को श्रद्धासुमन अर्पित करने और अपनी जड़ों से जुड़ने का यह एक महान अवसर होगा। इसलिए, मुझे इस पावन अवसर पर पाकिस्तान जाने की अनुमति दें।'

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखे अपने पत्र में सिद्धू ने कहा है, 'आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने मुझे श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के कार्यक्रम में बुलाया है। इसलिए मुझे इस मौके पर पाकिस्तान जाने की अनुमति प्रदान की जाए।'

सिद्धू के लिखे गए पत्रों को लेकर उनकी पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि अगर उन्हें अनुमति मिली तो वह जरूर जाएंगे।

बारामूला से पकड़ा गया लश्कर का आतंकी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 नवंबर।

जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। दानिश अहमद चन्ना नामक इस आतंकी को शुक्रवार रात को सोपोर इलाके में एक अभियान के दौरान पकड़ा गया और उसके पास से एक पिस्तौल व एक हथगोला बरामद किया गया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान जारी है। सीआरपीएफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के शाहपुर, केरनी और कस्बा सेक्टरों में पाकिस्तानी रेंजर्स ने संघर्षविराम उल्लंघन किया और दो घंटे तक गोलाबारी की। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।

लश्कर के आतंकवादी दानिश चन्ना को सोपोर से गिरफ्तार किया गया है। जम्मू-कश्मीर में बीते महीने आतंकवादियों द्वारा प्रदेश में हथगोला फेंकने की खबरें सामने आई थीं। पिछले महीने पांच अक्तूबर को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर ग्रेनेड हमले में 14 लोग घायल हो गए थे।

पाकिस्तानी गोलाबारी : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के शाहपुर, केरनी और कस्बा सेक्टरों में पाकिस्तानी रेंजर्स ने शनिवार को फिर संघर्षविराम उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई गोलाबारी का भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, दो घंटे तक चली गोलाबारी में भारत में कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तानी रेंजर्स ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार भी दागे।

वकीलों की हड़ताल से पूरे जम्मू में कामकाज प्रभावित

जम्मू, 2 नवंबर (भाषा)।

जम्मू क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में शनिवार को हाई कोर्ट और निचली अदालतों के वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहा। ये वकील विभिन्न दस्तावेजों को पंजीकृत करने के न्यायिक अदालतों के अधिकार को छीनकर उसे राजस्व विभाग के हवाले करने के हालिया फैसले के खिलाफ हड़ताल पर हैं।

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (जेकेएचसीबीए) के जम्मू खंड ने शुक्रवार को हड़ताल बुलाई। जेकेएचसीबीए हाई कोर्ट को मौजूदा स्थान जानीपुर से शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रही है।

वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को नवनियुक्त उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। मुर्मू 31 अक्तूबर से प्रभाव में आए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं।

वीडियो क्लिप आने के बाद दमन दीव के भाजपा अध्यक्ष का इस्तीफा

दमन, 2 नवंबर (भाषा)।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला के साथ दिखने के बाद भाजपा की दमन दीव इकाई के अध्यक्ष गोपाल टंडेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टंडेल ने दावा किया कि वीडियो क्लिप फर्जी है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं ने यह जारी किया है जो उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनते नहीं देखना चाहते। छोटे से क्लिप में 65 वर्षीय टंडेल की तरह दिखने वाले एक शख्स को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा सकता है।

पूर्व लोकसभा सदस्य ने कहा कि उन्होंने उन स्थानीय पार्टी नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी है जिन पर उन्हें शक है।

इनामी नक्सली ने किया समर्पण

दंतेवाड़ा, 2 नवंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष शनिवार को एक 26 वर्षीय नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। एक अधिकारी ने बताया कि नक्सली के ऊपर तीन लाख रुपए का इनाम था। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने शनिवार को बताया कि बमन मंडावी ने माओवादी विचारधारा से मोहभंग होने के बाद पुलिस के सामने समर्पण कर दिया।

संरा सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चर्चा नहीं होगी : पीयर्स

पेज 1 का बाकी

पाकिस्तान और चीन द्वारा कश्मीर पर बैठक बुलाए जाने की मांग के बाद सुरक्षा परिषद ने अगस्त में भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किए जाने के मामले में बंद कमरे में चर्चा की थी। पाकिस्तान द्वारा इस मामले में सुरक्षा परिषद को पत्र लिखे जाने के बाद चीन ने मामले पर बंद कमरे में परिचर्चा की मांग की थी। यह चर्चा बिना किसी नतीजे या बयान के खत्म हुई थी। परिषद के अधिकतर सदस्यों ने इसे भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा बताया था।

आतंक की बड़ी वजह खत्म की

पेज 1 का बाकी

शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की तीन दिन की यात्रा पर बैंकाक पहुंचे हैं। वह रविवार को आसियान की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करेंगे।

भारतवंशियों को अपने संबोधन के दौरान भारत और थाईलैंड के पुरातन संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते दिल, आत्मा और अध्यात्म के हैं। भारत का नाम पौराणिक काल के जंबू द्वीप से जुड़ा है और थाईलैंड स्वर्णभूमि का हिस्सा था। यह जुड़ाव हजारों साल पुराना है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की मर्यादा और भगवान बुद्ध की करुणा- ये दोनों हमारी साझी विरासत हैं। भारत की अयोध्या नगरी थाईलैंड में अथुख्या हो जाती है। गरुड़ के प्रति थाईलैंड में अटूट श्रद्धा है। हम भाषा ही नहीं, भावना के स्तर पर भी एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं।

उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। आठ करोड़ घरों को हमने तीन साल से भी कम समय में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना 60 लाख लोगों को मुफ्त में इलाज मिल चुका है। 2022 में जब भारत आजादी के 75 साल मनाएगा तब हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, इस दिशा में काम चल रहा है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संत थिरुवरल की महान कृति थिरुकुराल के थाई भाषा में हुए अनुवाद को जारी किया। गुरु नानक देवजी के 550वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्के भी जारी किए गए। उन्होंने मौजूद लोगों को जानकारी दी कि नौ नवंबर को करतारपुर गलियारा खुलने के बाद अब भारत से श्रद्धालु सीधे करतारपुर साहिब जा सकेंगे।

लड़की से छेड़छाड़ करने पर हुई हत्या

चाईबासा (झारखंड), 2 नवंबर (भाषा)।

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की तीन लोगों ने हत्या कर दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाता ने बताया कि घटना 28 अक्तूबर की शाम को तब हुई जब मोहम्मद इस्माइल नामक व्यक्ति 'हड़िया' (चावल की शराब) पीने के लिए गुलुरुआ गांव गया था। इस्माइल राजमिस्त्री था। एसपी ने बताया कि इस्माइल ने एक व्यक्ति की बहन से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। इससे गुस्साए व्यक्ति ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से मार-मारकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने शव को गांव से करीब दो किलोमीटर दूर एक कुएं में फेंक दिया था।

हुड्डा को बनाया विधायक दल का नेता

पेज 1 का बाकी

सफलता दिलाने वाली हुड्डा-सैलजा की जोड़ी दिल्ली दरबार में भी अच्छी खासी पैठ रखती है। शुक्रवार को विधायक दल व नेता विपक्ष के नाम पर सहमति न बनने के बाद आखिरकार दिल्ली दरबार से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के नाम पर मुहर लग ही गई। पूर्व मुख्यमंत्री को नेता विपक्ष का ओहदा मिलने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिल गया है।

बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षक मधूसूदन मिस्त्री, हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद व प्रदेशाध्यक्ष सैलजा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 25 विधायकों ने हुड्डा के नाम पर सहमति जताई थी, मगर छह विधायक कांग्रेस विधायक दल की पूर्व नेता किरण चौधरी के पक्ष में थे। लिहाजा काफी रायशुमारी करने के बाद भी विधायक दल के नेता के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। नेता का चयन करने का अंतिम फैसला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ा गया और सभी की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। शनिवार को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तवज्जो देते हुए उनके नाम पर मोहर लगाई। पूर्व की हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता और अब कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए कुलदीप बिश्नोई शुक्रवार की बैठक में मौजूद नहीं थे।

आरसीईपी से अर्थव्यवस्था को होगा बड़ा नुकसान : सोनिया

पेज 1 का बाकी

स्थिति का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। पार्टी महासचिवों एवं प्रभारियों की बैठक में सोनिया ने यह आरोप भी लगाया कि अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को स्वीकार करने और इसे ठीक करने के कदम उठाने के बजाय सरकार सुर्खियां बटोरने एवं आयोजनों के प्रबंधन में व्यस्त है। जासूसी प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ गैरकानूनी और असंवैधानिक हैं, बल्कि शर्मनाक भी हैं।

बैठक में सोनिया ने कहा, 'एक नागरिक और जिम्मेदार विपक्ष के सदस्य के तौर पर मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखकर दुख होता है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकार इससे मानने को तैयार नहीं है।' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस रुख की लाखों भारतीय नागरिकों खासकर बेरोजगार युवाओं और किसानों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

एशिया-प्रशांत के 16 देशों के साथ प्रस्तावित आरसीईपी समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'सरकार के कई निर्णयों से अर्थव्यस्था को कम नुकसान नहीं हुआ था कि अब वह आरसीईपी के माध्यम से बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। इससे हमारे किसानों, दुकानदारों, छोटे एवं मझले इकाइयों पर गंभीर दुष्परिणाम होंगे।

भारत के नए नक्शे में पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा

पेज 1 का बाकी

'राजधानी' मुजफ्फराबाद को देश की भौगोलिक सीमा में दिखाया गया है। नक्शों के अनुसार नए मानचित्र में पीओके जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा है और गिलगित बाल्तिस्तान लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में करगिल और लेह दो जिले हैं और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का शेष हिस्सा नए जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है।

इससे पहले पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में 1947 में कठुआ, जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, लेह और लद्दाख, गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटरी 14 जिले थे। 2019 तक पूर्ववर्ती जम्म-कश्मीर राज्य की सरकार ने इन 14 जिलों के क्षेत्रों को पुनर्गठित करके 28 जिले बना दिए थे। नए जिलों के नाम थे - कुपवाड़ा, बांदीपुर, गांदेरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, साम्बा और करगिल। इनमें से करगिल जिले को लेह और लद्दाख जिले के क्षेत्र से अलग करके बनाया गया था।

'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' में भारत के हितों पर जोर

पेज 1 का बाकी

समझौते के लिए सहमत होगा। बैंकाक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की लंबी समय से जारी वार्ता के अंतिम चरण में पहुंचने पर कहा कि भारत ने उचित प्रस्तावों को एक स्पष्ट तरीके से आगे रखा है और मुक्त व्यापार के लिए ईमानदारी से वार्ता कर रहा है।

तीन नवंबर से आयोजित भारत-आसियान सम्मेलन और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी बैंकाक पहुंचे हैं। उन्होंने 'बैंकाक पोस्ट' अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, 'उम्मीद से ज्यादा व्यापार घाटे को लेकर भारत की चिंताओं का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है और भारत के विशाल बाजार को खोले जाने के साथ उन क्षेत्रों में भी खुलापन होना चाहिए, जहां भारतीय कारोबारियों को लाभ हो सकता है।' वह आरसीईपी के साथ ही अगले तीन दिनों में नोंथबरी में दो अन्य महत्त्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे।

मोदी ने कहा, 'हमने स्पष्ट तरीके से उचित प्रस्ताव सामने रखे हैं और गंभीरता के साथ बातचीत में शामिल हैं। हम अपने कई सहयोगियों की महत्त्वाकांक्षाओं के अनुरूप सेवाओं का स्तर चाहते हैं, यहां तक कि हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हैं।'

प्रधानमंत्री मोदी तीन नवंबर को 16वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वह चार नवंबर को 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौते पर बातचीत करने वाले देशों की तीसरी शिखर बैठक में भी भाग लेंगे।

विवादित दक्षिण चीन सागर के साथ ही हिंद- प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैए के मद्देनजर 10 प्रभावशाली देशों के समूह आसियान के इस वार्षिक शिखर सम्मेलन को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। आसियान के 10 सदस्यों के अलावा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। भारत के साथ आसियान क्षेत्र की आबादी 1.85 अरब है जो दुनिया की कुल आबादी का एक चौथाई है। उसकी (आसियान क्षेत्र की) संयुक्त जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डालर रहने का अनुमान है।

नई दिल्ली

पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों को चेताया

अस्थिरता पैदा नहीं होने दी जाएगी

इस्लामाबाद, 2 नवंबर (भाषा)।

पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को आगाह किया कि देश में किसी को भी अस्थिरता या अराजकता उत्पन्न नहीं करने दी जाएगी। इससे एक दिन पहले ही धर्मगुरु एवं राजनीतिज्ञ मौलाना फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री इमरान खान के पद छोड़ने के लिए दो दिन की समयसीमा तय की थी।

कट्टरपंथी धर्मगुरु रहमान ने वर्तमान सरकार को हटाने के लिए आयोजित प्रदर्शन रैली को यहां शुक्रवार को संबोधित किया था। प्रदर्शन रैली को 'आजादी मार्च' नाम दिया गया है।

रहमान ने अपने संबोधन में कहा कि 'पाकिस्तान के बोर्बाच्येव' को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के धैर्य की परीक्षा लिए बिना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान पर शासन करने का अधिकार केवल देश के लोगों को है, किसी 'संस्थान' को नहीं।

उन्होंने शुक्रवार को कहा था, 'हम हमारे संस्थानों के साथ कोई टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वे तटस्थ रहें। हम संस्थानों को (भी) यह निर्णय करने के लिए दो दिन का समय देते हैं कि क्या वे इस सरकार को समर्थन जारी रखेंगे।' रहमान की टिप्पणी पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, 'मौलाना फजलुर रहमान एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस संस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का सशस्त्र बल एक तटस्थ संस्थान है जिसने हमेशा ही लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों का समर्थन किया है।'

उन्होंने आगाह किया, 'किसी को भी अस्थिरता उत्पन्न नहीं करने दी जाएगी क्योंकि देश अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकता।' गफूर ने कहा कि सेना तटस्थ है और वह संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों का ही समर्थन करती है।

आतंकी संगठनों की धन उगाही पर अंकुश लगाने में पाकिस्तान विफल : अमेरिका

वाशिंगटन, 2 नवंबर (भाषा)।

अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को धन उगाहने और भर्ती करने से 'उल्लेखनीय रूप से सीमित करने' में विफल रहा है जबकि देश के बाहर हमलों को अंजाम देने वाले कई आतंकी संगठन 2018 में पाकिस्तानी सरजमीं से अपनी गतिविधियों का संचालन करना जारी रखे थे।

अमेरिकी विदेश विभाग ने संसद के प्रस्ताव पर 2018 के लिए आतंकवाद पर वार्षिक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान सरकार ने अफगान सरकार और तालिबान में राजनीतिक सुलह को समर्थन देने की बात कही लेकिन पाकिस्तान स्थित पनाहगाहों से संचालित हो रहे आतंकी समूहों और हक्कानी नेटवर्क को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए जो अफगानिस्तान में अमेरिका और अफगान बलों के लिए खतरा हैं।

DCB BANK

डीसीबी बैंक लिमिटेड
शाखा : 7/56, तीसरा तल, देश बन्धु गुप्ता रोड
करोल बाग, नई दिल्ली–110005
टेलिफोन : (011) 45016060/45016055

सरफेसी एक्ट नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत
अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु नीलामी विक्रय सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 में दिये गये सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 8 (6) के साथ पठित, डीसीबी बैंक के पास प्रभारित अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, एतद्द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण तथा ऋणप्राप्तकर्ता एवं विशेष में प्रत्याभूतिदाताओं हेतु सूचना प्रदान की जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. दिल्ली हेतु रेहन प्रस्तुत सम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति के सुरक्षाकरण तथा पुनः निर्माण तथा सुरक्षा अधिनियम, 2002 का लागू के प्रावधान अन्तर्गत तिथि **26.09.2019** के अन्तर्गत अधिकार ग्रहण सम्पत्ति निम्नलिखित देयकों की वसूली हेतु निविदा–सह–सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी तथा आगे ब्याज, शुल्क तथा लागत इत्यादि जैसा कि निम्नलिखित विवरण अनुसार है तथा सम्पत्ति जैसा है तथा जहाँ है तथा बिना किसी आश्रय आधार में बिक्री की जाएगी।

ऋणप्राप्तकर्ता तथा प्रत्याभूतिदाताओं का नामः सन्मति ऑयल एण्ड स्पेयर पार्टस, सत्या वीर जैन, राहुल जैन, सरिता जैन

बंधक सम्पत्ति का विवरणः ए–449, मीत नगर, मेन वजीराबाद रोड, शाहदरा, दिल्ली–110094

सुरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि तथा समय	नीलामी की तिथि तथा समय	कब्जे का प्रकार
रु. 1,20,00,000/– (रु. एक करोड़ बीस लाख मात्र)	रु. 12,00,000/– (रु. बारह लाख मात्र)	तिथि 22.11.2019 प्रातः 11:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक	तिथि 05.12.2019 दोपहरः 12:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक	भौतिक

प्रस्ताव कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त कथित सम्पत्ति के क्रय हेतु इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं से मुहरबन्द आवरण में **डीसीबी बैंक लि. दिल्ली के पक्ष में धरोहर राशि** हेतु मांग देय प्रपत्र के साथ कार्यालय डीसीबी बैंक लि. 7/56, तृतीय मंजिल, देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 में **तिथि 04.12.2019 में अप. 4:30 बजे अथवा पूर्व** प्रेषित कर सकते है तथा मुहरबन्द प्रस्ताव नीलामी की तिथि **05.12.2019 में अप. 12.30** बजे खोले जाएंगे तथा धरोहर राशि बिना ब्याज राशि के बिना वापिस योग्य है यदि बोली सफलता पूर्ण नहीं है तथा इच्छुक क्रेतागण उपरोक्त अंकित तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है तथा जिसके हेतु वह सम्पर्क कर सकते है **श्री श्यामसुन्दर चण्दोक या श्री मयंक दत्त चौधरी** (011 45016060/45016055) नीलामी विक्रय से संबंधित नियम व शर्तों के लिए बैंक द्वारा दीये गये लिंक पर जाए

https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner

तिथिः 02.11.2019
स्थानः दिल्ली

हस्ता/–
अधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

कार्यालय वसूली अधिकारी–II
ऋण वसूली अधिकरण–III, नई दिल्ली–110001
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

आर. सी. सं. 95/2012 — **बिक्री उद्घोषणा नोटिस** — दिनांकित : 05.10.2019

बिक्री की उद्घोषणा नियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (अब एसबीआई) बनाम मैसर्स निकिता एक्जिम एवं अन्य

1. मैसर्स निकिता एक्जिम और अन्य, प्रोप. सतबीर यादव द्वारा, आरजेड –87, ए–ब्लॉक, लेन नं.2, डबरी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–45 प्रो: आरजेड –152–ई, गली नं.4, ईस्ट सागरपुर, दिल्ली –110046 प्रो: ए 2–1/ 09, द्वितीय तल, जनक पुर, नई दिल्ली।
2. श्री सुधीर यादव, आरजेड –87, ए–ब्लॉक, लेन नं. 2, डबरी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–45, प्रो: आरजेड–152–ई, गली नं. 4, ईस्ट सागरपुर, दिल्ली –110046। प्रो: 105, कॉर्पोरेट टॉवर, 85–ए, ईस्ट सागर पुर, दिल्ली–46
3. निवासी/स्थानिय:

निवासी/स्थानिय: सम्पत्ति फ्लैट नं. 101 और 102, सम्पत्ति नं. 85–ए, खसरा सं. 204/102 मे से, कुल क्षेत्रफल 413 वर्ग गज, शाहदरा एलाका, जफरपुर, नई दिल्ली में स्थित

जैसा कि आपने पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली द्वारा ओ ए नं. 104/2011/डी आर टी–III, में ऋणवसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके / उनके द्वारा देय योग राशि रु. 22,66,97,269.75 (रु. बाईस करोड़ छियासठ लाख सत्तानवे हजार दो सौ उनहत्तर और पैसे पिचहत्तर मात्र) और प्रमाणपत्र के अनुसार देय योग ब्याज के लागत, कुर्की की तिथि तक एवं खर्च, लागत इत्यादि सहित कर्जदार द्वारा देय है।

और चौथासि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टि / भुगतान के लिए निम्नलिखितानुसार अचिह्नित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसा कि संबंध में आपके / उनके द्वारा देय योग राशि रु. 22,66,97,269.75 (रु. बाईस करोड़ छियासठ लाख सत्तानवे हजार दो सौ उनहत्तर और पैसे पिचहत्तर मात्र) और साथ में दिनांक 20.04.2011 से ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित कर्जदार द्वारा देय होगा।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी द्वारा **04.12.2019 को अपरा. 03.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे के बीच**, ई–नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के द्वारा वेबसाइट **https://www.bankauctions.com** पिलर्स सी1 इंडिया प्रा. लि. **उद्योग विहार फेज–2, राज्य पैट्रोलियम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव प्रधान रोड, (हरियाणा)–122015, टेलालाईन नं. +91-124-4302020/21/22/23/24** मो. 09313087931, ईमेल : **support@bankauctions.com** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

किसी पूछताछ के लिए और सम्पत्ति का निरीक्षण हेतु हमारे बोलीदाता सीआरटी–III, दिल्ली के रिकवरी विभाग से सम्पर्क करें।

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी को सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावे को जैसा उनके तक निवेदित किया गया है, वे प्रारंभ सीट के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट है।

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट लोट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति के मान की बिक्री की राशि सम्पूर्ण देय राशि के समुचित लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रोक दी जायेगी यदि इससे पहले किसी लोट की बोली छूट जाती है, कथित प्रमाणपत्र में अंकित कारकों, ब्याज लागत इत्यादि बिक्री की लागत शामिल है। बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को देय दी जाती है / प्रस्तुत की जाती है यह इस अवसर का प्रमाण दिया जाता है कि ब्याज का लागत के साथ ऐसे प्रमाणपत्र की राशि का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण भाव में सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली अभिव्यक्त अथवा प्रस्ताव नहीं करेगा। आवंटन अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1. **आरक्षित मूल्य रु. 62,00,000/– (रु. बासठ लाख मात्र) के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी**
2. बोली, **कम से कम रु. 1,00,000/– (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लोट की नीलामी तुरन्त दोबारा की जाएगी। यदि उपरान्त कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सार्वजनिक नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा उचित विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।
3. किसी लोट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि वैसा की गई अपील उपयुक्त स्पष्टीकरण देने जाने हेतु संतुष्ट करने में अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. धरोहर राशि **रु. 62,00,000/– (रु. बासठ लाख मात्र)** जमा करने हेतु **पे आर्डर/बैंकर ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली** में देयमान हो को **वसूली अधिकारी – II, डीआरटी– III, दिल्ली को दिनांक 02.12.2019 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसका पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई–मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस अवसर की उद्घोषणा कि वे स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलों में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा तभी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड संकल्पों द्वारा सहित प्रमाणित की कम्पनी प्रति या कम्पनी के प्रतिनिधि को पूर्ण करने वाले अन्य कोई आवेदन तथा ऐसी जमा राशि / काउन्टर कॉइल कथित विधि तक ई–मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेल प्रदाता या सी एम बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (मूलप्रति) वसूली अधिकारी– II, डीआरटी– III, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. सफल बोलीदाता को तत्काल अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईमेल सत्यापन के बाद, अपने बैंक खाते दिवस को अपरा. 03.00 बजे तक ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।
7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वे दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वा दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक खाते दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।** इसके अतिरिक्त **क्रेता को रु. 1,000/– तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रु. 1,000/– से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउन्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी– III, दिल्ली के पक्ष में देय बैंकर ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी– II, डीआरटी– III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
8. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और मुकदमा क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसमें किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएगें।
9. अनफिट बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि डी आर टी – III, दिल्ली से उपयुक्त आवेदन के पश्चात् ई–नीलामी की तिथि के अगले दिन वापस की जा सकती है।
10. सम्पत्ति को बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियां को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रस्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

लॉट नं.	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह–स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका भूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके जिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में लागे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति से सम्बंध रखता है।
1	2	3	4	5
1	सम्पत्ति फ्लैट 101 और 102, सम्पत्ति नं. 85–ए में से, शामिल खसरा नं. 204/102, कुल क्षेत्रफल 413 वर्ग गज में से, पॉकेट शाहदरा एलाका, जफरपुर, नई दिल्ली में स्थित है।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 05 अक्टूबर 2019 को दिया गया।

हस्ता/– (विकास जेटली), वसूली अधिकारी–II, ऋणवसूली अधिकरण–III, दिल्ली

COURT NOTICE
In the court of Sh.davinder singh JMIC Ludhiana
CNR NO PBLD03-000820-2019
PESHI : 11-11-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC
M/S CONCERN PHARMA LTD
VS
M/S GANGADHAR MEDICAL AGENCIES

Complaint Filed u/s 138 of N.I.ACT
Notice to 1. M/S GANGADHAR MEDICAL AGENCIES143, SUKHARIA SHOPPING CENTRE GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, SRIGANGANAGAR -335001 RAJASTHAN THROUGH, ITS PROP LOVISH GUPTA 2. LOVISH GUPTA, PROP M/S GANGANAGAR MEDICAL AGENCIES, 143, SUKHARIA SHOPPING CENTRE GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, SRIGANGANAGAR-335001, RAJASTHAN

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 11-11-2019 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed as above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 26-10-2019
FOR DETAILS LOGIN TO
https://highcourtchd.gov.in/?/subdistrict_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED
Regd. Office: 374A, IInd Floor, Agarwal Plaza, Sector- 14, Rohini New Delhi- 110085
Email:id gulmoharlimited@gmail.com,
Tel: 9810293127,
Website: www.gulmoharinvestments.com
CIN: L65993DL1982PLC013954

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of **GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED** will be held on Tuesday, 12th November, 2019 to inter-alia, consider and take on record the Unaudited Reviewed Financial Statements of the Company for half yearly and quarterly ended on 30th September, 2019.

It is also informed that Trading Window of **GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED** has been closed from 1st October, 2019 upto the second trading day after the announcement of the Financial Results for the period ending 30th September 2019.

The notice is also uploaded on www.gulmoharinvestments.com

For Gulmohar Investments and Holdings Limited
SD/-
Pawan Kumar Mittal
(Director)
DIN: 00749265

Place: New Delhi
Date: 02.11.2019

VLS FINANCE LTD.
Regd. off. : 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065
CIN: L65910DL1996PLC023125
Ph. No.:011-46056666, Fax: 011-46056699
Email : rio@vlsfinance.com, website: www.vlsfinance.com

NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Paras 2.6.1 (i) and 2.7 of SEBI circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 Dated 5th July 2016, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 25th November, 2019, inter-alia to consider the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2019.

for VLS Finance Ltd.
H. Dansal
Company Secretary
M No. - A11183

Place: New Delhi
Date: 02.11.2019

बिट्स लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
CIN: L72200DL1992PLC241971

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा लागू होने वाले अन्य विनियमनों के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सित., 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर तथा एजेण्डा में वर्णित अन्य व्यावसायिक मदों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.bits.net.in तथा स्टॉक एक्सचैंज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है, की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है

बिट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
सुरेन्दर सिंह टैंगरा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 2.11.2019

QUASAR INDIA LIMITED
Regd. Office: 305, Plot No. 3, Third Floor, Agarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
E mail:id: quasarindia123@gmail.com,
Website: www.quasarindia.in
CIN: L61100DL1987PLC095605
Mob.: 9625304013

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of **QUASAR INDIA LIMITED** will be held on Wednesday, 13th November, 2019 to inter-alia, consider and take on record the Unaudited Reviewed Financial Statements of the Company for half yearly and quarterly ended on 30th September, 2019.

It is also informed that Trading Window of **QUASAR INDIA LIMITED** has been closed from 1st October, 2019 upto the second trading day after the announcement of the Financial Results for the period ending 30th September 2019.

The notice is also uploaded on www.quasarindia.in.

For Quasar India Limited
Sd/-
Harish Kumar
(Director)
DIN: 02591888

Place: New Delhi
Date: 02.11.2019

SHREE WORSTEX LIMITED
Regd. Off: 325, IInd Floor, Agarwal Plaza, Sector- 14, Rohini, New Delhi- 110085
Mob.: 9015020833,
Email ID: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in
Website: www.shreeworstex.in,
CIN: L17111DL1982PLC013750

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of **Shree Worstex Limited** will be held on Thursday, 14th November, 2019 to inter-alia consider and take on record the Unaudited Reviewed Financial Statements of the Company for half yearly and quarterlyended on 30th September, 2019.

It is appointmest that Trading Window of **Shree Worstex Limited** has been closed from 1st October, 2019 upto the second trading day after the announcement of the Financial Results for the period ending 30th September 2019.

The notice is also uploaded on www.shreeworstex.in

For Shree Worstex Limited
Sd/-
Pawan Kumar Mittal
(Director)
DIN: 00749265

Place: New Delhi
Date: 02.11.2019

पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
CIN: L72200DL1984PLC017510

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा लागू होने वाले अन्य विनियमनों के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 2.30 बजे अप. में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों तथा एजेण्डा में वर्णित किसी अन्य व्यावसायिक मदों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.panindia-corp.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है, की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
ओम प्रकाश रामाशंकर पाठक
प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 2.11.2019

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal
608/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance through publication

O.A. No. 1199/2019 DATED : 24-10-2019
(Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Bank and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)
Original Application No. 1199 of 2019

STATE BANK OF INDIA ....Applicant
Versus
Mr. Ravi Ghalaut & Anr. ...Defendant

To,
1. Mr. Ravi Ghalaut S/o Sh. Kanwar Singh Ghalaut, R/o 100/P Sector-9, Gurgaon, Haryana
2. M/s Idea Builders Pvt. Ltd. through its managing Director / Authorised Signatory having its Registered office at : C-294, 1st Floor, Vivek Vihar, Delhi-110095

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **28-01-2020 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal
608/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance through publication

No..... DATED : 17-10-2019
(Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 Read with Rules 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)
Original Application No. 516 of 2019

STATE BANK OF INDIA ....Applicant
Versus
Sri Vipin Aggrawal & another ...Defendant

To,
1. Sri Vipin Aggrawal Son of Sri Late Sri Chand Mal Aggrawal Resident of D-230, IIIrd Floor, Vivek Vihar, Delhi-110095. **Also at** : Flat No. 103, Tower-C, 1st Floor, AVJ Heights, situated on Plot No. GH-12/2, Sector Zeta-I, Greater Noida, Gautambudh Nagar
2. M/s AVJ Developers (India) Pvt. Ltd. through Mr. Anurag Agarwal S/o Sh. J.P. Agarwal, Registered and Corporate office: D-237, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095 **Also at** : Plot No.C, Community Centre, Anand Vihar, Opposite Yamuna Sports Complex, Delhi-110092, Also at : site office : Plot No. GH-12/2, Sector-Zeta-I, Greater Noida-201308

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **13-12-2019 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

महान फूड्स लिमिटेड
CIN: L15419HP1987PLC350285
पंजी. कार्यालयः एम–19, 1ला तल, एम–ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048
ईमेलः sanjeevgoyal@mahaanfoods.com; वेबसाईटः www.mahaanfoods.com,
फोनः 011–43107200, फैक्सः 011–43107250

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1) (ए) के साथ पठित विनियमन 29(1) (ए) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019 को 4.00 बजे अप. में एम–19, 1ला तल, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश पार्ट–II, नई दिल्ली–110048 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9 के अनुसार (इन्सायडर ट्रैडिंग निषेध) के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए ट्रेडिंग विण्डो जो पहले से ही बंद है, उपरोक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगा। उक्त सूचना का विवरण कम्पनी की वेबसाईट **www.mahaanfoods.com** पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
महान फूड्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
(आयुषी विजय)
कम्पनी सचिव–सह–अनुपालन अधिकारी
एम. नं. ए 55853

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 2.11.2019

FORM A
Public Announcement
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF HI TECH GRAIN PROCESSING PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	Hi Tech Grain Processing Private Limited
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	10/12/2001
3.	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated / Registered	REGISTRAR OF COMPANIES-DELHI
4.	Corporate Identity No. of Corporate Debtor	U15314DL2001PTC113420
5.	Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of Corporate Debtor	G-5, LAWRANCE ROAD INDUSTRIAL AREA DELHI-110035
6.	Insolvency Commencement date in respect of Corporate Debtor	31/10/2019 (Certified Copy of Order Received on 01/11/2019)
7.	Estimated date of closure of Insolvency Resolution Process	27/04/2020
8.	Name and Registration number of the Insolvency Professional acting as Interim Resolution Professional	AMAR GOPAL GAMBHIR Regd No. :IBBI/IPA-002/IP-N00753/2018-19/12027
9.	Address and E-mail of the Interim Resolution Professional, as Registered with the Board	21/16, 2nd Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008 agganddassociates@gmail.com
10.	Address and E-mail to be used for Correspondence with the Interim Resolution Professional	21/16, 2nd Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008 cp.hitechgrain@gmail.com OR agganddassociates@gmail.com
11.	Last

नाबालिग लड़की से बलात्कार, सात साल की जेल

ठाणे (महाराष्ट्र), 2 नवंबर (भाषा)।

नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के जुर्म में यहां की जिला अदालत ने 28 वर्षीय व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने शाहरुख उर्फ साजिद मोहम्मद मुस्तकीम शेख को यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया।

न्यायाधीश ने 18 अक्तूबर को व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अदालत का यह आदेश शुक्रवार को जारी हुआ। अपराध के लिए उकसाने के तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

अपनी दलील में अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 16 साल थी और वह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में काशीमीरा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पीड़िता जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि 16 अक्तूबर 2014 को 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा जब कॉलेज से अपने घर नहीं लौटी तब उसके माता पिता ने स्थानीय पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन उनके कुछ पड़ोसियों ने उसके माता पिता को बताया कि शाहरुख ने ही लड़की का अपहरण किया है।

पुलिस ने बताया कि जब लड़की के माता पिता उसे ढूंढने में नाकाम रहे तो भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार लड़की को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर देखा गया जिसे चार फरवरी 2015 को मीरा रोड पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया। लड़की ने पुलिस को बताया कि शाहरुख ने उसका अपहरण किया था और उसे पश्चिमी उपनगर बोरीवली में एक फैक्टरी में ले गया जहां उसने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।

पुलिस ने बताया कि बाद में शाहरुख उसे लखनऊ ले आया और उसके बाल काट दिए और एक कमरे में उसे कैद कर दिया।

मुंबई के डांस बार पर छापा, 14 ग्राहकों सहित 22 गिरफ्तार

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

मुंबई पुलिस की मादक निरोधी प्रकोष्ठ ने उनगरीय क्षेत्र मलाड के एक डांस बार पर शनिवार को छापा मारकर 14 ग्राहकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मलाड पूर्व के पोद्दार रोड स्थित काका बार एवं रेस्तरां में पुलिस के कथित खबरी अकसर जाते थे, जब शनिवार तड़के बार पर छापेमारी की गई तब 10 लड़कियां वहां मौजूद थीं।

मादक पदार्थ निरोधी के उपायुक्त शिवदीप लांडे ने कहा, 'कथित पुलिस खबरियों के आने की वजह से बार को संदिग्ध तत्वों के लिए सुरक्षित माना जाता था। चूंकि बार को खबरियों के अड्डे के रूप में जाना जाता था इसलिए बार संचालकों का मानना था कि पुलिस के छापे वहां नहीं पड़ेंगे।' लांडे ने कहा, 'हमें वहां नियमों की अवहेलना की सूचना मिली थी जिसके बाद यह छापेमारी की गई। 14 ग्राहकों सहित कम से कम 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 10 पीड़ितों को बचाया गया है। गिरफ्तार लोगों में प्रबंधक, वेटर, सुपरवाइजर, कैशियर शामिल हैं।' उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 93,930 रुपए नकद जब्त किए गए हैं।

लांडे ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, महाराष्ट्र के होटलों में अश्लील नृत्य निषेध कानून की धाराओं और महिला गरिमा कानून-2016 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

RELIGARE

रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 2रा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
CIN: L74899DL1984PLC146935
फोन: 91-11-4627 2400, फैक्स नं. 91-11-4627 2447
www.religare.com, ई-मेल: investorservices@religare.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''सूचीयन विनियमन'') के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक अब शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
पुनः सूचीयन विनियमन के विनियमन 46 के अनुसार उपरोक्त बैठक के ये विवरण कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.religare.com के साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात् www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

रेलिगेयर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रीना जायरा
कंपनी सचिव

तिथि: 3 नवम्बर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005.

निविदा सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र निगमित सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की उन सामान्य बीमा कंपनियों से सीलबंद कवर में कोटेशन आमंत्रित करता है, जो निम्नलिखित बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए सारपत्रों दस्तावेज में निर्दिष्ट अर्हतापूर्ण मानदंड पूरा करती हों –
क. साइबर बीमा कवरेज – आरएफपी से संबंधित अन्य सभी ब्यौरे हमारे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/tenders पर उपलब्ध हैं।
आरएफपी के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अंतिम दिनांक 13/11/2019 को दोपहर 4.00 बजे तक है। सीलबंद कोटेशन के प्रस्तुतीकरण का अंतिम दिनांक 16/11/2019 को दोपहर 3.00 बजे तक है।
बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अर्हतापूर्ण दस्तावेजों के बिना या अपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पुणे, 04/11/2019
सहायक महाप्रबंधक, निगमित सेवाएं

मिंडा फाइनांस लिमिटेड

CIN: L74899DL1992PLC050333
पंजी. कार्यालय: बी-64/1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052
वेबसाईट: www.unominda.com, ईमेल: investor@mindagroup.com
टेली: +9111 49373931, +91 124 2290427/28, फैक्स: +91 124 229067695
UNO MINDA

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन, 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कंपनी के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
यह सूचना कंपनी की वेबसाईट www.unominda.com तथा साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एवं के लिए मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
तरुण कुमार श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: दिल्ली
तिथि: 2 नवम्बर, 2019

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF

विजया बैंक- अब बैंक ऑफ बड़ौदा
(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिग्रहण सूचना
[अचल सम्पत्ति हेतु]

ऋणदाताओं ने पहले विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) (सरफेसी एक्ट) की धारा 13(12) के सपठित तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचनाएं जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है को भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणग्रहिता के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणग्रहिता / जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) के नियम 8 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित बंधक अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया गया है।
ऋणग्रहिता / जमानतकर्ता को विशेषतः तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति कोई क्रय-विक्रय और इन सम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभारी के अधीन होगा।
ऋणदाता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी का नाम व पता / मांग सूचना व कब्जा सूचना की तिथि	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि
शाखा- गोमती नगर शाखा।			
1.	ऋणी : श्री पंकज रस्तोगी, निवासी 14/1, जीपसिंग रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ – 226001 मांग सूचना तिथि : 06.08.2019 कब्जा सूचना तिथि: 31.10.2019	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर फ्लैट सं. 1202, एक – थ्रीफ, 12वीं तल, रोहतास प्रेसिडेंशियल टॉवर्स स्थित प्लॉट सं टीसी–जी–4/4, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, क्षेत्रफल 2193 वर्ग फीट, चौहद्दी:– पूर्व : खुला आसमान, पश्चिम : खुला आसमान, उत्तर : खुला आसमान / टॉवर सी सीढ़ी, दक्षिण : खुला आसमान / सीढ़ी लिफ्ट लॉबी	रु. 97,39,941/- एवं उस पर ब्याज

दिनांक: 03.11.2019 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

AVSL INDUSTRIES LIMITED

AVSL INDUSTRIES LIMITED

Regd. & Corp. Off: Unit No.- 1001, 10th Floor, NDM-2, Wazirpur District Centre, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi- 110034
CIN: L18101DL2003PLC121698
Contact No.: 011-47561234, 011-45561234
Email: avsl_pvc@avsl.co.in Website: www.avsl.co.in

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 01/2019-20 Extra Ordinary General Meeting of the Members of AVSL Industries Limited is scheduled to be held on Monday, 25th day of November, 2019 at 12:00 pm at the registered office of the company at Unit No.- 1001, 10th Floor, NDM-2, Wazirpur District Centre, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi- 110034.The Notice setting out the special Businesses to be transacted thereat have been sent to the members.

Notice is further given pursuant to the Provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and in accordance with the SEBI (LODR), 2015 requirements; the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from 15th November, 2019 to 26th November, 2019 (both days inclusive) for the purpose of EGM.

Place: Delhi
Date:02.11.2019

For AVSL Industries Limited
Sd/-
Managing Director

फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN: L74899DL1987PLC030092
पंजी. कार्यालय: 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेली.: (91-11) 25747696, 2575 1934/35/36, फैक्स: (91-11) 2575 1937/38
ईमेल: narendermakkar@yahoo.com

सूचना

स्टॉक एक्सचैंज के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 12.11.2019 को 5.00 बजे अप. में 3 रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008 में पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.09.2019 को समाप्त तिमाही अवधि के लिये कम्पनी के स्टैंड एलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
पुनः कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये संहिता के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो 30.09.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा की 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट http://www.phoenixindia.com तथा साथ हीं स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट https://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
नरेन्दर कुमार मक्कर
(DIN:00026857)
निदेशक तथा कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 2.11.2019

DELTA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

CIN: L52110DL1984PLC019525
Regd Office: Shop No. 325, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Website: www.dirl.in
E-mail: deltaindlt@gmail.com
Ph. No.: 011-27860551

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of **Delta Industrial Resources Limited** will be held on Monday, 11th November, 2019 to inter-alia, consider and take on record the Unaudited Reviewed Financial Statements of the Company for the half yearly and quarterly ended on 30th September, 2019.

It is also informed that Trading Window of **Delta Industrial Resources Limited** has been closed from 1st October, 2019 upto the second trading day after the announcement of the Financial Results for the period ending 30th September 2019.

The notice is also uploaded on www.dirl.in

For Delta Industrial Resources Limited
SD/-
Kiran Mittal
Director
DIN: 00749457

Place: New Delhi
Date: 02.11.2019

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL -II, DELHI
4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001

SALE PROCLAMATION
R. C. No. 220/2014

BANK OF BARODA VERSUS SH. BADRI KRISHNA MOORTHY.
PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 52 (2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993

CD# 1 Shri Badri Krishna Moorty, Proprietor, M/s Chanakya Service Station, 28/5, Samakha (Near Kapashera Police Station) New Delhi-110037
CD#2 Shri M.S. Krishnamoorty, C-151, Trinity Tower, DLF, Phase-V, Gurgaon, Haryana. (SINCE DECEASED THROUGH LRS), Mrs. Lakshmi Krishnamurthy (Wife of CD#2) C-151, Trinity Tower DLF Phase-V, Gurgaon-122001, Haryana
CD#2 Ms. Gen. Shankar Krishnamurthy (Son of CD#2)
(a) C-151, Trinity Tower, DLF Phase-V, Gurgaon-122001, Haryana
CD#2 Mrs. Leela Venkataraman (Daughter of CD#2)
(b) 4445 Weston Lane N Plymouth, MN-55446 United States of America
CD#2 Mr. Badri Krishnamurthy (Son of CD#2)
(c) B-102, Ambience Lagoon, NH-8, Gurgaon, Haryana
CD#2 Shri Sanjeev Jain
(d) C-3/15, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052
CD#3 Mrs. Geeta Badri, B-102, Ambience Lagoon, NH-8, Gurgaon, Haryana
CD#4 Ms. Chanakya Automobiles India Pvt. Ltd. Plot No. 10, Wazirpur Press Area, Delhi-110035.

1. Whereas as per Recovery Certificate No. 220/2014 dated 27.06.2014 drawn by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal- II mentioning a sum of **Rs.4,66,57,359/- (Rupees Four Crores Sixty Six Lacs Fifty Seven Thousand Three Hundred And Fifty Nine Only)**, has become due from you as per the bid Recovery Certificate drawn in OA No.151/2012 by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - II, Delhi. The applicant is entitled to recover a sum of **Rs.4,66,57,359/- (Rupees Four Crores Sixty Six Lacs Fifty Seven Thousand Three Hundred And Fifty Nine Only)** from the CDs jointly and / or severally with simple interest @ 18.50% p.a. from 03.07.2012 onwards until recovery for Rs.1,50,000/
2. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said Recovery Certificate.
3. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold **by e-auction and bidding shall take place through "Online Electronic Bidding" through the website https://drtauctiontiger.net Ms. E-procurement Technologies Limited, B-704-6, Wall Street-II, Ellis Bridge, Ahmedabad-380006 Contact No. +91 079-40230816-826, 079- 40230831-833, e-mail- support@auctiontiger.com on 12.12.2019 between 03.00 p.m. to 04.00 p.m.** with extensions of 5 minutes duration after 04:00 PM, if required.
4. The sale shall be of the property of the CD(s) above-named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot.
5. The property shall be put up for the sale as specified in the schedule. If the amount to be realized by sale is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale will also be stopped if, before auction is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned.
6. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.
7. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made thereunder and to the following further conditions:
7.1 The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.
7.2 The Reserve Price below which the property shall not be sold is **Rs.3,20,00,000/- (Rupees Three Crores and Twenty Lacs Only)** and the Earnest Money Deposit (EMD) is **Rs.32,00,000/- (Rupees Thirty Two Lacs Only).**
7.3 The interested bidders, who have submitted their bids not below the reserve price, along with documents including PAN Card, identity proof, address proof, etc., and in the case of company, copy of resolution passed by the board members of the company or any other document confirming representation/attorney of the company also, latest by **10.12.2019 before 4.00 PM** in the Office of the Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi, shall be eligible to participate in the e-auction to be held from **03.00 PM to 04.00 PM on 12.12.2019.** In the case of individual, a declaration if the bid is on his/her own behalf or on behalf of his/her principals be also submitted. In the latter case, the bidder shall be required to deposit his/her authority and in case of default, his/her bid shall be rejected. In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.
7.4 The bidder(s) shall improve their offer in multiples of **Rs 1,00,000/- (Rupees One Lac Only).**
7.5 The unsuccessful bidder shall take the EMD directly from the **Office of Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi/CH, i.e., BANK OF BARODA,** immediately on closure of the e-auction sale proceedings.
7.6 The Successful / highest bidder shall have to procure Demand Draft/Pay Order for 25% of the bid/sale amount, after adjusting the EMD, favoring Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi, A/c R.C. **No. 220/2014 by next bank working day i.e. by 04.00 PM** with the Tribunal.
7.7 The successful/highest bidder shall deposit, through Demand Draft/Pay Order favoring Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi, A/C **R.C. No. 220/2014**, the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi on or before 15th day from the date of auction of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day along with the poundage fee @ 2% upto Rs.1,000 and @ 1% on the excess of such gross amount over Rs 1000/- in favour of Registrar, DRT-II Delhi. (In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should reach the Recovery Officer as above).
7.8 In case of default of payment within the prescribed period, the property shall we re-sold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.
8. The property is being sold on **"AS IS WHERE IS BASIS" & "AS IS WHAT IS BASIS".**
9. The CH Bank/CHFI is directed to authenticate and verify about the veracity of the details given herein.
10. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.

SCHEDULE OF PROPERTY

Description of the property to be sold	Revenue assessed upon the property or any part thereof	Details of any encumbrance to which property is liable	Claims, if any, which have been put forward to the property, and any other known particulars bearing on its nature and value
Mortgaged property (land Not known & building) on plot measuring 1 bigha 10 biswa (out of 10 Bigha 5 Biswa), falling in Khasra No.28/5 (4-0) & 29/5(5-09). Situated in the Revenue Estate of Village Samaikha, Tehsil Mehrauli, Old Delhi Gurgaon Road, New Delhi.	Not known	Not known	Not known

(Avinash Chandra) Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi

Given under my hand and seal on 06.10.2019.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्वों एवं प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल की बैठक 11 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही (द्वितीय तिमाही) / अर्द्धवार्षिक के लिए बैंक के समीक्षित गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जाएगा।

यह सूचना बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com/investors_information.php और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com/ एवं www.nseindia.com/ पर भी उपलब्ध है।

दिनांक: 02.11.2019
स्थान: नई दिल्ली
विनय खंडेलवाल
कंपनी सचिव

PATBACK BUSINESS LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC018747
(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)
Regd. Office: Shop No. 325, Plot No.3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Email: crazypricingde@gmail.com
Website: www.crazypricingonline.com
Tel: 011-27860680

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of **PATBACK BUSINESS LIMITED (Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)** will be held on Tuesday, 12th November, 2019 to inter-alia, consider and take on record the Unaudited Reviewed Financial Statements of the Company for half yearly and quarterly ended on 30th September, 2019.

It is also informed that Trading Window of **PATBACK BUSINESS LIMITED (Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)** has been closed from 1st October, 2019 upto the second trading day after the announcement of the Financial Results for the period ending 30th September 2019.

The notice is also uploaded on www.crazypricingonline.com

For Patback Business Limited
(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)
SD/-
Kiran Mittal
Director
DIN: 00749457

Place: New Delhi
Date: 02.11.2019

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: आर-4, यूनिट 103, प्रथम तल, खिरकी एक्स्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017
CIN: L74899DL1993PLC055768
info@alchemist-corp.com/011-29544474

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की 6ठी बैठक (वित्त वर्ष 2019-2020 के लिये) गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को 12.30 बजे अप. में आर-4, यूनिट 103, प्रथम तल, खिरकी एक्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये समेकित तथा स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यक किसी अन्य मामलों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशकों/ अधिकारियों/ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 2 नवम्बर, 2019 से 16 नवम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.alchemist-corp.com तथा बम्बई स्टॉक एक्सचैंज की साइट अर्थात www.bseindia.com जहां कम्पनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेश से
एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
सोहन लाल
(प्रबंध निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 02.11.2019

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

सूचना

1) उपरोक्त नामधारी ने माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष कोटेश्वर, हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (400 मेगावाट) हेतु 01.04.19 से 31.03.24 तक की अवधि के लिए विद्युत दर के निर्धारण के लिए आवेदन किया है। 2) उत्पादक स्टेशन के लाभार्थी हैं: i. पंजाब राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड। ii. हरियाणा पॉवर यूटीलिटीज (डीएचबीवीएनएल एवं यूएचबीवीएनएल)। iii. उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड। iv. दिल्ली डिसकॉम्स क) बी.एस.ई.एस राजधानी पॉवर लिमिटेड। ख) बी.एस.ई.एस यमुना पॉवर लिमिटेड। ग) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड। v. इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, यू.टी. चंडीगढ़। vi. उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड। vii. एचपीएसईबी लिमिटेड। viii. राजस्थान डिसकॉम्स क) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ख) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ग) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ix. राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। x. पावर विकास विभाग (पीडीडी), जम्मू एण्ड कश्मीर। xi. जम्मू एवं कश्मीर स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड। xii. मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड। 3) उत्पादक स्टेशन की क्षमता : 4 x 100 मेगावाट 4) परियोजना की अनुमोदित पूंजीगत लागत : रुपये 2717.35 करोड़ 5) प्राधिकरण, जो पूंजीगत लागत अनुमोदित करता है : भारत सरकार 6) व्यापारिक प्रचालन की अधिसूचित तिथि : अप्रैल 2005 7) व्यापारिक प्रचालन की वास्तविक तिथि : प्रथम यूनिट : 01.04.2011, द्वितीय यूनिट : 26.10.2011, तृतीय यूनिट : 13.02.2012, चतुर्थ यूनिट : 01.04.2012 8) पूंजीगत लागत (ऊर्जा घटक) व्यापारिक प्रचालन की तिथि पर : रुपये 2398.07 करोड़ 9) दरों का विवरण (रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पिछले वर्ष की दायर की गई वार्षिक फिक्सड शुल्क 2018-19	वर्षवार फिक्सड शुल्क निर्धारित करने की मांग				
			प्रथम वर्ष 2019-20	द्वितीय वर्ष 2020-21	तृतीय वर्ष 2021-22	चतुर्थ वर्ष 2022-23	पंचम वर्ष 2023-24
1.	वार्षिक फिक्सड शुल्क	484.55	570.10	569.47	567.92	566.78	565.67

10) दर निर्धारण सम्बन्धी आवेदन की एक प्रति टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <thdc.co.in> पर उपलब्ध है। 11) आवेदन में रखे गये दर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर सुझाव एवं आपत्तियां, यदि कोई है, तो आवेदन में निर्धारित स्थान पर भरकर लाभार्थी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के पते पर, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आवेदक को एक प्रति भेजने के साथ, भेजी जा सकती है।

स्थान : ऋषिकेश
तिथि : 28.10.2019
(मुकेश कुमार वर्मा)
उप महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक)

बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश – 249201 (उत्तराखण्ड)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

सूचना

1) उपरोक्त नामधारी ने माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष कोटेश्वर, हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (400 मेगावाट) हेतु 01.04.19 से 31.03.24 तक की अवधि के लिए विद्युत दर के निर्धारण के लिए आवेदन किया है। 2) उत्पादक स्टेशन के लाभार्थी हैं: i. पंजाब राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड। ii. हरियाणा पॉवर यूटीलिटीज (डीएचबीवीएनएल एवं यूएचबीवीएनएल)। iii. उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड। iv. दिल्ली डिसकॉम्स क) बी.एस.ई.एस राजधानी पॉवर लिमिटेड। ख) बी.एस.ई.एस यमुना पॉवर लिमिटेड। ग) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड। v. इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, यू.टी. चंडीगढ़। vi. उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड। vii. एचपीएसईबी लिमिटेड। viii. राजस्थान डिसकॉम्स क) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ख) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ग) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ix. राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। x. पावर विकास विभाग (पीडीडी), जम्मू एण्ड कश्मीर। xi. जम्मू एवं कश्मीर स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड। xii. मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड। 3) उत्पादक स्टेशन की क्षमता : 4 x 100 मे

थॉमस कुक का ब्रांड अधिकार फोसुन ने 142 लाख डॉलर में खरीदा

बेजिंग, 2 नवंबर (एएफपी)।

विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली चीन की कंपनी फोसुन ने 142 लाख डॉलर में यात्रा संबंधी दिवालिया ब्रिटिश कंपनी 'थॉमस कुक' का ब्रांड अधिकार खरीद लिया है। फोसुन ने शुक्रवार को जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी।

ब्रिटेन के 178 साल पुरानी कंपनी थॉमस कुक ने सितंबर में दिवालिया होने की घोषणा की थी। इसके दिवालिया होने से दुनिया भर में 22 हजार लोगों की नौकरियां छिन गईं और दुनियाभर में जहां-तहां कई पर्यटक फंस गए थे। तब ब्रिटेन की सरकार को 1,40,00 से अधिक पर्यटकों को घर लाने के लिए बड़ा अभियान चलाना पड़ा।

थॉमस कुक ने सितंबर में दिवालिया होने की घोषणा की थी। इसके दिवालिया होने से दुनिया भर में 22 हजार लोगों की नौकरियां छिन गईं और दुनिया भर में जहां-तहां कई पर्यटक फंस गए थे। तब ब्रिटेन सरकार को 1,40,00 से अधिक पर्यटकों को घर लाने के लिए बड़ा अभियान चलाना पड़ा।

थॉमस कुक मजबूती से खड़े होने के लिए एक निजी निवेशक से 25 करोड़ डॉलर जुटाने का प्रयास कर रही थी जिसमें वह सफल नहीं हो पाई। फोसुन पहले से ही थॉमस कुक की सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी है। उसने बयान में कहा कि उसे इस सौदे के बाद थॉमस कुक ब्रांड का मालिकाना हक मिल गया है। इसके साथ उसे अनुषंगी होटल चेन कासा कुक और कुक्स क्लब का ब्रांड अधिकार भी मिल गया है।

ईपीएफओ की वेबसाइट से खुद ही ले सकते हैं यूएएन

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने शुक्रवार को औपचारिक क्षेत्र के कामगारों को अब सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) सृजित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा पेश की। इससे कर्मचारी खुद ही ऑनलाइन तरीके से यूएएन प्राप्त कर सकेंगे।

अभी कर्मचारियों को यूएएन के लिए नियोक्ताओं के जरिए आवेदन करना होता है। अब ईपीएफओ की वेबसाइट से इसे खुद ही बनाया जा सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ ने 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश जैसे पेंशन संबंधित अन्य दस्तावेज डिजिलॉकर में डाउनलोड करने की भी सुविधा शुरू की है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के 67वें स्थापना दिवस पर यहां इन दोनों सुविधाओं की शुरुआत की।

चौथे दौर की नीलामी में सात तेल प्रखंडों के लिए मिलीं मात्र आठ बोलियां

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

तेल व गैस उत्खनन की संशोधित नई लाइसेंस नीति के तहत नीलामी के लिए प्रस्तुत सात प्रखंडों के लिए महज आठ बोलियां प्राप्त हुईं। वह भी सरकारी कंपनियों की ओर से आईं। नीलामी के इस दौर को निजी व विदेशी कंपनियों ने नजरअंदाज कर दिया।

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने एक बयान में कहा कि ओएनजीसी ने सभी सात प्रखंडों के लिए और ऑयल इंडिया ने एक खंड के लिए बोली लगाई है। बोली जमा करने की समय सीमा गुरुवार को पूरी हो गई। बयान में कहा गया है कि राजस्थान में एक तेल प्रखंड के लिए इन दोनों कंपनियों ने बोलियां प्रस्तुत की हैं। मध्य प्रदेश के पांच प्रखंडों और पश्चिम बंगाल के एक खंड के लिए सिर्फ ओएनजीसी ने बोली लगाई है।

महानिदेशालय ने कहा कि खुला क्षेत्र लाइसेंस नीति के चौथे दौर में करीब 18,500 वर्ग किलोमीटर के सात प्रखंड नीलामी के लिए रखे गए थे। प्राप्त बोलियों से पता चलता है कि भारत में कच्चा तेल की खोज व उत्पादन में स्थापित कंपनियों की दिलचस्पी बनी हुई है। तय समय के तहत बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। नई नीति के तहत नीलामी के पहले दौर में 55 प्रखंडों के लिए 110 बोलियां, दूसरे दौर में 14 खंडों के लिए 33 बोलियां और तीसरे दौर में 23 खंडों के लिए 42 बोलियां प्राप्त हुई थीं। इन तीनों दौर में 87 प्रखंडों का आबंटन किया गया। महानिदेशालय ने कहा कि पांचवें दौर की नीलामी के लिए 30 नवंबर तक बोलियां लगाई जा सकती हैं।

आयकर विभाग ने टाटा घराने के छह न्यासों का पंजीयन रद्द किया

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

आयकर विभाग ने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट समेत छह टाटा ट्रस्ट का पंजीयन रद्द कर दिया।

इन न्यासों ने कहा कि इन छह ट्रस्टों ने अपना पंजीयन लौटाने और इससे मिलने वाले कर लाभ का फायदा नहीं उठाने का फैसला 2015 में ही ले लिया था। इन छह न्यासों में टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट और नवजभाई रतन टाटा ट्रस्ट भी शामिल हैं। टाटा घराने के न्यासों ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पंजीयन लौटाने का फैसला परमार्थ कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

महाराष्ट्र : वर्षा प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ मंजूर

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान के तौर पर शनिवार को 10,000 करोड़ रुपर मंजूर किए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नुकसान पर चर्चा के लिए अपने सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, आधा दर्जन जिलों में फैले 54.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। बैठक में जल संसाधन और जल संरक्षण राज्य मंत्री विजय शिवतारे भी शामिल हुए। वह शिवसेना के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल अन्य मंत्रियों में चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, सुभाष देशमुख, अनिल बोंडे, सदाभाऊ खोत, सुरेश खाडे, महादेव जानकर शामिल थे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जमीनी स्थिति की समीक्षा करने और प्रदान की जाने वाली सहायता के ब्यौरे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम मदद के लिए केंद्र से संपर्क करेंगे। लेकिन, राज्य सरकार केंद्रीय सहायता का इंतजार किए बगैर अपने कोष से राशि वितरित करेगी।' इस बीच सरकार ने सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में संशोधन किया है और भारी बारिश शब्द के साथ बेमौसम बारिश को भी शामिल किया है।

छत्तीसगढ़ में धान का खरीद मूल्य 2,500 रुपए क्विंटल

रायपुर, 2 नवंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सत्र की धान की खरीद एक दिसंबर से शुरू होगी और 15 फरवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने किसानों से 2,500 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीद की योजना बनाई है।

एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने खरीद कार्य और चालू विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत धान और मक्का की खरीद और उसकी मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी। अधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार एक दिसंबर से लेकर अगले साल 15 फरवरी तक प्राथमिक सहकारिता सोसायटियों से धान खरीदेगी।

राज्य सरकार ने चालू खरीफ सत्र में किसानों से 2,500 रुपए क्विंटल की दर से करीब 85 लाख टन धान खरीद करने की योजना बनाई है। सरकार का इरादा अधिशेष चावल को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत उपयोग के लिए योगदान करने का है। उन्होंने कहा कि हर पंजीकृत किसान से कम से कम प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि हाल में बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के व्यापक हित में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर 2,500 रुपए क्विंटल करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि या फिर प्रदेश को बढ़ी हुई कीमत पर धान खरीद की अनुमति दी जाए।

यह अनुरोध इस साल जुलाई में धान का एमएसपी घोषित किए जाने के बाद किया गया। सरकार ने जुलाई में 2019-20 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य ग्रेड के धान के लिए 1,815 रुपए क्विंटल है और ए-ग्रेड की धान का एमएसपी 1,835 रुपए क्विंटल तय किया गया। पिछले साल राज्य में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने किसानों से 2,500 रुपए क्विंटल धान की खरीद के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है।

इंडियाबुल्स ने 1,830 करोड़ में प्रवर्तक समूह को बेची लंदन की संपत्ति

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

इंडियाबुल्स रीयल एस्टेट ने शनिवार को कहा कि उसने लंदन स्थित अपनी संपत्ति प्रवर्तक समूह की एक कंपनी को 20 करोड़ पाउंड (करीब 1,830 करोड़ रुपए) में बेच दी है।

कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि उसने भारतीय कारोबार पर ध्यान देने और कर्ज कम करने के लिए यह कदम उठाया है। कंपनी के शेयरधारकों ने 28 सितंबर को हुई सालाना आम बैठक में लंदन स्थित संपत्ति प्रवर्तक को बेचने को मंजूरी दे दी थी।

शक्तिकांत दास से मिले अमेरिकी वित्त मंत्री, अर्थव्यवस्था पर हुई चर्चा

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने शनिवार को यहां देश की वित्तीय राजधानी में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास से मुलाकात की।

रिजर्व बैंक के एक बयान में कहा गया कि इस मुलाकात में दोनों देशों की घरेलू व वैश्विक वृहद आर्थिक परिस्थितियों और नियामकीय बदलावों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान म्नुचिन के साथ भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर और मुंबई में अमेरिका के महावाणिज्य दूत डेविड जे रैंज भी मौजूद रहे। समझा जाता है कि म्नुचिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा पर निकले हैं।

बयान में कहा कि तीनों ने दास के अलावा रिजर्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। म्नुचिन शनिवार को यहां कारोबार जगत के लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं।

कारोबारी साझेदार को चूना लगाने वाला स्वर्ण कारोबारी गिरफ्तार

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

हेराफेरी से अपने कारोबारी साझेदार को सात करोड़ का चूना लगाने वाले एक आभूषण कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी राजेश कुमार मुनत झवेरी बाजार से संचालित देव बुलियन में साझेदार है। उनके सहयोगी राजकुमार गुप्ता की ओर से एलटी मार्ग थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक कंपनी आभूषण विक्रेताओं को सोने की आपूर्ति करती है। बहीखाता के साथ ही सोने की आपूर्ति का काम देखने वाले मुनत की कारोबार में पांच फीसद हिस्सेदारी है।

हाल में कुछ ग्राहकों ने गुप्ता को शिकायत की थी कि उन्हें सोने की आपूर्ति नहीं मिली, जिसके लिए उन्होंने पूरा भुगतान कर रखा था। बहीखाता देखने पर गुप्ता को पता चला कि 23 किलो सोने के लिए सात करोड़ रुपए लिए गए थे। मुनत को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया गया।

SMART CAPITAL SERVICES LIMITED
Regd. Office: 325, IInd Floor, Agganwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Tel: 011-45584444
Email ID: smartcap.delhi@gmail.com
Website: www.smartcapitalservices.in
CIN: L74899DL1994PLC059587

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of **SMART CAPITAL SERVICES LIMITED**, will be held on Thursday, 14th November, 2019 to inter-alia, consider and take on record the Unaudited Reviewed Financial Statements of the Company for half yearly and quarterly ended on 30th September, 2019.

It is also informed that Trading Window of **SMART CAPITAL SERVICES LIMITED** has been closed from 1st October, 2019 upto the second trading day after the announcement of the Financial Results for the period ending 30th September 2019.

The notice is also uploaded on www.smartcapitalservices.in

For SMART CAPITAL SERVICES LIMITED
SD/-
Kiran Mittal
Director
DIN: 00749457

Place: New Delhi
Date: 02.11.2019

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED
(Formerly known as Rita Holdings Limited)
Regd. Off.: 324A, IInd Floor, Agganwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
E. mail: ritaholdingsltd@gmail.com,
Website: www.ritaholdings.in
M. No. 9810280127
CIN: L67120DL1981PLC011741

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of **RITA FINANCE AND LEASING LIMITED (Formerly known as Rita Holdings Limited)**, will be held on Wednesday, 13th November, 2019 to inter-alia, consider and take on record the Unaudited Reviewed Financial Statements of the Company for half yearly and quarterly ended on 30th September, 2019.

It is also informed that Trading Window of **RITA FINANCE AND LEASING LIMITED (Formerly known as Rita Holdings Limited)** has been closed from 1st October, 2019 upto the second trading day after the announcement of the Financial Results for the period ending 30th September 2019.

The notice is also uploaded on www.ritaholdings.in

Rita Finance and Leasing Limited
(Formerly known as Rita Holdings Limited)
SD/-
Kiran Mittal
Director
DIN: 00749457

Place: New Delhi
Date: 02.11.2019

कोल इंडिया 10 हजार रोजगार सृजित करेगी

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि कोल इंडिया अगले वित्त वर्ष में 75 करोड़ टन कोयला उत्पादन करेगी और रोजगार के करीब 10 हजार अवसरों की पेशकश करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में जोशी के हवाले से कहा कि कोल इंडिया 2023-24 तक एक अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। मंत्रालय ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया रोजगार के 10 हजार अवसरों का भी सृजन करेगी। उन्होंने कंपनी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोलकाता में कंपनी के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शुक्रवार को कहा कि आपको 2023-24 तक लक्ष्य पाने के लिए गति बढ़ानी होगी, क्योंकि मौजूदा गति पर्याप्त नहीं है।

एपीएल अपोलो-ट्यूब्स लिमिटेड
APLAPOLLO STEEL PIPES
CIN: L74899DL1986PLC023443, वेबसाईट: www.aplapollo.com
पंजीकृत कार्यालय: 37, हरगोबिन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट कार्यालय: 36, कौशाम्बी, आनंद विहार टर्मिनल के निकट, दिल्ली, एनसीआर 201010
ई-मेल: investors@aplapollo.com, टेली.: 91-120-4041400, फैक्स: 91-120-4041444

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1)(ए) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 9 नवम्बर, 2019 को 36, कौशाम्बी, आनंद विहार टर्मिनल के निकट, दिल्ली-एनसीआर, जिला गाजियाबाद-201010 में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
संजय गुप्ता
निदेशक

स्थान: गाजियाबाद
तिथि: 2.11.2019

अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला आगरा में आठ से

आगरा, 2 नवंबर (भाषा)।

आगरा फुटवियर विनिर्माण व निर्यात चेंबर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेले में 10 देशों की 150 कंपनियां भाग लेंगी। इस मेले का आयोजन आठ नवंबर से 10 नवंबर के दौरान सिंगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में होगा।

संगठन के अध्यक्ष पूरन डाबर ने बताया कि चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, ताइवान, जर्मनी, इटली, स्पेन व हांगकांग समेत 10 देशों के जूता उद्योग से जुड़ी 150 कंपनियां इसमें भाग लेंगी। मेले का उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे करेंगे।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 की धारा 80 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक विधिवत नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणधारी एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि तथाहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 31, अक्टूबर, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद करोख न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होगी। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क्र.सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम और खाता सं.	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की दिनांक/तारीख के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जा लिफाफे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	सेक्टर-2 शास्त्री नगर	श्री शमशु रहमान खाता संख्या - 4009000900000792 और 4009000NC0000849	1- श्री शमशु रहमान पुत्र श्री अब्दुल रहमान (ऋणकर्ता) पता- मकान नंबर पुराना 170, नयू नंबर 26, प्लॉट नंबर 4, सी. शक्ति नगर, पंडित गंगा राम की धर्मशाला के पास, केसर गंज, मेरठ -250001 2- श्रीमती नुसैबा पत्नी श्री शमशु रहमान (सह ऋणकर्ता) पता- मकान नं. पुराना 170, नयू नंबर 26, प्लॉट नंबर 4, सी. शक्ति नगर, पंडित गंगा राम की धर्मशाला के पास, केसर गंज, मेरठ-250001 3- श्री फिरोज पुत्र शमशु रहमान (सह ऋणकर्ता) पता- मकान नं. पुराना 170, नयू नंबर 26, प्लॉट नंबर 4, सी. शक्ति नगर, पंडित गंगा राम की धर्मशाला के पास, केसर गंज, मेरठ-250001	1- मकान नंबर पुराना 170, नयू नंबर 26, प्लॉट नंबर 4, सी. शक्ति नगर, पंडित गंगा राम की धर्मशाला के पास, केसर गंज, मेरठ, क्षेत्रफल 135.08 वर्गमीटर। सीमाएं - पूर्व 27 फीट / 12 फीट रास्ता, पश्चिम 32 फीट अन्य का मकान, उत्तर 46.5 फीट प्लॉट नं. 3 दक्षिण 49 फीट 6 इंच अन्य का मकान	16.08.2019 रु. 30,39,748.70/- दिनांक 01.06.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	31.10.2019	गरिमा वर्मा
2.	सेक्टर-2 शास्त्री नगर	श्री आस मोहम्मद खाता संख्या - 400000NC00008686	1- श्री आस मोहम्मद (ऋणकर्ता) पता-421 बुधर नगर, मेरठ पूर्व-250002 2- श्री नसीबुद्दीन (गारंटर) पता- मकान नंबर 500, श्याम नगर, पिलोखड़ी रोड, मेरठ-250002	1. आवासीय मकान नं. सं. 531/1, खसरा नंबर 3323, श्याम नगर, पिलोखड़ी रोड, मेरठ क्षेत्रफल 200 वर्गगज स्वामित्व श्री आस मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल्लाह सीमाएं-पूर्व 48 फीट/ नासिर अहमद का मकान अब जमीर का मकान पश्चिम 46 फीट/ दयानती की सम्पत्ति अब जमीर का मकान उत्तर 29 फीट/ नाला कच्ची/ रास्ता इसके बाद नाला और सड़क दक्षिण 33 फीट/ सरदार नाहर सिंह का मकान अब शमीम का मकान	16.08.2019 रु. 9,87,041.00/- दिनांक 01.06.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	31.10.2019	गरिमा वर्मा

दिनांक:- 02.11.2019 स्थान:- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालय: दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 20.11.2019 को सायं 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बन्धक / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटरों और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 21.11.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अंतिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

चल वाहन का विवरण

क्र.सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक का नाम	वाहन का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	गढ़ी हरसारू, श्री विनोद कुमार, मो. 9911825308, फोन: 0124-2276963, 2276962, ईमेल: cb1080@corpbank.co.in	कर्जदार : मैसर्स सर्वेश एजुकेशन ट्रस्ट गारंटर : 1. श्री ईशपाल भारद्वाज पुत्र हरकेश भारद्वाज 2. श्रीमती संगीता भारद्वाज पत्नी श्री ईशपाल भारद्वाज	BUS, SML ISUZU Limited, Reg No. - HR-55J-7603, Chassis No.-MBUZT54ECO0134999, Year of Manufacture-2009 BUS, SML ISUZU Ltd., Reg No. - HR-55L-4215, Chassis No.-MBUZT54XGB0147933, Year of Manufacture-2010	₹ 19,55,000/- दिनांक 07.08.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 1.79 लाख ₹ 17,900/- ₹ 5,000/- ₹ 2.15 लाख ₹ 21,500/- ₹ 5,000/-	21-11-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101002686987 IFSC कोड: CORP0001080
2	बालसेढ़ा शाखा, श्री विवेक भारती, मो. 8168392901, फोन: 01274-242707, 242516, ईमेल: cb1247@corpbank.co.in	कर्जदार : मैसर्स सर्वेश एजुकेशन ट्रस्ट गारंटर : 1. श्री ईशपाल भारद्वाज पुत्र हरकेश भारद्वाज 2. श्रीमती संगीता भारद्वाज पत्नी श्री ईशपाल भारद्वाज	BUS, URAL India Limited, Reg No. - HR-55R-4690, Chassis No.-MDYOSJFK294010196, Year of Manufacture-2012	₹ 21,97,460.00 दिनांक 09.06.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 3.40 लाख ₹ 34,000/- ₹ 5,000/-	21-11-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	खाता नं. 510101002753441 IFSC कोड: CORP0001247

कृपया विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/savera_education_trust_0.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/savera_education_trust1.pdf और वेबसाईट : www.bankauctions.in & https://ibapi.in देखें।

दिनांक: 02.11.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विक्रय घोषणा सूचना
आर.सी. 353/2017
बैंक ऑफ बड़ौदा
बनाम
मैसर्स ह्वीलर लैदर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उदघोषणा

सीडी # 1. ह्वीलर लैदर मैसर्स कॉर्पोरेशन लि.
पंजीकृत कार्यालय : 23, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, प्रयागराज-211001
फैक्ट्री : ग्राम पथरेरी, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा
सीडी # 2. श्री आलोक बनर्जी पुत्र स्व. श्री ए.सी. बनर्जी (प्रबन्ध निदेशक)
मैसर्स ह्वीलर लैदर कॉर्पोरेशन लि., निवासी 30, टैगोर गार्डन, प्रयागराज, उ.प्र.
सीडी # 3. श्री सुबीर बनर्जी पुत्र स्व. श्री ए.सी. बनर्जी (प्रबन्ध निदेशक)
मैसर्स ह्वीलर लैदर कॉर्पोरेशन लि., निवासी 30, टैगोर गार्डन, प्रयागराज, उ.प्र.
सीडी # 4. श्री प्रशान्त बनर्जी पुत्र स्व. श्री आर.एन. बनर्जी (निदेशक)
मैसर्स ह्वीलर लैदर कॉर्पोरेशन लि., निवासी 3, ए.एन. झा मार्ग, प्रयागराज, उ.प्र.
अपने एलआरएस के माध्यम से मृतक होने के कारण
4-ए सुश्री विनीता बनर्जी (पत्नी)
4-बी श्री देबाशीष बनर्जी (पुत्र)
4-सी श्री जयन्ती बनर्जी (पुत्र)
(उपर्युक्त सभी 4ए से 4सी तक 3, ए.एन. झा मार्ग, प्रयागराज, उ.प्र. के निवासी हैं)
सीडी # 5. मैसर्स ए.एच. ह्वीलर एण्ड कं. लि. पंजी.
कार्यालय : 23, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, प्रयागराज-211001

1. जैसा कि रु. 3,79,12,186.60/- (रुपये तीन करोड़ उन्यासी लाख बारह हजार एक सौ छियासी एवं साठ पैसे मात्र) की राशि जो आप पर बकाया है, की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा ओ.ए. नं. 77/2004 तिथि 27.11.2017 में वसूली प्रमाणपत्र सं. 353/2017 तैयार की गई है। पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली-II द्वारा ओ.ए.नं. 77/2004 तिथि 27.11.2017 में तैयार की गई वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 3,76,98,186.60/- (रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख अट्ठानबे हजार एक सौ छियासी एवं साठ पैसे मात्र) तथा सीडी# 1, 2, 3 तथा 5 एवं सीडी# 4(ए) से (ओ), जो कि मृतक सीडी#4 के उत्तराधिकारी हैं से रु. 2,14,000/- की एमएन लागत वसूली फाइल करने की तिथि से 12% साधारण वार्षिक दर से वादकालीन एवं भावी ब्याज सीएच बैंक के पास अपरदी राशि अदा करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर इसकी वसूली दृष्टिबंधक स्टॉक, माल, कच्चे माल आदि तथा सम्मिलित बंधक भूमि के विक्रय के माध्यम से की जायेगी। किसी त्रुटि की स्थिति में इसकी वसूली सीडी# 1, 2, 3 एवं 5 की व्यक्तिगत चल एवं अचल आस्तियों से संयुक्त एवं एकमात्र रूप से की जायेगी।
2. तथा, जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 11.12.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर के बीच, यदि जरूरी हुआ तो 12 बजे दोपहर के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम से वेबसाईट http://drt.auctiontiger.com पर होगी।
4. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
6. ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड–1, नई दिल्ली–110005,
फोन : 011-28754615, 28754642, ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटरों और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता कॉर्पोरेशन बैंक को – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रकम की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **19.11.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रकम होगी।

शाखा का नाम एवं पता : ओवरसीज शाखा फोन नं. 011-23418730, 23418720

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार: इंडिया गेट इंडिया लि., 113–ए, कमला नगर, दिल्ली, निदेशक / गारंटर / बंधककर्ता (1) श्री अजय गुप्ता, (2) श्रीमती रजनी गुप्ता, (3) श्रीमती मीना गुप्ता, (4) मैसर्स आरके कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा. लि., (5) मैसर्स रोज कॉलोनाइजर प्रा. लि., (6) श्री अशोक गुप्ता, (7) श्री हरीश गुप्ता, (8) श्री अभिषेक गुप्ता, (9) श्रीमती रीता गुप्ता, (10) श्रीमती मंजू गुप्ता, (11) श्री सिद्धार्थ गुप्ता, (12) मैसर्स पैराडाइट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (प्रोपराइटर मैसर्स गुलाब राय एण्ड संस प्रा. लि.), (13) मैसर्स नेक्सा (इंडिया) प्रा. लि., (14) श्रीमती शांति देवी (मृतक) पत्नी स्वर्गीय श्री मूल चंद गुप्ता, उनकी कानूनी वारसीयत (1) श्री अजय गुप्ता, (11) श्री अशोक गुप्ता, (111) श्री संजय गुप्ता (मृतक) पुत्र स्व. श्री मूल चंद गुप्ता, वैकल्पिक के माध्यम से – (i) श्रीमती मीना गुप्ता, (ii) श्री सिद्धार्थ गुप्ता, (iv) सुश्री विमला अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री मूल चंद गुप्ता, (v) सुश्री निर्मला मोहन पुत्री पेर श्री मूल चंद गुप्ता	**₹ 4,76,80,09,979.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 1 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निवासी सम्पत्ति मकान नं 7676/2, वार्ड नं. 12, सिंह सभा रोड, अमर सिनेमा हॉल से चुन्ना, शक्ति नगर के पास, दिल्ली–110007 मालिकाना हक संयुक्त रूप से मीना गुप्ता, मंजू गुप्ता, रजनी गुप्ता, रीता गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 717.15 वर्ग गज, चौहद्दी : उत्तर में – अमर सिनेमा हॉल और रोड, दक्षिण में – वार्ड पुरा लाइन, पूरब में – सम्पत्ति नं. 7676/2, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 7676 का शेष भाग
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **12,00,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,20,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/harish_chandra_india_ltd_2.pdf

सम्पत्ति नं. 2 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैटेड भूमि एवं फार्म हाउस बिल्डिंग जिसका पुराना खसरा नं (क) 1173(3-4), 1192 (1-10), 1193/1(4-11), 1194(0-5), 1195/1 (3-8), 1201(1-1), 1262(0-8), 1263(2-8), 1264/2/1(2-8) और 1265/1(2-7) में से, जोकि संयुक्त रूप से सुश्री रीना गुप्ता और सुश्री मंजू गुप्ता के नाम पर है। (ख) 79/9, (2-2), 79/12(2-16), 79/13(4-16), 79/18(4-16), 79/23(4-16), 86/3(9-15) and 86/4(1-8) जोकि संयुक्त रूप से सुश्री रजनी गुप्ता और सुश्री रीता गुप्ता के नाम पर है। (ग) 79/10 Min (0-8) 11 Min (4-3) and 26 (0-13), 79/1 Min (1-1), 10 Min (1-7), 80/5/2(1-2), 79/21 Min. (2-5) 68/22/1 (1-0) 79/2(1-0) and 79/3 Min(0-4), 79/20 Min. (1-3), 79/20 Min. (1-2), 79/14 Min. (1-12), 68/22/2(0-18), 79/2 Min(0-10), 79/3 Min.(0-8) जोकि की संयुक्त रूप से सुश्री रजनी गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल 12.06 एकड़, अलीपुर खसरा रोड, गाँव अलीपुर, दिल्ली–110036 में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की भूमि, दक्षिण में – अन्य की भूमि, पूरब में – अन्य की भूमि, पश्चिम में– चौड़ा लेन
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **20,83,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **2,08,90,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/harish_chandra_india_ltd_2.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार: मातारानी ट्रस्ट, 387 फ्लैट नं. 07, कर्पमान अपार्ट्मेंट मयूर विहार फेज–1, दिल्ली, ट्रस्टी का नाम: 1. श्री संजय लखपाल, 2. श्रीमती मंजरी लखपाल, गारंटर: 1. संजय लखपाल, 2. मंजूरी लखपाल	**₹ 30,06,29,474.30 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 3 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं. 825, मेन नेशनल हाईवे पर गाँव तोड़ा, एन एच–3, (आगरा ग्वालियर रोड) तहसील खेरागढ़ आगरा (यू.पी) और उस पर निर्माण
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **10,54,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,05,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mata_rani_trust_1.pdf

सम्पत्ति नं. 4 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं. **824, 826, 827, 828, 829, 834/5**, मेन नेशनल हाईवे पर गाँव तोड़ा, एन एच–3, आगरा (यू.पी) और उस पर निर्माण
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **20,12,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **2,01,20,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mata_rani_trust_1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार : मैसर्स ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, 370 – 371/2, शक्ति अपार्टमेंट रोड, जंगपुरा भोगल, नई दिल्ली – 110014 गारंटर श्री एच.एस. भटनागर, सी –146, प्रथम तल, सर्वोदय एन्क्लेव, दिल्ली – 110017, 2. सीड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 101, सीताराम हवेली, 718/21, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005, 3. मैसर्स ओरे रीयलटर्स प्रा. लि. (गारंटर), मकान नं. 130, प्रथम तल, मस्जिद गेट, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– II, नई दिल्ली – 110049 और बी–165, फ्लैट नं. बी, भूतल, नई अशोक नगर, नई दिल्ली – 110096	**₹ 6,01,99,93,843.80 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 5 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 2.8703 एकड़, खेवट नं. 22, खतौनी नं. 37, खसरा नं. 189 (1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0), 248 (1-9-0) और 250 (1-19-0) किटा 6 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा 0 बिस्वासी पार्ट 640/1466 कुल 4 बीघा 15 बिस्वा 1 बिस्वासी गाँव मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **17,79,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,77,90,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited.pdf

सम्पत्ति नं. 6 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 2.8281 एकड़, खेवट नं. 22, खसरा नं. **189(1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0), 248 (1-9-0) and 250 (1-19-0)** किटा 6 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा 0 बिस्वासी पार्ट 1850/4369 कुल 4 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वासी गाँव मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **16,95,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,69,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited.pdf

सम्पत्ति नं. 7 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 1.8438 एकड़, खेवट नं. 13, खाता नं. 23 और 24, खसरा नं. **159 (1-15-0), 160 (0-18-0), 164(3-5-0)** किटा 3 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा पार्ट ½ कुल 2 बीघा 19 बिस्वा गाँव मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **11,05,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,10,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited.pdf

सम्पत्ति नं. 8 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 0.0977 एकड़, खेवट नं. 22, खसरा नं. **189(1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0),** किटा 4 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 0 बिस्वासी पार्ट 1/48 कुल 0 बीघा 3 बिस्वा 2.5 बिस्वासी जोकि गाँव मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **58,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **5,80,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited.pdf

सम्पत्ति नं. 9 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 1.6094 एकड़, खेवट नं. 32, खसरा नं. **232 (2-3), 295/235 Min Shumal (0-8), 240 Min Janub (1-0), 242/2 (1-8), 111/2 (0-6), 233 (1-19), 295/235 Min Janub (0-7), 177 (1-4), 240 Min Shumal (1-11), 237 Min Shumal (1-0), 240 Min Darmanyam (1-10), 237 Min Janub (0-19), Kita 11 Rakba 14 Bigha 5 Biswa and Khewat No. 53, Khasra No. 174(2-15), 236 (0-17), Kita 2 Rakba 3 Bigha 12 Biswa totaling 17 Bigha 17 Biswa Part 193/714 Part Rakba 2 Bigha 11 Biswa 10 Biswani** जोकि गाँव मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि., क्षेत्रफल 0.4453 एकड़
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **9,64,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **96,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited.pdf

सम्पत्ति नं. 10 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 0.4453 एकड़ खेवट नं. 61, खतौनी नं. 80, खसरा नं. 171 (1-18-0) किटा 1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा पार्ट 3/8 कुल 0 बीघा 14 बिस्वा 5 बिस्वासी गाँव मोहम्मद हेड़ी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि., क्षेत्रफल 0.4453 एकड़
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,67,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **26,70,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ता: एम आर वेन्स प्रा. लि., 1245 द्वितीय तल, कुतब महावली, चावली चौक, दिल्ली प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम: श्री मुनि राम वर्मा, श्रीमती आशा वर्मा, गारंटर: 1. श्री मुनि राम वर्मा 2. श्रीमती आशा वर्मा	**₹ 34,34,10,426.37 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 11 व्यवसायिक सम्पत्ति प्रथम तल (बिना छत / टेरेस के), सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 3160, वार्ड नं. XVI, ब्लॉक–पी, प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616, गली नं. 34, जोकि बस्ती रैपर, सरस्वती मार्ग, बिठनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,15,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **21,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/m.r.chains_pvt._ltd_0.pdf

सम्पत्ति नं. 12 व्यवसायिक सम्पत्ति द्वितीय तल (बिना छत / टेरेस के), सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 3160, वार्ड नं. XVI, ब्लॉक–पी, प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616, गली नं. 34, जोकि बस्ती रैपर, सरस्वती मार्ग, बिठनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,32,20,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **13,22,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/m.r.chains_pvt._ltd_0.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार: वेन्डो वर्ल्डवाइड प्रा. लि., ए–37 विजय नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, गारंटर्स (1) लव भारद्वाज (2) रवि भोला (3) रवीन्द्रा इंटरनेशनल प्रा. लि.	**₹ 50,62,89,487.80 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 13 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 106-110-A-B, 111 to 114, 115-A/5, 115-B/1-9, 120-B, C, D, E और F, तेलीवाड़ा एन्ट्री के पास, छोटा बाजार कॉम्प्लैक्स जिसे अपना बाजार कहते हैं, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, यह सम्पत्ति लव भारद्वाज के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (सरकारी हास्पिटल), पूरब में – आम रास्ता और अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **11,10,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,11,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rainbow_worldwide_private_limited1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ता: मैसर्स विजय श्री एटरप्राइजेज, 4012–13, प्रथम तल, गंज बाजार, दिल्ली–110006 गारंटर: श्री राजीव बंसल पुत्र श्री कपूरचंद बंसल, श्रीमती शीमा बंसल पत्नी श्री राजीव बंसल, श्री नितिन सक्सेना	**₹ 8,93,72,683/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 14 बेसमेंट तल रिहायशी बिल्डिंग जोकि प्लॉट नं. 98 चौरण्डी (मीरा एनक्लेव), नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 250 वर्ग मी.
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **41,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **4,10,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/vijay_shree_enterprises_2.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ता: मैसर्स शर्मा कॉर्पोरेट प्रा. लि., (पूर्व में रीस इंफ्रा लि.) 16 सी, वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057, गारंटर: श्री रमेश शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा, श्री एम.सी. अग्निहोत्री, श्रीमती रमा शर्मा	**₹ 79,14,95,288.26 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 15 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि गाँव लाफीपुर, खसरा नं. 31/17 (उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा) रहीला, नंगलोई, नजफगढ़, रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज प्रत्येक, मालिकाना हक श्रीमती उषा शर्मा और श्रीमती रमा शर्मा (यह सम्पत्ति कॉर्पोरेशन बैंक के पास बंधक है।) चौहद्दी : उत्तर में – सम्पत्ति नं. 45 और 46, दक्षिण में – सम्पत्ति 49 और 50, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – सम्पत्ति प्रवेश 25फीट चौड़ा रोड
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **5,04,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **50,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharma_kalypso_pvt._ltd_3.pdf

शाखा का नाम एवं पता : के जी मार्ग शाखा फोन नं. 011-23327927

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार: 1. मैसर्स पारस ट्रेडिंग कं, 466, गली नं. 18, जाफराबाद, दिल्ली–110053 2. श्री रहमान मलिक पुत्र श्री शेर खान मलिक (प्रोपराइटर) 1469, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली–110053, गारंटर: श्री सुभम् कपूरवाल, श्रीमती मीना बेगम पत्नी श्री शेर खान मलिक, 1469, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली –110053	**₹ 95,56,759.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 16 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 1469, खसरा नं. 39 मे से, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा दिल्ली–110053 में स्थित, क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी.
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **58,14,000.00** जमा धरोहर राशि रु. **5,81,400/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/paras_trading_co_2.pdf

शाखा का नाम एवं पता : एआरएमबी शाखा फोन नं. 011- 28752985, 28752995, 28752993

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार : 1) श्री देवेन्द्र सिंह मलिक पुत्र श्री अवतार सिंह 2/72, सेक्टर–6, ब्लॉक–2, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 2) श्रीमती सोहाल देवी पत्नी श्री देवेंद्र सिंह मलिक 2/72, सेक्टर–6, ब्लॉक–2, राजेंद्र नगर साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	**₹ 1,61,37,359.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 17 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आनिक रोकड़ सम्पत्ति मकान नं. 2/72, ब्लॉक–2, सेक्टर 6, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, (यू.पी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्री देवेन्द्र सिंह मलिक के नाम पर है। सेल डीड नं. 2234 दिनांकित 11.03.2005, क्षेत्रफल 289.86 वर्ग मी. रजिस्ट्रार, गाजियाबाद, चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 73, दक्षिण में – प्लॉट नं. 71, पूरब में – प्लॉट नं. 67, पश्चिम में – 40 फीट चौड़ी रोड
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,44,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **24,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/devender_singh_malik_0.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	उधारकर्ता : मैसर्स क्रिएट मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, के –41/42, साहूखेड़ा, शहीद बलबीर सिंह मार्केट, मेन अमरपुर मंदिर रोड, चंदन हुआ, नई दिल्ली गारंटर: श्री प्रदीप गोयल, के–102, सैनिक फार्म, नई दिल्ली–110062, श्री प्रदीप गोयल, फ्लैट नं. 04, गांधी नगर कॉलोनी, हरि पर्वत वार्ड, आगरा, यूपी, श्री प्रदीप गोयल, मकान नं. 25/46, गांधी नगर कॉलोनी, आगरा, यू.पी., श्री प्रदीप गोयल, बेसमेंट हाल, बी–22, डैफर कैलाश, एन्क्लेव– I नई दिल्ली	**₹ 4,61,17,716.90 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 18 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति कुल (मिनुनल) म्युनिसीपेलिटी (म्युनिसिपल कमेटी) नं. 25/46 (25/46वी का हिस्सा कहते हैं) गांधी नगर, हरिपर्वत वार्ड, आगरा सिटी, रिहायशी बसावट से 50 मी. दूरी तक, बिल्डिंग उसके ऊपर निर्मित मकान, यह सम्पत्ति प्रदीप गोयल के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – 72'4" सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा (मिनुनल) नंबर 54, फ्रंट साइड पार्टी नंबर 1 और कुछ हिस्से में रास्ता और शामलात 15'' चौड़ा, पश्चिम 72'4'' सार्विस लेन, उत्तर में – 70'' सार्विस लेन, दक्षिण में – 54'' 8'' सम्पत्ति नं. 54.1 में से पार्टी की सम्पत्ति।
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,82,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **18,20,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/crescent_marble_pvt_ltd_3.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार : मैसर्स विंग्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, 2/4, द्वितीय तल, सत्य भूषण, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली–110025 गारंटर – 1) श्री अजहर अली, डी 88, जौहरी तल, शकीन बाग, जाकिर नगर, ओखला, नई दिल्ली–110025 2) श्रीमती रजिया अली पत्नी श्री अजहर अली, डी 88, जौहरी तल, शकीन बाग, जाकिर नगर, ओखला, नई दिल्ली–110025	**₹ 1,25,27,395.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 19 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (1) खाली प्लॉट नं. 41, 42, 43, 44, खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 334.44 वर्ग मी., लिमिटेशन गाँव दुहाई, गाजियाबाद, पंजीकृत बाईंड बुक नं. 01, जिल्द नं. 5721 पेज नं. 59 से 114 दस्तावेज नं. 4233 सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यू.पी. दिनांक 11.04.2012 को पंजीकृत
(2) खाली प्लॉट नं. 39, 40 खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मी., लिमिटेशन गाँव दुहाई, गाजियाबाद, पंजीकृत बाईंड बुक नं. 01, जिल्द नं. 6528 पेज नं. 397 से 432 दस्तावेज नं. 16367 सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यूपी, दिनांक 05.12.2012 को पंजीकृत
(3) खाली प्लॉट नं. 35,36,37,38 खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 279.83 वर्ग मी., लिमिटेशन गाँव दुहाई, गाजियाबाद, पंजीकृत बाईंड बुक नं. 01, जिल्द नं. 6367 पेज नं. 183 से 236 दस्तावेज नं. 2314 सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यूपी, दिनांक 14.02.2013 को पंजीकृत
(4) खाली प्लॉट नं. **17,28,29,45,46** खसरा नं. 449, क्षेत्रफल 418.06 वर्ग मी., लिमिटेशन गाँव दुहाई, गाजियाबाद, पंजीकृत बाईंड बुक नं. 01, जिल्द नं. 5462 पेज नं. 153 से 214 दस्तावेज नं. 803 सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद, यूपी, दिनांक 23.01.2012 को पंजीकृत
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,31,80,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **23,10,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bliss_infratech_private_limited_1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :		बकाया राशि
	कर्जदार: पवित्र मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 104, 103 प्रथम तल, टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, हरियाणा, प्रोपराइटर का नाम श्री श्री भगवान, गारंटर: 1. श्री भगवान, मकान नं. 5 चक्करपुर, सिद्धि गणेश मंदिर के पास, डीएलएफ फेज–II, गुड़गांव, हरियाणा 2. गुनीता, मकान नं. 5, चक्करपुर सिद्धि गणेश मंदिर के पास, डीएलएफ फेज –IV, गुड़गांव, 3. दयावती, मकान नं. 43, गाँव चक्करपुर, तहसील गुड़गांव, 4. इरलेश यादव, मकान नं. 43, गाँव चक्करपुर, तहसील गुड़गांव	**₹ 16,43,16,295.10 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि**

सम्पत्ति नं. 20 सांनिक कब्जे औद्योगिक सम्पत्ति नं. 3 प्लॉट नं. एच–83, एच1–103 और एच1–104, औद्योगिक क्षेत्र, इंपीआईपी, नीमराना, दिल्ली जयपुर हाईवे, एनएच–8, नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,11,83,200/-** जमा धरोहर राशि रु. **31,18,320/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_limited.pdf
सम्पत्ति नं. 21 प्लांट एवं मशीनरी
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,17,82,600/-** जमा धरोहर राशि रु. **31,78,260/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_limited.pdf

**शाखा का न

मुसलिम संगठनों की बैठक, शांति की अपील

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित निर्णय से कुछ दिनों पहले शनिवार को देश के प्रमुख मुसलिम संगठनों के पदाधिकारियों, उलेमा और बुद्धिजीवियों की बैठक हुई जिसमें सभी पक्षों से अदालती फैसले को स्वीकार करने और शांति बनाए रखने की अपील की गई।

अयोध्या विवाद

बैठक में देश के प्रमुख मुसलिम संगठनों के पदाधिकारी, उलेमा और बुद्धिजीवी हुए शामिल

कई मुसलिम संगठनों के प्रतिनिधि समूह ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत की ओर से बुलाई गई इस बैठक में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, मुशावरत के प्रमुख नावेद हामिद, मरकजी जमीयत अहले हदीश हिंद के प्रमुख मौलाना असगर अली इमाम सलफी, ऑल इंडिया उलेमा एंड मशायख बोर्ड के प्रमुख मौलाना अशरफ किछौछवी, पूर्व नौकरशाह वजाहत हबीबुल्ला, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी तथा कई अन्य मौलाना एवं मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी शामिल हुए।

बैठक के बाद नावेद हामिद ने बताया, बैठक में कुछ बिंदुओं पर खासतौर पर जोर दिया गया। मसलन, न्यायालय का जो भी फैसला आए, वो सबको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, देश में यह सबकी जिम्मेदारी है कि शांति बरकरार रखी जाए।

उन्होंने कहा, 'इसके साथ ही हम यह उम्मीद भी करते हैं कि इस फैसले के बाद सरकार किसी एक पक्ष के साथ खड़ी नजर नहीं आएगी। हमे उम्मीद है कि यह मामला पूरी दुनिया के कानूनी इतिहास में दर्ज होगा।'

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच न्यायधीशों के पीठ ने 40 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। यह फैसला अगले कुछ दिनों के भीतर सुनाए जाने की संभावना है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं।

'न जीत का जश्न, न हार का हंगामा हो'

प्रयागराज, 2 नवंबर (भाषा)।

अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उच्चतम न्यायालय के बहुप्रतीक्षित फैसले से पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को यहां कहा कि इस फैसले को लेकर जीत का जुनूनी जश्न नहीं होना चाहिए और न ही हार का हाहाकारी हंगामा होना चाहिए।

यहां उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में 10 दिनों तक चलने वाले हुनर हाट का उद्घाटन करने आए नकवी ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'ऐसे (अयोध्या मामला) संवेदनशील मुद्दे पर हमारा यही मानना है कि उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला आता है, उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए।' हुनर हाट के बारे में उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रथम 100 दिनों में ही उनके मंत्रालय ने देश के अलग अलग हिस्सों में 100 हुनर हब स्वीकृत किए हैं।

हनीप्रीत के खिलाफ राजद्रोह के आरोप हटाए गए

पंचकूला, 2 नवंबर (भाषा)।

यहां की एक अदालत ने 2017 में पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत इंसां और 35 अन्य आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप शनिवार को हटा दिए। हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की कथित तौर पर गोद ली हुई बेटी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय संधीर ने हालांकि बलात्कार मामलों में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में हनीप्रीत और अन्य डेरा अनुयायियों के खिलाफ आइपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। इस हिंसा में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे।

पंचकूला हिंसा मामला

बचाव पक्ष के वकील सुरेश रोहिल्ला ने कहा कि अदालत ने धारा 121 और 121ए के तहत आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को हटा दिया है। रोहिल्ला ने कहा कि हनीप्रीत समेत आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए है। इनमें गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल है। अंबाला जेल में बंद हनीप्रीत और सुखविंदर कौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए जबकि अन्य आरोपी पेश होने के लिए अदालत पहुंचे।

पुलिस ने पंचकूला हिंसा मामले के सिलसिले में देशद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोपों में हनीप्रीत और अन्य डेरा अनुयायियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने के लिए कथित तौर पर साजिश रचने के लिए हनीप्रीत के साथ अन्य आरोपियों के नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई अब पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी और सुनवाई की अगली तिथि छह नवंबर तय की गई है। डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत को एक हेलिकॉप्टर से पंचकूला से रोहतक की सुनारिया जेल लेकर गई थी।

बच्ची से बलात्कार के मामले में बहन-बहनोई सहित तीन को उम्रकैद

ग्वालियर, 2 नवंबर (भाषा)।

स्थानीय अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार, यौन शोषण करने और इस काम में मदद करने के जुर्म में उसकी बहन-बहनोई और पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, यौन शोषण और इस पूरे कांड में साथ देने और अन्य मामलों में पीड़िता की सगी बहन, बहनोई और पड़ोसी ईश्वरी बाबा (55) को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को भादंस की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो कानून के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई।

तीनों आरोपियों पर कुल 99,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही इसमें से 75,000 रुपए पीड़ित लड़की को देने का आदेश दिया है। 20 अप्रैल 2017 में इस बच्ची से बलात्कार और पॉक्सो कानून में मामला दर्ज हुआ था। बच्ची अपने मजदूर माता-पिता का देहांत होने के बाद वर्ष 2015 से अपनी बहन और जीजा के घर पर रह रही थी। सगी बहन के अलावा बच्ची के कोई अन्य रिश्तेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची के जीजा ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसकी सगी बहन ने उसकी सुरक्षा करने के स्थान पर बच्ची के साथ मारपीट की और कई बार उसे भूखा रखा।

हत्या कर भाग रहे व्यक्ति को भीड़ ने पीटा, मौत

बांदा, 2 नवंबर (भाषा)।

कुल्हाड़ी से काट कर पत्नी की हत्या करने और ससुराल वालों को घायल कर भाग रहे 40 साल के एक व्यक्ति की गांव के लोगों ने पकड़ कर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने अमेठी में संवाददाताओं से कहा कि घटना बुधवार की है। छत्तीसगढ़ निवासी निसार कुरैशी अपने ससुराल फतेहपुर पहुंचा था।

अधिकारी ने बताया कि उसने कुल्हाड़ी से काट कर 35 साल की पत्नी अंसारी की हत्या कर दी और अपनी सास व साली को भी घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कुरैशी वहां से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।पुलिस प्रमुख ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और दोषी को सजा जरूर मिलेगी। गाजीपुर के थाना प्रभारी संदीप तिवारी ने बताया कि कुरैशी के भाई इशहाक ने 100-150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि इशहाक ने उन्हें एक मिनट 28 सेकंड का घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सौंपा है। जांच में वीडियो का भी संज्ञान लिया जाएगा।निसार का पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सकों के पैनल में शामिल एक चिकित्सक ने बताया कि उसके सिर और मुंह के अलावा विभिन्न अंगों की 50 से अधिक हड्डियां टूटी थीं। इन चोटों की वजह से ही उसकी मौत हुई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

राष्ट्रपति कोविंद दो दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे

गंगटोक, 2 नवंबर (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता के साथ शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आइपीआर) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री प्रेस सिंह तमांग और वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने लीबिंग स्थित सेना के हेलीपैड पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

सलामी गारद का निरीक्षण करने के बाद कोविंद राज भवन के लिए रवाना हुए। आइपीआर की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वह अन्य व्यस्तताओं के बीच रविवार को सिक्किम विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे।

मुंबई में श्रद्धालुओं ने छठ पर सूर्य को अर्घ्य दिया

मुंबई, 2 नवंबर (भाषा)।

मुंबई महानगर में शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के पावन अवसर पर जुहू, दादर में समुद्र में और विभिन्न जलाशयों में डुबकी लगाकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। कार्तिक मास की षष्ठी को छठ का पर्व मनाया जाता है। इसे डाला छठ भी कहते हैं। छठ पूजा भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें श्रद्धालु उपवास रखकर भगवान सूर्य को गन्ना, ठेकुआ और मौसमी फलों का प्रसाद चढ़ाते हैं और जल एवं दूध से अर्घ्य देते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के समुद्र किनारे एवं अन्य छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचने के मद्देनजर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। एक अधिकारी ने बताया कि खोया-पाया सहायता केंद्र बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शनिवार और रविवार को 'बेस्ट' द्वारा विशेष बसों का संचालन किया जाएगा।

महिला से सामूहिक बलात्कार का वीडियो वायरल, छह के खिलाफ मामला दर्ज

बांदा, 2 नवंबर (भाषा)।

चित्रकूट जिले के मऊ थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ चार दिन पहले हुए कथित सामूहिक बलात्कार का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मऊ थाना प्रभारी (एसओ) अरुण पाठक ने बताया कि सोशल मीडिया पर सामूहिक बलात्कार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामले के छह आरोपियों में से चार की वीडियो के आधार पर पहचान हो चुकी है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर विक्की गर्ग, कुलदीप, डीजे और कारतूस के अलावा दो अज्ञात नकाबपोश युवकों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, लूटपात और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। 14 सेकंड का यह वीडियो 28 अक्तूबर का है। उन्होंने बताया कि 24 साल की एक महिला अपने जीजा के साथ रिश्तेदारी में जा रही थी, तभी रास्ते में छह युवकों ने हथियार दिखाकर उन्हें रोका।

पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड
CIN:L45201DL1999PLC195937
पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी प्लाजा, टावर-II, 4 था तल, पुष्प विहार, सेक्टर-V, साकेत, नई दिल्ली
कॉर्प. कार्यालयः 3/22-डी, सिविल लाइंस, आगरा-दिल्ली बाईपास रोड, आगरा-282002
संपर्क नं.: 011-29574800, 0562-4054400, फैक्स नं.: 0562-4070011,
वेबसाइटः www.pncinfratech.com, ई-मेलः complianceofficer@pncinfratech.com

सूचना-पत्र

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार 14 नवम्बर, 2019 को 3/22-डी, सिविल लाइंस, आगरा-दिल्ली बाईपास रोड, आगरा में उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही/छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
सूचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.pncinfratech.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश से
पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिये
हस्ता.
तपन जैन
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ICSI M. No.: A22603

स्थानः आगरा
तिथिः 2 नवम्बर, 2019

अपहरण कर युवक की हत्या करने के छह आरोपी भेजे गए जेल

सहारनपुर, 2 नवंबर (जनसत्ता)।

पुलिस ने छह लोगों को एक परिचित युवक की फिरौती के लिए हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह मामला गंगोह थाना क्षेत्र का है। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने आज यह जानकारी दी। थाना गंगोह के प्रभारी निरीक्षक भगवत सिंह ने बताया कि गंगोह थाने के गांव सांगठेड़ा निवासी 22 वर्षीय अविवाहित युवक अवनीश कुमार उर्फ सोनू पुत्र पीतांबर का 26 अक्तूबर को उसके परिचित साथी दीक्षित निवासी गांव घाटेड़ा थाना रामपुर मनिहारान ने अपने पास बुलाकर अपने पांच अन्य साथियों की मदद लेकर उसका अपहरण कर लिया और 28 अक्तूबर की शाम इन बदमाशों ने अपहृत युवक के पिता पीतांबर को सोनू के मोबाइल से फोन कर 20 लाख की फिरौती मांगी और एक-दो दिन बाद उनके पास मिठाई के डिब्बे में सोनू का एक मोबाइल भिजवा दिया। इस बीच बदमाशों ने सोनू की गला दबाकर हत्या कर और उसका शव थाना गागलहेड़ी के गांव छाछरेकी में गन्ने के खेत में फेंक दिया।

पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना पर एक-एक करके सभी छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मिश्र ने बताया कि इस मामले में जो छह बदमाश जेल भेजे गए हैं उनमें मृतक का सबसे करीबी परिचित दीक्षित और उसके पांच साथियों-अरुण कुमार निवासी गांव वजीरपुर थाना गंगोह, नीटू निवासी गांव खुशालीपुर थाना बिहारीगढ़, राहुल गांव निवासी उमरी, सन्नी उर्फ सचिन निवासी पंजाब, अमरीश धींमान निवासी गांव नवादा आदि शामिल हैं। ये सभी बदमाश दो-तीन माह पहले जेल से छूटकर आए थे। इन बदमाशों के खिलाफ लूट, हत्या, बलात्कार और तस्करी आदि के कई मुकदमे दर्ज हैं। मृतक अवनीश विभिन्न गांवों में जाकर ठेके पर खेतीबारी करता था।

चीनी मिलों ने शुरू की पेराई : जिले की छह चीनी मिलों के पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। नौ हजार क्विंटल पेराई क्षमता की बजाज शुगर मिल ने पेराई प्रारंभ कर दी। इस मिल के मुख्य प्रबंधक आरके तिवारी और जिला गन्नाधिकारी कृष्ण मोहन मनी त्रिपाठी ने यज्ञ हवन के बाद चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करा दिया। जिलाधिकारी आलोक पांडे ने आज बताया कि सहारनपुर जिले की सबसे बड़ी 14 हजार क्विंटल प्रतिदिन पेराई क्षमता की देवबंद चीनी मिल 7 नवंबर से गन्ना पेराई शुरू कर देगी। 7 हजार क्विंटल क्षमता वाली शेरमऊ चीनी मिल 10 नवंबर से और 5 हजार क्षमता वाली गागलहेड़ी चीनी मिल 12 नवंबर से 5 हजार क्षमता वाली किसान सहकारी चीनी मिल नानोता छह नवंबर से 2750 क्विंटल क्षमता की सरसावा चीनी मिल 4 नवंबर से पेराई सत्र की शुरुआत करेगी।

Continued from previous page

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड-1, नई दिल्ली-110005,
फोन : 011-28754615, 28754642, ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

शाखा का नाम एवं पता : नोएडा कॉर्पोरेट शाखा फोन नं. 0120-2511225, 2511224, 2517205

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : कर्जदार: मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स, डी-9 प्रेम नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, प्रोपराईटर का नाम: श्री राजेश अत्री
बकाया राशि ₹ 2,70,84,383.93 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 32 फ्लैट नं. 16 (द्वितीय तल) प्लॉट आर 2 और आर 3, खसरा नं. 98 और 102 में से, ब्लॉक-आर, विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 में स्थित, क्षेत्रफल 94.00 वर्ग गज / 78.60 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 19,55,000/- जमा धरोहर राशि रु. 1,95,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders.pdf
सम्पत्ति नं. 33 फ्लैट नं. 16 (द्वितीय तल) प्लॉट आर 2 और आर 3, खसरा नं. 98 और 102 में से, ब्लॉक-आर, विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 में स्थित, क्षेत्रफल 94.00 वर्ग गज / 78.60 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 19,55,000/- जमा धरोहर राशि रु. 1,95,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders.pdf
सम्पत्ति नं. 34 तीसरा तल फ्लैट नं. 24, प्लॉट नं आर-02 और आर - 03, खसरा नं. 98 और 102, ब्लॉक-आर, बाबा विहार, गांव विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित, क्षेत्रफल 94.00 वर्ग गज / 78.60 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 20,40,000/- जमा धरोहर राशि रु. 2,04,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders.pdf
सम्पत्ति नं. 35 ऊपरी भूतल, रिहायशी फ्लैट (बिना छत के अधिकार के) नं. 4, प्लॉट नं. आर-02 और आर - 03, खसरा नं. 98 और 102, ब्लॉक-आर, बाबा विहार, गांव विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 78.60 वर्ग मी. (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 21,25,000/- जमा धरोहर राशि रु. 2,12,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders.pdf
सम्पत्ति नं. 36 ऊपरी भूतल, रिहायशी फ्लैट (बिना छत के अधिकार के) नं. 6, प्लॉट नं. आर-02 और आर - 03, खसरा नं. 98 और 102, ब्लॉक-आर, बाबा विहार, गांव विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 78.60 वर्ग मी. (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 21,25,000/- जमा धरोहर राशि रु. 2,12,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders.pdf
सम्पत्ति नं. 37 तीसरा तल रिहायशी फ्लैट (बिना छत के अधिकार के उत्तर हाथ पर पीछे की तरफ) नं. 22, प्लॉट नं. आर-02 और आर - 03, खसरा नं. 98 और 102, ब्लॉक-आर, बाबा विहार, गांव विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 78.60 वर्ग मी. (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 20,40,000/- जमा धरोहर राशि रु. 2,04,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders.pdf
सम्पत्ति नं. 38 ऊपरी भूतल, रिहायशी फ्लैट (बिना छत के अधिकार के) प्ला. नं. 5, प्लॉट नं. आर-02 और आर - 03, ब्लॉक-आर, ब्लाक आर, खसरा नं. 98 और 102 में से, बाबा विहार, गांव विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059, यह सम्पत्ति श्री राजेश अत्री के नाम पर है।
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 16,15,000/- जमा धरोहर राशि रु. 1,61,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : कर्जदार : 1 (क) मैसर्स सतगुरु इम्पेक्स, अपने पार्टनर्स द्वारा प्रतिनिधित्व श्री रविन्द्र कुमार मदान और श्रीमती उषा मदान, मकान नं 173, सैक्टर, 15ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश -201301 (ख) श्री रविंदर कुमार मदान - सह-ओब्लिगेंट (ग) श्रीमती उषा मदान - सह-ओब्लिगेंट 2(क) श्री अंश मदान (ख) श्री रविंद्र कुमार मदान - सह-ओब्लिगेंट (ग) श्रीमती उषा मदान - सह-ओब्लिगेंट गारंटर (क) श्री रविन्द्र कुमार मदान (ख) श्रीमती उषा मदान, मैसर्स सतगुरु इम्पेक्स और श्री अनश मदान हेतु गारंटर
बकाया राशि ₹ 51,00,000/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 39 रिहायशी मकान नं. 173, सैक्टर-15ए, 2 मंजिला मकान, साथ में Mezz पार्ट, मार्ट बेसमेंट और बेसमेंट पार्ट, भूमि क्षेत्रफल 239.20 वर्ग गज, यह सम्पत्ति रविन्दर कुमार मदान के नाम पर है। नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 चौहद्दी : उत्तर में - प्लॉट नं. 172, दक्षिण में - प्लॉट नं. 174, पूरब में - अन्य का प्लॉट, पश्चिम में - 9 मी. चौड़ी रोड (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 29.05.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 4,77,00,000/- जमा धरोहर राशि रु. 47,70,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/satguruimpex.pdf

शाखा का नाम एवं पता : करोल बाग शाखा 2223, फोन नं. 011- 28750955, 25755119,

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : उधारकर्ता मैसर्स एएन डायमण्ड्स ने अपने पार्टनर श्री रोशन लाल और श्री अनिल सिंघल, जीजाई -32, लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली- 110035 गारंटर 1. श्री रोशन लाल, मकान नं. 1638 वार्ड नं. 5 रोहतक, हरियाणा, 124001, 2. श्री हरिकेशन, मकान नं. 124, वार्ड नं. 10, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा 3. मैसर्स सांथिया हाउसिंग प्रोडक्ट लिमिटेड, स्टीफन हाउस, 4 बीबीडी बाग (ई), कमरा नं. 5 ए, चहारी मंजिल, कोलकाता, श्रीजयन लाल भालोटिया और श्री जगियानी
बकाया राशि ₹ 22,13,14,944/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 40 रिहायशी सह व्यावसायिक सम्पत्ति नं. डी-2538, सुभाष नगर, कालीज धाम, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति साहिबी हाउसिंग प्रा. लि., ब्लॉक नं. डी, प्रथम तल सैनिक हाउस -4 बी बी की मैक (ईस्ट) कोलकाता के नाम पर है। (भौतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 29.05.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 7,20,00,000/- जमा धरोहर राशि रु. 72,00,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/am_diamond1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : कर्जदार : मैसर्स दुर्गा एपैरल्स प्रा. लि. ए-3/56, तृतीय तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 और मैसर्स दुर्गा एपैरल्स प्रा. लि., एल-93, आगमन प्लेस, पार्ट-II, नई दिल्ली-110059 गारंटर 1. श्री सज्जन कुमार 2. सुश्री सुनीता गर्ग 3. श्री धर्म पाल 4. श्री दीना नाथ 5. सुश्री संगीता बंसल
बकाया राशि ₹ 3,38,36,229.75 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 41 भूमि क्षेत्रफल 3 बीघा और 11 बिस्वा, जिसमें खसरा नं. 5/23/2(3-11) शामिल है, साथ में विद्यिंग रेसेन्यू गाँव असलतपुर खादर, तहसील गाजियाबाद, नई दिल्ली में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 2,35,50,000/- जमा धरोहर राशि रु. 23,50,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/durga_apparels_pvt_ltd1_0.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : कर्जदार : राजीव अग्रवाल (मृतक) के कानूनी वारिस, ई-30, ब्लॉक-ई सैक्टर कैलाश, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048 सुश्री रिद्धि अग्रवाल (कानूनी वारिस), सुश्री जाह्नवी अग्रवाल (कानूनी वारिस), श्रीकृष्ण अग्रवाल (कानूनी वारिस)
बकाया राशि ₹ 70,41,403.50 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 42 द्वितीय तल रिहायशी फ्लैट सम्पत्ति नं. 34, ब्लॉक-III, फ्लैट नं. 34 की भूमि का अविभाजित हिस्सा, क्षेत्रफल 188 वर्ग मी. रिहायशी कॉलोनी जिसे इरोज गार्डन कॉलोनी, गाँव लाकपुर, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 29.05.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 74,25,000/- जमा धरोहर राशि रु. 7,42,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/meenu_aggarwal.pdf

शाखा का नाम एवं पता : कारपोरेट बैंकिंग शाखा, फोन नं. 011- 28754642, 28755501, 28755294

कर्जदार और गारंटर्स का नाम : उधारकर्ता: 1. श्रीमती मंजरी अग्रवाल (आवेदक) 2. (i) श्री संजय अग्रवाल (सह-आवेदक) 2. (ii) सुश्री संजय अग्रवाल, एकमुश्त (सह-आवेदक) कॉर्पोरेट कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय / पता: निवासी : 143, शहजादी मंडी, आगरा-282001, गारंटर: श्री सुमन अग्रवाल (गारंटर) पत्नी श्री संजय अग्रवाल निवासी : 143, शहजादी मंडी, आगरा - 282001
श्री मनमोहन अग्रवाल (गारंटर) पुत्र श्री संजय अग्रवाल निवासी : 143, शहजादी मंडी, आगरा - 282001
बकाया राशि ₹ 12,26,28,480.95 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 43 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (खुली भूमि क्षेत्रफल 2.1683 हैक्ट. जोकि खसरा नं 751/2, 751/3 और 751/4, गाँव तेहरा, तहसील खेरागढ़, आगरा, यू.पी. में स्थित)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 8,76,00,000/- जमा धरोहर राशि रु. 87,60,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/manjari_agarwal.pdf
सम्पत्ति नं. 44 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (खुली भूमि क्षेत्रफल 1.6841 हैक्ट. जोकि खसरा नं 813, 814, 815 और 819, गाँव तेहरा, तहसील खेरागढ़, जिला आगरा - ग्वालियर आगरा, यू.पी. में स्थित)
नीलामी की तिथि एवं समय : 19.11.2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 6,80,00,000/- जमा धरोहर राशि रु. 68,00,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/manjari_agarwal.pdf

दिनांक: 02.11.2019, स्थान : न

हॉकी टीमों ने कटाया तोक्यो ओलंपिक का टिकट

रूस को रौंदकर पुरुष टीम ने बनाई जगह, लगातार दूसरी बार क्वालीफाई करने में सफल रही महिला टीम

भुवनेश्वर, 2 नवंबर (भाषा)।

ओलंपिक में आठ बार के चैंपियन भारत ने दो चरण वाले एफआइएच पुरुष क्वालीफायर्स के दूसरे मैच में शनिवार को यहां रूस को 7-1 (दो मैचों का कुल योग 11-3) से हराकर अगले साल तोक्यो में होने वाले खेलों के लिए क्वालीफाई किया। इससे पहले महिला टीम ने अमेरिका को कुल योग में 6-5 से हराकर तोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की थी।

विश्व में पांचवें नंबर पर काबिज भारतीय पुरुष टीम ने विश्व में 22वें नंबर के रूस को पहले चरण के मैच में 4-2 से हराया था।

शनिवार को भारत की तरफ से आकाशदीप सिंह (23वें और 29वें मिनट) और रूपिंदर पाल सिंह (48वें और 59वें) ने दो-दो जबकि ललित उपाध्याय (17वें), नीलकांत शर्मा (47वें) और अमित रोहिदास (60वें मिनट) ने एक-एक गोल दागा। रूस ने शुरुआती क्षणों में ही बढ़त बना दी थी। उसकी तरफ से यह गोल अलेक्सी सोबोलेवस्की ने किया था।

रूस ने शुरुआती क्षणों में ही बढ़त बना दी थी। भारतीय टीम धीरे-धीरे लय में आई लेकिन जब उसने खेल पर नियंत्रण बनाया तो फिर रूस को कोई मौका नहीं दिया। उधर महिला कप्तान रानी रामपाल के 48वें मिनट में किए गए गोल से भारतीय महिला हॉकी टीम ने अमेरिका के खिलाफ एफआइएच क्वालीफायर्स के दूसरे चरण के मैच में 1-4 से हारने के बावजूद कुल योग में 6-5 से जीत दर्ज करके अगले साल तोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपनी जगह पक्की की।

भारतीय टीम ने शुक्रवार को अमेरिका को 5-1 से करारी शिकस्त दी थी लेकिन शनिवार को उसने लचर खेल दिखाया। अमेरिका ने पहले हाफ में 4-0 की बढ़त लेकर कुल स्कोर 5-5 से बराबर कर दिया था। ऐसे में कप्तान रानी रामपाल ने 48वें मिनट में गोल दागा जो कि महत्त्वपूर्ण साबित हुआ। भारतीय टीम ने आखिरी क्षणों तक अपनी कुल बढ़त को बरकरार रखा। अमेरिकी टीम की तरफ से अमांडा मैगडान ने दो (पांचवें और 28वें मिनट) जबकि कप्तान कैथलीन शार्की (14वें) और अलीसा पारकर (20वें मिनट) ने एक एक गोल किया।

महिला टीम ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भाग लिया था और इसके 36 साल बाद रियो ओलंपिक खेलों में जगह बनाई थी। इस तरह से वह लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही।

मैच के बाद भारतीय महिला टीम दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए।

खबर कोना

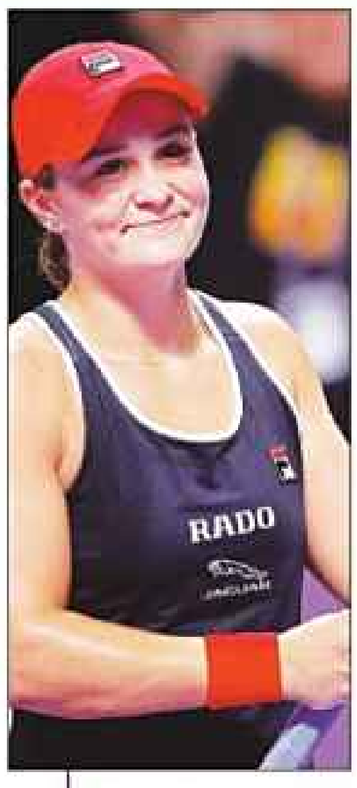

शेनजेन (चीन) : डब्लूटीए फाइनल टेनिस टूर्नामेंट में शनिवार को चेक गणराज की कैरोलिना प्लीस्कोवा को हराने के बाद आस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी।

स्वर्ण पदक से चूकीं पूजा गहलोत

बुडापेस्ट, 2 नवंबर (भाषा)।

पूजा गहलोत (53 किग्रा) को यूडब्लूडब्लू अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जापान की 2017 विश्व चैंपियन हारूआना ओकुनो से हार का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने भारत को दूसरा रजत पदक दिला दिया। रविंदर (61 किग्रा) ने इस हफ्ते रजत पदक जीता था। तीन बार के विश्व जूनियर चैंपियनशिप पदकधारी साजन भानवाल (77 किग्रा) सेमी फाइनल में जापान के कोदाई साकुराबा से 4-5 से हार गए और अब वे शनिवार को कांस्य पदक के लिए भिड़ेंगे। साजन ने इससे पहले क्वालीफायर में जेसे एलेक्सजैंडर पोर्टर को 6-0 से और प्री क्वार्टर में अजरबैजान के तुनजय वाजिरजादे को 3-1 से हराया था। इसके बाद वह स्वीडन के पेर-अलबीन ओलोफसन पर 6-2 की जीत से सेमी फाइनल में पहुंचे थे। ग्रीको रोमन में अर्जुन हालाकुरकी (55 किग्रा) को क्वार्टर फाइनल में रूस के एमीन नारीमानोविच सेफेरशाएव से 12-14 से हार मिली थी जिसके बाद रेपेचेज दौर में पहुंच गए क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी फाइनल में पहुंच गया। सुनील कुमार 87 किग्रा में, राजीत 63 किग्रा में और दीपक पूनिया 130 किग्रा वर्ग में हारकर बाहर हो गए।

वेस्ट इंडीज ने भारतीय महिला टीम को एक रन से हराया

नार्थ साउंड, 2 नवंबर (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज प्रिया पूनिया की अर्धशतकीय पारी भी भारतीय महिला टीम के काम नहीं आ सकी क्योंकि इसके बावजूद उन्हें आइसीसी महिला चैंपियनशिप के पहले वनडे में वेस्ट इंडीज से एक रन से हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय टीम को जीत के लिए 226 रन का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए प्रिया ने 107 गेंद में 75 रन की पारी के दौरान छह चौके जमाए जबकि शीर्ष में जेमिमा रोड्रिग्स ने 67 गेंद में 41 रन की पारी खेली। लेकिन निचले क्रम से उन्हें सहयोग नहीं मिला जिससे टीम निर्धारित 50 ओवर में 224 रन पर आउट हो गई और एक रन से चूक गयी। इससे पहले स्टेफनी टेलर ने टास जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और उन्होंने 91 गेंद में 94 रन की कप्तानी पारी खेली जिसमें आठ चौके और दो छक्के लगाए। सलामी बल्लेबाज नताशा मैकलीन ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 82 गेंद में 51 रन बनाए जिससे वेस्ट इंडीज ने शुक्रवार को सात विकेट पर 225 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

गेंद से छेड़छाड़ के कारण शहजाद पर जुर्माना

कराची, 2 नवंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के टैस्ट सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद पर कायद-ए-आजम ट्रॉफी में सिंध के खिलाफ उनकी टीम सेंट्रल पंजाब की गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने के बाद 50 फीसद मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि शहजाद को धारा 2.14 के अंतर्गत लेवल एक के आरोप का दोषी पाया गया जो मैच के दौरान गेंद की स्थिति में बदलाव करने से संबंधित है। यह घटना सिंध की पहली पारी के 17वें ओवर के दौरान घटी जब गेंद के सामान्य निरीक्षण के दौरान मैदानी अंपायर मोहम्मद आसिफ और जमीर अहमद ने पाया कि क्षेत्ररक्षण कर रही टीम के एक सदस्य ने गलत तरीक से गेंद बदल दी है। इस मामले को मैच रैफरी के समक्ष रखा गया जिन्होंने ड्रा हुए मैच के बाद मामले की सुनवाई की। पीसीबी ने कहा, अहमद ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया इसलिए मैच के बाद सुनवाई हुई जिसमें अहमद को दोषी पाया गया।

अक्षर और मार्कंडे ने इंडिया सी को 136 रन से जीत दिलाई

रांची, 2 नवंबर (भाषा)।

हरफनमौला अक्षर पटेल की 61 गेंद में 98 रन की पारी के बाद लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे के चार विकेट से इंडिया सी ने शनिवार को यहां देवधर ट्रॉफी के तीसरे और अंतिम मैच में इंडिया बी को 136 रन से रौंदा।

इंडिया सी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 280 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया जिसमें अक्षर की पारी के अलावा विराट सिंह की 96 गेंद में 76 रन की पारी अहम रही। इसके बाद उन्होंने इंडिया बी को 43.4 ओवर में 144 रन पर समेट दिया। इंडिया बी के लिए बाबा अपराजित शीर्ष स्कोरर रहे, उन्होंने 90 गेंद में 53 रन की पारी खेली लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें सहयोग नहीं मिला।

इंडिया बी और इंडिया सी पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं क्योंकि इंडिया ए को अपने दोनों मुकाबलों में हार मिली इससे अब ये दोनों सोमवार को एक दूसरे के खिलाफ खिताबी मैच खेलेंगी। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया बी के बल्लेबाजों ने लगातार अंतराल पर विकेट खो दिए। सलामी बल्लेबाज रूतुराज गायकवाड़ (20) और यशस्वी जयसवाल (28) के आउट होने से टीम ने 17.5 ओवर में 74 रन पर दो विकेट खो दिए। इसके बाद केदार जाधव (05), नीतिश राणा (01), पार्थिव पटेल (01), विजय शंकर (09) और अंकुल रॉय (01) दोहरे अंक तक भी नहीं पहुच सके जिससे 35वें ओवर तक टीम का स्कोर सात विकेट पर 115 रन हो गया। शाहबाज नदीम (12) भी आते ही लौट गए जिससे अपराजित दूसरे छोर पर थे। अपराजित भी 44वें ओवर में आउट हुए जबकि रूश कलारिया (06) आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। इससे पहले इंडिया सी ने धीमी शुरूआत की और 13.1 ओवर में 54 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। शुभमन गिल (01) दूसरे ओवर में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। इसके बाद 13वें ओवर में प्रियम गर्ग (18) और अनमोलप्रीत सिंह (23) 14वें ओव में पवेलियन पहुंचे। सूर्यकुमार यादव (10) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और नदीम का दूसरा शिकार बने।

नीतिश राणा ने दिनेश कार्तिक (34) का विकेट झटका। विराट सिंह (नाबाद 76) और अक्षर पटेल (नाबाद 98) ने फिर मिलकर 112 गेंद में नाबाद 154 रन की साझेदारी निभाकर टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में मदद की। अक्षर ने पारी के दौरान 61 गेंद में 13 चौके और तीन छक्के जड़े। पार्थिव पटेल ने इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने के लिए आठ गेंदबाजों को आजमाया लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा।

देवधर ट्रॉफी

शाकिब के बगैर उतरेगा बांग्लादेश

भारत के साथ पहला टी-20 मैच आज शाम सात बजे से

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

पिछले दो दिन से न विश्व कप की तैयारियों की चर्चा है और ना ही शाकिब अल हसन के बाहर होने के बाद की परिस्थितियों को लेकर आकलन, बहस बनी हुई है दिल्ली की 'दमघोंटू धुंध' जिसमें भारत और बांग्लादेश रविवार को यहां पहले टी-20 में दमखम दिखाकर अगले साल आस्ट्रेलिया में होने वाले टूर्नामेंट के लिए खुद को परखने के प्रयास की शुरुआत करेंगे। वहीं शाकिब के बिना मेहमान टीम मेजबान को चुनौती देने उतरेगा।

यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं या लक्ष्य का पीछा करना पसंद करते हैं। परिस्थितियों को देखकर पहले बल्लेबाजी करना सही हो सकता है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने जिन पिछले छह मैचों में पहले बल्लेबाजी की उनमें से चार में उसे शिकस्त मिली। मध्यक्रम में ऋषभ पंत पर सभी की निगाहें रहेंगी जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला में नहीं खेले थे। हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा की अनुपस्थिति में आलराउंडर शिवम दुबे के पास खुद को साबित करने का यह बेहतरीन मौका है। दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज दुबे की बिग हिटर बनने की क्षमता की भी यह परीक्षा होगी। अगर वे टीम में जगह बनाते हैं तो भारत दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और खलील अहमद में से किन्हीं दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है। स्पिन विभाग में युजवेंद्र चहल की फिर से वापसी हुई है। राहुल चाहर के रूप में टीम में एक अन्य लेग स्पिनर है। चहल वनडे विश्व कप के बाद से टीम से बाहर थे और अब वह अपनी जगह मजबूत करने पर ध्यान देंगे। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो शाकिब और तमीम इकबाल की अनुपस्थिति में उसकी बल्लेबाजी कमजोर हो गई है।

अभ्यास सत्र के दौरान बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ से चर्चा करते शिखर धवन।

टीमें

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, क्रुणाल पंड्या, खलील अहमद, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, राहुल चाहर, संजू सैमसन, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर में से।

बांग्लादेश : महमूदुल्लाह (कप्तान), लिटन दास, सौम्या सरकार, नईम शेख, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद मिथुन, आफिफ हुसैन, मोसद्देक हुसैन, अमीन इस्लाम, अराफात सनी, तयाजुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, शफीउल इस्लाम, अबू हैदर, अल अमीन हुसैन में से।

चैंपियन योकोहामा (जापान): रग्बी विश्व कप के फाइनल में शनिवार को इंग्लैंड को हराने के बाद ट्रॉफी उठाए हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी।

मैं आमिर और आसिफ जैसे फिक्सरों से घिरा रहा : अख्तर

नई दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा)।

'मैं 21 लोगों के खिलाफ खेल रहा था-11 विरोधी टीम के और दस हमारे।' यह कहना है पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का जिन्होंने पाकिस्तान के अपने पूर्व साथियों के खिलाफ फिर से मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट हाल में कई विवादों से गुजरा जिनमें तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ तथा बल्लेबाज सलमान बट पर 2011 में स्पॉट फिक्सिंग के लिए प्रतिबंध लगना भी शामिल है। अख्तर ने 'रिवाइंड विद समीना पीरजादा' नामक कार्यक्रम में कहा, मेरा हमेशा से यह विश्वास था कि मैं पाकिस्तान को धोखा नहीं दे सकता, मैं मैच फिक्सिंग नहीं कर सकता लेकिन मैं मैच फिक्सरों से घिरा हुआ था। मैं 21 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा था-11 विरोधी टीम के और दस हमारे। कौन जानता है कि कौन मैच फिक्सर था। उन्होंने कहा, बहुत अधिक मैच फिक्सिंग होती थी।

आसिफ ने मुझे बताया था कि उन्होंने किन मैचों को फिक्स किया था और यह कैसे होता है। अख्तर ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि आमिर और आसिफ इंग्लैंड के खिलाफ टैस्ट में भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त थे तो वे बहुत निराश हुए। उन्होंने कहा, मैंने आमिर और आसिफ को समझने की कोशिश की। प्रतिभा का कैसा दुरुपयोग था। अख्तर ने कहा, पाकिस्तान के दो चोटी के गेंदबाज और बेहतरीन तेज गेंदबाज बर्बाद हो गए थे। उन्होंने कुछ पैसों के लिए खुद को बेच दिया था।

कहा आसिफ ने बताया था कि मैच कैसे होता है फिक्स

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 349, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

जनसत्ता
रविवारी
• 3 नवंबर, 2019 •

रोशनी की मीनारें

समुद्री सफर में सबसे महत्त्वपूर्ण होता है जहाजी बेड़े को गंतव्य का सही दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान गड़बड़ा जाने से अक्सर जहाज अपना रास्ता भटक जाते हैं। जब तक दिशा-सूचक यंत्र का विकास नहीं हुआ था, जहाज अक्सर रास्ता भटक जाया करते थे। कोलंबस की समुद्री यात्रा इसका बड़ा उदाहरण है। मगर धीरे-धीरे दिशा-सूचक यंत्र का विकास हुआ और फिर समुद्री किनारों का निर्माण कराया गया। लाइट हाउस बने। इस तरह समुद्री यात्राएं सुगम हो गईं। लाइट हाउसों के बनने और उनके संचालन की कहानी बहुत दिलचस्प है। प्रकाश-स्तंभों और लाइट हाउसों के बारे में जानकारी दे रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।

समुद्री यात्राओं में दो चीजें हमेशा महत्त्वपूर्ण रही हैं- दिशा और समुद्री किनारा। एक नाविक समुद्र में बेड़ा उतारने से पहले अपने गंतव्य स्थान की दिशा का निर्धारण कर लेता था और उम्मीद की जाती थी कि वह समुद्री किनारे की भौगोलिकता को समझ रहा होगा। दिशाहीन होने पर वह कहीं के लिए निकल कर कहीं और पहुंच जाया करता था। समुद्री किनारे का सही अनुमान न होने की स्थिति में उसे अनेक जटिल और खतरनाक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बचपन में सिंदबाद की समुद्री यात्राओं के बारे में हम पढ़ा करते थे। उन रोचक और रोमांचकारी यात्राओं में दिशा और समुद्री किनारे की समझ गड़बड़ा जाने पर सिंदबाद और उसके साथी यात्रियों को नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़े थे।

कोलंबस की कहानी भी रोमांचक थी। वह इंडिया की खोज में निकला और दिशा भटक जाने के कारण अमेरिका चला गया। उसके दिशा भटकने से एक फायदा यह हुआ कि दुनिया को अमेरिका का पता चल गया। कोलंबस इतालियन समुद्री यात्री था, जिसने अपने जीवन काल में अटलांटिक महासागर में चार समुद्री यात्राएं पूरी की थी। उसे भूगोल, अंतरिक्ष विज्ञान और इतिहास की काफी अच्छी जानकारी थी। उसकी योजना सुदूर पूर्वी देशों से समुद्र के रास्ते मसालों का व्यापार करके मुनाफा कमाने की थी, लेकिन दिशाभ्रम के चलते वह अमेरिका महादेश की और चला गया।

मध्यकाल में भारत आने वाले समुद्री यात्रियों में जिसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है वह है पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को डी-गामा, जो यूरोप और हिंदुस्तान के बीच समुद्री रास्ता खोजने के मकसद से 8 जुलाई,1497 को पुर्तगाल से अपने जहाजी बेड़े के साथ समुद्र में उतरा। उसकी यह यात्रा तत्कालीन पुर्तगाली सम्राट और चर्च के समर्थन से हुई थी। दरअसल, उन दिनों भारत के मसालों, खासकर काली मिर्च, की यूरोप में काफी चर्चा थी और मांग भी। भारत से मसालों का निर्यात अरब देशों के व्यापारियों के माध्यम से हो रहा था और इस व्यवसाय पर अरबों का आधिपत्य था। यूरोप में इस व्यापार पर अरबों के एकछत्र आधिपत्य को लेकर रोष था। यूरोप और पूर्व एशिया को जोड़ने वाले समुद्री रास्ते खोजने की आवश्यकता यूरोपीय देशों में महसूस की गई। अरब के व्यापारी समुद्री रास्ते की जानकारी छिपा कर रखते थे। काली मिर्च को उन दिनों काला सोना भी कहा जाता था। मालाबार तटीय क्षेत्र में दुनिया की सबसे बेहतरीन काली मिर्च की पैदवार होती थी। लिस्बन बंदरगाह से चार जहाजी बेड़े में एक सौ सत्तर नाविकों और मजदूरों के साथ वास्को डी-गामा निकला था। मोजांबिक, मालिंदी और केप ऑफ गुड होप होते हुए कई महीनों की समुद्री यात्रा के बाद वह 17 मई, 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, लेकिन वहां के शासक ने उसे व्यापार की इजाजत नहीं दी, तो उसे उत्तर की ओर बढ़ना पड़ा। कालीकट से वह कन्ननुर पहुंचा, जहां कन्ननुर के राजा ने वास्को का दिल से स्वागत किया। मसाले और काली मिर्च अपने जहाज में लाद कर वह पुर्तगाल लौट गया। कन्ननुर में विकसित बंदरगाह उन दिनों भी था और अरब और यूरोप से समुद्री रास्ते से व्यवसाय चल रहा था।

दिशा-सूचक की खोज

समुद्री यात्राओं के लिए कंपास की वैज्ञानिक खोज एक तरह से नाविकों के लिए वरदान साबित हुई, जिससे दिशाभ्रम की समस्या का कुछ हद तक हल मिला। प्राचीन काल में समुद्री यात्री आकाश में दिख रहे तारों के सहारे समुद्री यात्राएं करते थे, क्योंकि तारे ही दिशा का ज्ञान करा सकते थे। लेकिन दिन या बदली वाली रात में तारे दिखते नहीं थे, इसलिए किनारे से दूर गहरे समुद्र में उतरना असुरक्षित और जोखिम भरा रहता होगा। इत्तेफाकन लोडस्टोन नामक एक पत्थर की खोज लगभग नौवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के बीच चीनियों ने की। लोडस्टोन की खासियत यह थी कि उसमें प्राकृतिक रूप से चुंबकीय गुण उपलब्ध थे। लोडस्टोन के इसी गुण का उपयोग करके चीनियों ने कंपास का अविष्कार किया और इसकी वजह से दिशा-ज्ञान के लिए तारों पर निर्भरता कुछ कम हुई होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कंपास बनाने की यह प्रौद्योगिकी यूरोप और अरब देशों में पहुंची। कंपास की वजह से समुद्री यात्राएं कुछ सुरक्षित हुईं और समुद्री बेड़े सुदूर समुद्र में जाने का साहस करने लगे।

कंपास के इजाद से समुद्री रास्ते से व्यापार बढ़ा और समुद्री यात्राओं की वजह से आविष्कारों के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। कंपास का अविष्कार लगभग दो हजार साल पहले हुआ था। पहले कंपास का आविष्कार चीन के ह्यूयान वंश के शासन के दौरान 202 ईसापूर्व और 220 ईसवी के बीच हुआ, जो कि प्राकृतिक रूप से चुंबक आवेशित लौह पत्थर का बनता था। चीन के ही सुंग राजवंश के समय से इस कंपास का इस्तेमाल समुद्री यात्राओं के दौरान दिशाबोध के लिए होने लगा। धीरे-धीरे कंपास के संरचनात्मक स्वरूप में काफी बदलाव आया। इसके आविष्कार से पहले नाविक दिशा ज्ञान, भौगोलिक स्थितियों और समुद्र में दिशाबोध के लिए लैंडमार्क याद रखते थे और ग्रहों और नक्षत्रों की अवस्थिति का ज्ञान रखा जाता। समुद्र तट के संज्ञान के लिए इंसान ने प्रकाश का उपयोग करना शुरू किया। समुद्री तटों पर जगह-जगह प्रकाश-स्तंभों की व्यवस्था की गई, जहां से प्रकाश की किरणें समुद्र के ऊपर रात में फैलतीं और उन्हीं प्रकाश किरणों को देख कर गहरे समुद्र में जहाजी बेड़ों को किनारे का पता चलता। जैसा कि हर व्यवस्था का एक क्रमिक वैज्ञानिक विकास होता है, इन प्रकाश-स्तंभों की प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ है और इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है।

प्रकाश-स्तंभ

आज इन प्रकाश-स्तंभों को 'लाइट हाउस' कहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडीशा, पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों पर भारत सरकार की ओर से करीब दो सौ लाइट हॉउसों का निर्माण हुआ है। भारतीय समुद्री तट पश्चिम बंगाल से शुरू होकर गुजरात तक फैला हुआ है, जिसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है और इन दोनों के बीच हिंद महासागर है। लाइट हाउसों की व्यवस्था, निर्माण, प्रशासन भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के अधीन कार्यरत लाइट हाउस महानिदेशालय करता है।

लाइट हाउसों में जलने वाले दीपों का प्रारंभिक रूप हमारे घरों में जलने वाली लालटेन से समझा जा सकता है, जिसके बत्ती, तेल और कांच मुख्य अंग हैं। लाइट हाउस का मूल सिद्धांत इतना है कि लालटेन जला कर उसे किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता, ताकि प्रकाश समुद्र में दूर-दूर तक दिखाई दे सके और जहाजी बेड़े के कप्तान को किनारे का आभास हो सके। ऊंची जगहों की जगह आज मीनारों ने ले ली है, बत्ती और तेल की जगह बिजली चालित और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने ली है और लालटेन हाउस का भी आधुनिकीकरण हो गया है।

मीनार, भवन या इमारत का निर्माण ऐसे किया गया कि जहां से लैंप और लेंस से बनी डिवाइस से प्रकाश किरणें निकलती हैं और दूर-दूर तक देखी जा सकती हैं। लाइट हाउस से निकली रोशनी बताती है कि आसपास कोई समुद्री किनारा है, कोई द्वीप है, कोई पहाड़ी है आदि। जितनी ऊंचाई पर प्रकाश स्रोत रखा जाएगा उतनी ही दूर तक प्रकाश किरणें दिखाई देंगी। लाइट हाउस की ऊंचाई इसीलिए काफी रखी जाती है, ताकि प्रकाश समुद्र में दूर तक दिखाई दे। समय के साथ लाइट हाउस की बनावट की प्रविधि, प्रकाश स्रोतों का आधुनिकीकरण किया गया है। एक लालटेन से शुरू होकर आज प्रकाश स्रोतों के रूप में लेंस और लेजर तक का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसी प्रकाश किरणें जहाजियों और स्थानीय मछुआरों को समुद्र में समुद्री तटों का बोध कराती हैं। लाइट हाउस की मदद से खतरनाक समुद्री किनारों, खतरनाक समुद्री इलाकों की पहचान और निशानदेही कराई जा सकती है। लाइट हाउस की मदद से जहाजों को सुरक्षित तरीके से बंदरगाह में प्रवेश कराया जा सकता है। भारतीय समुद्री सीमा के भीतर अवस्थित भारतीय द्विपों और समुद्र तटों पर अब तक महानिदेशालय ने 194 लाइट हाउसों का निर्माण किया है। इनमें से अनेक के निर्माण के सौ साल से अधिक हो चुके हैं। इनके निर्माण की अद्भुत कहनियां हैं। ■

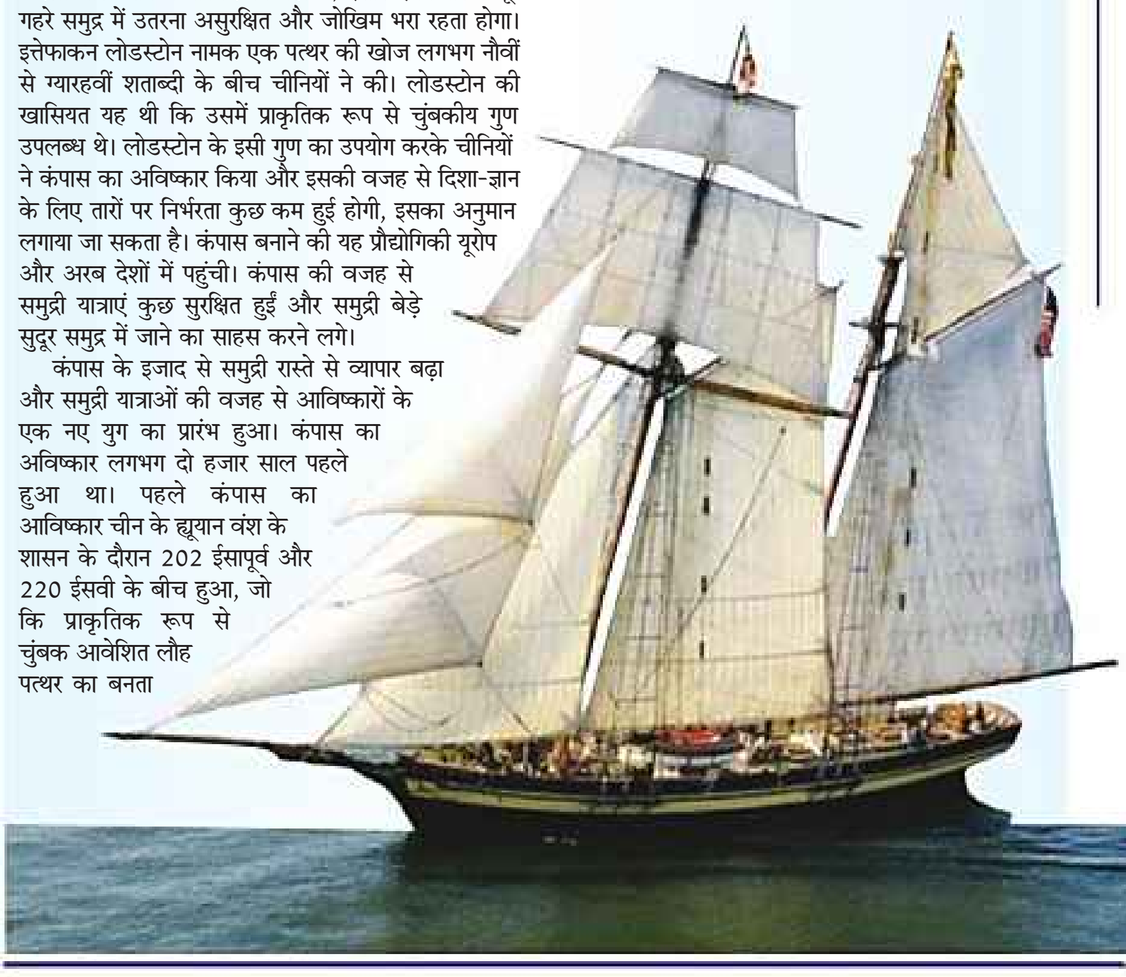

लहरों पर तैरती रोशनी

अरब सागर की ओर के समुद्री तट पर पहले लाइट हाउस का निर्माण केरल के तेलचेरी पोर्ट पर 1835 ई में हुआ। लेकिन व्यापारियों और जहाजियों ने ब्रिटिश हुकूमत से आग्रह करना शुरू किया कि एक लाइट हाउस की स्थापना कुन्नुर में होना चाहिए। मद्रास प्रेसीडेंसी ने 14 दिसंबर, 1842 को कुन्नुर में लाइट हाउस बनाने का फैसला किया। भारतीय लाइट हाउस के लिए प्रकाश यंत्रों का निर्माण ग्रैंड आर्सेनल मद्रास में किया जाता था। लेकिन नए किस्म के प्रकाश यंत्र बनाने में समय लगना था और तेलीचेरी लाइट हाउस के लिए नया यंत्र बन चुका था तो तय किया गया कि नए संयंत्र के आने तक तेलीचेरी के सरप्लस लालटेन का इस्तेमाल कुन्नुर में किया जाना चाहिए। इस तरह तेलचेरी से लाई गई लालटेन से कुन्नुर लाइट हाउस की शुरुआत हुई। 7 अक्तूबर, 1843 को पहली दफा लालटेन जलाई गई और उस लालटेन को समुद्र की सतह से 112 फीट की ऊंचाई पर रखा गया। हालांकि मई से सितंबर के बीच उन इलाकों में तेज आंधियां चलती थीं, इसलिए उससे बचाव के लिए लाइट हाउस की ऊंचाई पचासी फीट तक कर कम कर दी जाती थी। लालटेन की ऊंचाई तीस इंच थी तथा उसमें बीस इंच ऊंचाई का शीशा चढ़ा दिया जाता, ताकि बाती की लौ तेज हवाओं से बुझे नहीं। यह रोशनी समुद्र में बारह नॉटिकल मील तक देखी जा सकती थी। प्रकाश के असर और उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए लालटेन के पीछे एक चांदी का वर्क चढ़ा धातुई कनकेव कवर लगा दिया जाता। प्रकाश-व्यवस्था साल भर शाम से सुबह तक रहती। लालटेन की रोशनी बराबर तेज चमके, इसके लिए मजदूर रात भर बाती के ऊपरी हिस्से को दुरुस्त करते और लालटेन के शीशे को साफ करते रहते। लेकिन ऐसी लालटेनें हमेशा ठीक से काम नहीं करती थीं, जिसकी वजह से प्रकाश व्यवस्था चरमरा जाती। लालटेन में नारियल तेल इस्तेमाल किया जाता और एक लालटेन में रात भर में ढाई किलोग्राम नारियल तेल की खपत होती।

पर समय के साथ-साथ वैज्ञानिक विकास के साथ लाइट हाउस का भी कायाकल्प हुआ। समुद्र तटीय इलाके में राजाओं ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लाइट हाउस की स्थापना कराई, क्योंकि उन्हें समुद्री रास्ते से आयात-निर्यात के फायदे दिखने लगे।

भारतीय समुद्री तटों पर अवस्थित सौ साल से भी पुराने प्रकाशगृहों ने समुद्री यात्राओं का मार्गदर्शन और आसान किया है, उन दिनों जब मार्गदर्शन के कोई अन्य उपाय जहाजी बेड़ों के लिए उपलब्ध नहीं था। फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस लगभग एक सौ बयासी साल पुराना है। इसकी स्थापना और उसके विकास का इतिहास जानना दिलचस्प होगा।

ओडीशा प्रांत 1803 में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। उन दिनों बंगाल की खाड़ी से गुजर कर कोलकाता पोर्ट पर जाने वाले जहाजों को हुगली नदी के मुहाने तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन वहां तक पहुंचने में जहाजों की यात्राएं प्रकाशगृहों के आभाव में कठिन लगता था। ओडीशा प्रांत की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी पर है। कोलकाता पोर्ट के पहले महानदी मुहाना पड़ता है, जहां वह बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिलती है। कोलकाता पोर्ट की ओर जाने वाले जहाजी बेड़े अक्सर महानदी के मुहाने को हुगली नदी का मुहाना समझ कर उस तरफ मुड़ जाया करते। जहाजी बेड़ों को इस भ्रम से बचाने के लिए अंग्रेज सरकार ने महानदी के मुहाने पर एक प्रकाशगृह के निर्माण की योजना बनाई। इस प्रकाशगृह का नाम रखा गया फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस। सैंतीस मीटर ऊंची मीनार का निर्माण हुआ, जो 16 अक्तूबर, 1837 को पूरा हुआ और प्रकाशगृह से प्रकाश निर्गमन 1 मार्च, 1838 को शुरू हुआ। मीनार के ऊपर बना बनाया लालटेनरूम स्थापित किया गया, जो इंग्लैंड से आयात हुआ।

लालटेनरूम के साथ ही प्रकाश संयंत्र और पीतल का प्रकाश-परावर्तक भी आयात हुआ। प्रकाशगृह में ही लालटेन रखी जाती है, जिसकी रोशनी समुद्री जहाजियों को दिखाई देती है। नारियल तेल से जलने वाली लालटेन या लैंप, जो घूमता नहीं था, लालटेन रूम में स्थापित कर दिया गया। चूंकि उस लालटेन की रोशनी मद्धिम थी और जहाजीबेड़ों तक पहुंचते-पहुंचते धूमिल पड़ जाती, तो उस प्रकाशगृह की छत से हर चार घंटे पर गोले दागे जाते, ताकि जहाजियों को प्रकाशगृह का पता चले। लैंप से निकलने वाली प्रकाश किरणों की क्षीणता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकाशगृह के प्रकाश-यंत्रों को बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई।

1 फरवरी, 1880 में फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस में नया प्रकाश संयंत्र लगा दिया गया। इस प्रकाश संयंत्र से निकलने वाली श्वेत किरणें समुद्र में उन्नीस मील की दूरी तक ठीक-ठीक देखी जा सकती थीं। जहाजियों को एक सार्वजानिक सूचना दी गई कि फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस से नीली रोशनी अब नहीं निकलेगी और गोले भी नहीं दागे जाएंगे। प्रकाशगृह में प्रकाश संबंधित जो भी बदलाव होते थे उसकी सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य था, ताकि जहाजियों को कोई भ्रम न हो।

प्रकाशगृह की विशिष्ट पहचान

हर प्रकाशगृह की विशिष्ट पहचान है, जिसकी वजह से जहाजी कप्तान उसे पहचान लेता है। इस पहचान के अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। उन दिनों प्रकाशगृह के संयंत्र और उपकरण भारत में नहीं बनते थे, इसलिए उनका आयात इंग्लैंड से होता। फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस के नए उपकरण इंग्लैंड की कंपनी चांस ब्रदर्स ने 1878 में बनाई थी। वह लालटेनरूम आज भी फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस में उपयोग हो रहा है। हालांकि प्रकाश संयंत्र में अनेक बार बदलाव हुआ। पैंतालीस हजार रुपए फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस के प्रकाश संयंत्र के आधुनिकीकरण पर उस समय खर्च हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जहाजियों ने अपर्याप्त रोशनी की शिकायत की। इस लालटेन के बर्नर में छह बत्तियां होती थीं, जिनमें से पांच बत्तियों को जलाया जाता और एक बत्ती को सुरक्षित बचा के रखा जाता, ताकि आपातकालीन स्थिति में उसका उपयोग हो सके। छठी बत्ती को धुंध और कुहासे के मौसम में जलाया जाता।

एक खामी समझ में आई कि उधर से होकर गुजरने वाले जहाजों में अचल प्रकाश लैंप लगे होते हैं और फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस के लालटेन रूम में भी अचल प्रकाश लैंप लगे हुए हैं तो जहाजियों को लाइट हाउस की रोशनी और जहाजों की रोशनी में फर्क महसूस नहीं होता था। अचल प्रकाश व्यवस्था को एक ऐसी प्रकाश-व्यवस्था से बदला गया जिससे रोशनी एक नियमित अंतराल के बाद अलोप हो जाती। उसे ऑकॉल्टिंग प्रकाश व्यवस्था कहा गया। प्रकाश को अलोप करने के लिए एक धातुई ट्युब का इस्तेमाल किया गया, जो लालटेन के सामने ऊपर-नीचे होता रहता। तीस सेकेंड में छब्बीस सेकेंड तक रोशनी दिखाई देती और चार सेकेंड के लिए रोशनी ओझल हो जाती। यह क्रम लगातार दोहराया जाता। रात में इसको अंजाम देने के लिए लाइट कीपरों को हाथ से काम करना पड़ता। वह एक मुसीबत थी, जो यंत्रचालित उपकरणों के आने के बाद दूर हुई।

1931 में चांस ब्रदर्स ने एक नए प्रकाश संयंत्र का निर्माण किया, जिसमें छह बत्तियों वाले बर्नर लैंप की जगह पचासी मिमी का पेट्रोलियम वैपर लैंप और धातुई ट्युब की जगह अपने आप घूमने वाला पर्दा था। इस समय यह अर्द्ध-स्वचालित प्रकाशगृह बन गया है। लेकिन यह भी एक सच है कि इस प्रकाश-गृह की स्थापना के समय से ही यहां के कर्मचारियों को नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। सुंदरवन के बगल में होने के कारण वहां से बाघ प्रकाशगृह में घुस आते थे। बाघों से रक्षा के लिए प्रकाशगृह के कर्मचारियों को बंदूकें और छर्रे दिए गए। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय प्रकाशगृह को युद्ध से तबाही से बचाव के लिए तोपें भी दी गई थीं। अस्पताल और डॉक्टर के अभाव में लोगों की जानें भी गईं। वहां तक पहुंचने का रास्ता केवल समुद्र था, तो उनको नावें दी गईं।

वह जमाना अब लद गया। 1958 में फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस का विद्युतीकरण किया गया। फ्रांस की कंपनी बीबीटी ने नए प्रकाश संयंत्रों की आपूर्ति की। घूमने वाला प्रकाश यंत्र लगाया गया, जिससे फ्लैश प्रकाश निकलता। दो फ्लशों के बीच बीस सेकेंड का फासला रहता। प्रकाश प्रदीपक एक हजार वाट का विद्युतीय उद्दीप्त लैंप है, जो क्लॉकवर्क पद्धति से काम करता है और प्रकाश की परिक्रमा करता है। प्रकाश प्रदीपक एक चार सौ वाट का मेटल हैलाइड लैंप है और प्रकाश परिक्रमण का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक पल्स-मोटर से किया जाता है। दिन में फॉल्स पॉइंट लाइटहाउस की पहचान है मीनार की दीवार पर गुदा हुआ बड़ा-सा सफेद रंग का स्टार और लालटेनरूम के गुंबद का नारंगी रंग। प्रकाशगृहों का निर्माण समुद्री तटों पर किया जाता था, जहां घने जंगल होते, बिजली नहीं होती, आवागमन के साधनों का आभाव रहता, जंगली जानवरों से बचाव का उपाय नहीं होता, डॉक्टर और दवाओं का इंतजाम नहीं होता । लाइटहाउस कीपरों ने कठिन परिस्थितियों में रह कर लाइट हाउसों का रखरखाव संभाला था। फिर लाइटहाउस के इर्दगिर्द धीरे-धीरे सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मगर अब भी अनेक लाइट हाउस हैं जहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। ■

जा घट प्रेम न संचरै

चित्र: नरेंद्रपाल सिंह

कहानी

राजेश झरपुरे

(बस में सफर करते एक प्रेमी युगल को देखते हुए)

आज वह बहुत सुंदर लग रही थी।

सुंदर नहीं...

सुंदर कहना ठीक नहीं होगा।

वह सुंदर तो थी ही। गेहुंआ रंग, गोल मुख, तोते की तरह ढली हुई नाक, सुराही की तरह मढ़ी हुई गर्दन और सदैव आंखों से बात करती। होंठ सिले हुए, पर मुस्कराने पर खिल उठते और छोटे-छोटे दांतों की दो पंक्ति चमक उठती। सुंदर होने के लिए इतना पर्याप्त था। पर वह पर्याप्त से अधिक लग रही थी। इस तरह अधिक होना, अचानक उसके पहनावे में आए परिवर्तन के कारण हुआ था।

आज वह साड़ी पहन कर आई थी।

रोज वह सलवार-कुरता पहना करती।

सिर तक दुपट्टा ओढ़े। उसके पास तरह-तरह के रंगों में सूट थे। वह उस तरह भी और सब महिलाओं से सुंदर लगती, पर साड़ी में उसकी सुंदरता और अधिक खिल उठी। उसका खिल जाना मुझे रोमांचित कर गया। मैं अपने आप को रोक न पाया। और बिना किसी संकोच या भय के बोल पड़ा- '...आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं।'

मैंने बोला जरूर, पर शब्द होठों से बाहर नहीं आ पाए।

हवा में शब्द घुल नहीं पाए, पर उसने सुन लिया।

उसने पलकें उठाई और मुस्कराते हुए झपक दी। मुझे जवाब मिल गया।

इस तरह पूरी बस में कहने वाला मैं अकेला था और इस तरह सुनने वाली वह अकेली। उसके साथ उसकी सबसे नजदीकी सहयात्री सहेली बैठी थी। उसकी आंखों में अपनी सहेली की अतिरिक्त सुंदरता को लेकर ईर्ष्या जैसा कोई भाव था, जो वह पढ़ नहीं पाई। यह भाव स्वाभाविक भी था। दरअसल, जिन्हें हम अपना सबसे प्रिय और अभिन्न समझते हैं, चाहे वह दोस्त हो या रिश्तेदार, उसके बारे में हम जान सकें कि वह हमारे पीठ पीछे क्या बोलता है और बाजू में बैठ कर क्या सोचता है, तो हम दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। न कोई हमारा होगा और न हम किसी के हो पाएंगे। पर हम अकेले नहीं होते। हमारा अकेले न होना यह बताता है कि हम भ्रम में हैं... रिश्तों के, मित्रता के होने के... और जो जितना अधिक भ्रमित होता है, वह उतना ही अधिक घनिष्ठ होता है।

उसके साथ, उसके बाजू में बैठी, उसकी सहेली की तरह दिखने वाली वह उम्रदराज महिला, उसकी घनिष्ठ होगी या नहीं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। वह भी नहीं। बस! सदैव उसे उसके बाजू में बैठे देखा था। उनकी निकटता का कारण, दोनों का एक ही स्कूल में पदस्थ होना हो सकता था। एक ही मुहल्ले में आस-पड़ोस में रहना हो। एक-दूसरे के विचारों में समानता होने जैसा कुछ हो। पर मुझे इसमें से एक भी तर्क उचित नहीं लगता।

मैं उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता और जान सकूं, इस तरह सोचा भी नहीं था। वह मुझे अच्छी लगती थी बस!

बस में और दूसरे सहयात्री महिला-पुरुष भी अच्छे थे, पर वह मुझे सब अच्छे लोगों से ज्यादा अच्छी लगती। यही कारण था कि छीनवाड़ा से लेकर पलटवाड़ा तक के सफर में वह मेरी नजरों के घेरे में होती। वह जानती थी, वह उनतीस किलोमीटर तक अदृश्य बंधन में रहती है। यह बंधन उसे पराधीन नहीं करता, उन्मुक्त करता था। वह खुले आसमान में उड़ा करती। सुंदर चिड़िया की तरह पेड़ों की फुनगियों में चढ़ जाया करती और मन को तरंगित कर दे, ऐसे गीत गाया करती। वह जब खुले आसमान में उड़ती, उसके पंख नहीं फहराते। वह जब गाती, उसके होंठ नहीं हिलते, पर मैं उसका उड़ना पूरी निष्ठा से महसूस कर लेता। उसके गीतों के स्वर मेरे कानों में बिना किसी अवरोध के शहद घोल देते।

उसका नाम...?

मुझे नहीं मालूम।

उसका निवास?

मैं नहीं जानता।

वह कहां से आती और कहां चली जाती है?

मुझे इससे कभी कोई मतलब नहीं रहा।

क्या वह विवाहित है?

हां! यह सबकी तरह मैं भी जानता था।

और इस पूरी जानकारी के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई जानकारी नहीं थी। और मैंने भी इस तरह अन्य के बारे में न कभी सोचा, न चिंतित हुआ या जानने के लिए व्यग्र रहा। किसी के अच्छे लगने के लिए जानकारी महत्त्वपूर्ण नहीं होती। अतिरिक्त जानकारियां सदैव दुख पहुंचाती हैं। दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं, इसीलिए अपनी उनतीस किलोमीटर की यात्रा में मैं सदैव प्यार और अपनत्व से भरा होता। हालांकि पलटवाड़ा उतर कर, वहां से और छब्बीस किलोमीटर दूर, दूसरी दिशा में, दूसरी बस, टैक्सी से मुझे जाना होता और उसे सीधे, उसी बस में कहीं और। मैं आगे के छब्बीस किलोमीटर में भी उनतीस किलोमीटर उसके साथ सहयात्री रहे पलों को ही जीता। वह भी कुछ किलोमीटर तक इसी तरह जीती होगी। मुझे शक या जबर्दस्ती किसी पर अविश्वास करने की बीमारी नहीं है, इसीलिए इस तरह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं... वह अपनी सहेली के बाजू में बैठी इसी तरह आगे का सफर करती होगी।

उसका यह एक सत्य मेरे साथ भी जुड़ा था। मैं भी विवाहित था और तीन बच्चों का पिता। वह भी विवाहित थी, पर उसकी सहेली का विवाह नहीं हुआ था। सुंदरता से विवाह का गहरा संबंध होता है। आपेक्षित उम्र के बाद अगर विवाह नहीं हो पाए तो सामाजिक ताने और स्वयं का अंतर्द्वंद्व उसे कीड़े की तरह डंसने लगता है। उसकी सहेली के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ हो। उसे ढलती हुई उम्र बोझ लगने लगी हो और ढलता हुआ सौंदर्य कचोटता हो।

वह सुंदर तो थी ही, समझदार भी थी। वह उससे दयाभाव रखती हो। उसे धैर्य और ध्यान में बंधने की सलाह देती हो। बंधन की जीत और पराजय की खुशी से अभिभूत, वह उसे गृहस्थ जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बताती हो, जिसे सुनना उसे अच्छा लगता हो। बस! इस एक अकेले कारण के अतिरिक्त उनमें घनिष्ठता का और कोई कारण, मेरी समझ से परे था।

वह जानती थी, मैं उसे सहयात्रियों की आंखों से बच कर निहारता रहता हूं। मैं भी जानता था, जब मैं उसे नहीं देख रहा होता, वह मुझे निहार रही होती। और कभी-कभार जब हमारी दृष्टि टकरा जाती, हम चोरों की तरह नजरें झुका लिया करते। चोरी पकड़ी जाना, चोर साबित हो जाना हमारे मन को सुकून देता।

कई बार मैंने चाहा, कई बार उसने भी चाहा और अगर सही कहा जाए तो रोज ही हमने चाहा कि कम से कम एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आए कि हम दोनों एक ही सीट पर साथ-साथ, पास-पास बैठें। पर वह दिन हमसे रोज-रोज, दूर से दूर ही रहा। जब कभी हम कम फासले में रहे, बिल्कुल अगल-बगल या आगे-पीछे वाली सीट पर, तो हमारे बीच दूरी बढ़ी हुई रही। हमारे बीच के कम अंतर को किसी अन्य पर जाहिर न होने देने की सतर्कता बरतते हुए हम पूर्णरूप से सावधान होते। पर हमारे बीच एक अंतहीन वार्ता चलती रहती। बातों-बातों में वह कभी मुस्करा देती। कभी गंभीरता का चोला ओढ़ लेती। दोनों ही स्थिति में उसका मुझसे और मेरा उससे गहन जुड़ाव होता। मैं अपने गालों पर उसके हाथों की नरम-नरम उंगलियों के स्पर्श को पूरी गंभीरता से महसूस कर लेता। वह अपने बालों में घूमती हुई मेरी उंगलियों के स्पर्श को महसूसते हुए उत्तेजना में बार-बार अपने सिर पर हाथ फेरती और क्षणांश के लिए तीक्ष्ण दृष्टि मेरी तरफ डाल कर मुझे इस तरह शरारत करने से रोकती। मैं मुस्करा देता, वह भी। वह जब मुस्कराती तो मुस्कराती ही रह जाती। उसकी देह का पोर-पोर मुस्कराता। साथ बैठी सहेली को उसका मुस्कराना तीर की तरह चुभता। वह बस में चारों दिशाओं में नजर घुमा कर देखती। यह मुस्कराहट कहां से आई?... उस वक्त में उससे संपर्क तोड़ लेता और अन्य सहयात्रियों से जुड़ा हुआ प्रदर्शित करता, पर वह पास बैठी तितली का मुख सूंघ कर पता लगा लेती कि वह कहां थी। फिर उसकी दृष्टि मेरी ओर होती। मैं उसकी दृष्टि में उठे सारे प्रश्नों को सिरे से नकार देता। वह खुश होती। उसका अहंकार तृप्त होता। उसकी ईर्ष्या खुशी में बदल जाती।

इस तरह मैं उसे किसी भी तरह की उलाहना के तीर से बचा ले जाता।

वह भी मुझे सदैव बचाए रखती। जब वह मुझे निहारती, मेरी आंखें उच्छृंखल हो उठतीं। वह आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में चली जाती। मैं निराश हो उठता। मेरी उच्छृंखलता मुझे कचोटने लगती। मैं अपने किए पर पछताता रह जाता और प्रायश्चित की स्थिति में उसी के सदृश्य विचारों के मौन में उतरने का प्रयास करता। पर मौन कहीं नहीं होता। न ध्यान में, न विचार में। मौन की भी एक भाषा होती है। मौन के भी स्वर होते हैं और मौन में भी आवाज होती है। मौन की भी एक चीख होती है और मौन में भी घना शोर होता है। हम इस तरह से बेचैन और व्यग्र कर देने वाले वातावरण से दूसरे अधीर कर देने वाले परिवेश में समा जाते, पर साथ-साथ... वह अपने ध्यान में, मैं अपने मौन में।

एक छोटे से सफर में प्रतिदिन कुछ किलोमीटर यात्रा में इस तरह भी प्रेम हो सकता है, यह हमने नहीं जाना। पर इतना सघन, सात्विक, अबोला और देहहीन प्रेम इस पृथ्वी पर कहीं हो सकता था, तो वह उनतीस किलोमीटर में फैला ही हो सकता था, जिस पर, जिसके के लिए, हम सफर करते और सफर में प्रेम, प्रेम और प्रेम करते। ❑

एक छोटे से सफर में प्रतिदिन कुछ किलोमीटर यात्रा में इस तरह भी प्रेम हो सकता है, यह हमने नहीं जाना। पर इतना सघन, सात्विक, अबोला और देहहीन प्रेम इस पृथ्वी पर कहीं हो सकता था, तो वह उनतीस किलोमीटर में फैला ही हो सकता था, जिस पर, जिसके के लिए, हम सफर करते और सफर में प्रेम, प्रेम और प्रेम करते।

आलोचना का विवेक

विमर्श

रामप्रकाश कुशवाहा

हिंदी आलोचना के इतिहास में कई शीर्षस्थ विभूतियों के होते हुए भी एक लंबा दौर ऐसा रहा है, जिसे भविष्य के साहित्यिक इतिहास लेखक निस्संदेह आलोचना का नामवर काल ही कहना पसंद करेंगे। भारतीय राजनीति में नेहरू और इंदिरा के लंबे और प्रभावी कार्यकाल की तरह आजादी के बाद अज्ञेय और नामवर सिंह ही साहित्यिक नेतृत्व की दृष्टि से दो केंद्रीय व्यक्तित्व दूर और सहज रूप से दिखते हैं। यद्यपि इस बीच धर्मयुग और धर्मवीर भारती, दिनमान और रघुवीर सहाय, सारिका और कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और हंस, ज्ञानरंजन और उनकी पहल का संपादकीय नेतृत्व और अवदान भी कम प्रभावी और महत्त्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि अपने अंतिम चरण में वे आलोचक की केंद्रस्थ प्रभावी भूमिका से स्वेच्छा से हट गए थे, लेकिन एक साहित्यिक अभिभावक का-सा प्रभामंडल अंत तक उनके साथ जुड़ा रहा।

प्रगतिशील आलोचक होते हुए भी नामवर सिंह पूरी तरह विचारधारा पर आश्रित बुद्धिधर्मी नहीं थे। विचारधारा पर पूरी तरह आधारित विचारक रहते, तो सोवियत रूस के पतन के साथ उनके लिए भी प्रासंगिकता का संकट और अवसाद का दौर शुरू होता। दरअसल, उनके वामपंथ और मार्क्सवाद का आधुनिकता और वैज्ञानिक चेतना से वैर या विरोध नहीं था। इस विचारशीलता का उन्होंने अपने लिए चयन किया था। यह प्रगतिशीलता उनकी धोती-कुर्ते वाली उत्तर भारतीय किसानों की वेशभूषा की तरह व्यक्तित्व की पोशाक थी। सहमति को लेकर एक सूक्ष्म-पूर्वाग्रही अड़ियलपन था उनमें, कुछ-कुछ अपनी ही शर्तों पर जीने वाली जिद की तरह। भाषा की सर्जनात्मकता का मानक उन्हें अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्राप्त हुआ था। इसी कसौटी पर विचारधारा के अंतर्विरोधों की परवाह न करते हुए निर्मल वर्मा की साहित्यिक भाषा पर रीझे। 'परिंदे' पर उनकी रीझ कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक भाषा के प्रति उनका नैतिक समर्थन ही था।

ऐसे नामवर के प्रस्थान और आलोचना में उनके युग के अवसान के बाद हिंदी आलोचना का जो वर्तमान सामने आया है, उसमें अब भी उनकी प्रेरणा और परंपरा (दूसरी) का चिंतन-जड़त्व देखा जा सकता है। पत्रिकाओं से लेकर फेसबुक तक की कविताओं में जागृत मध्यवर्ग की असहमतिपूर्ण चेतना समझदारी के स्तर पर ही अंतर्विन्यस्त है। उनके बाद वरिष्ठ और नई पीढ़ी के अनेक समर्थ आलोचकों के होते हुए भी न जाने क्यों लगता है कि हिंदी का साहित्यिक समय अपनी सामूहिकता की लय को बहुत कुछ खो चुका है और अपने बिखराव को समेटने में असमर्थ है। नामवर जी के जाने के बाद आलोचना के विकेंद्रीकरण की संभावना तो पहले से थी, लेकिन एक अवसर भी था, एक नए लोकतांत्रिक सामूहिक साहित्यिक परिदृश्य के निर्मित होने का।

सच तो यह है कि आलोचना साहित्यशास्त्र के निर्माण का सतत चलने वाला उपक्रम है। यह साहित्य की कलात्मक और संरचनात्मक प्रविधियों तथा युक्तियों के सूक्ष्म गहन अध्ययन की सतत चलने वाली परियोजना है।

यह महज संयोग नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी तक सभी पाठ्यक्रम और पाठ-निर्माण की समस्या से जूझते रहे हैं। यह भी सच है कि प्राध्यापकीय आलोचना अत्यंत धीमी गति से परिवर्धनशील और प्रायः पुनरावर्ती होती है, लेकिन यह भी सच है कि साहित्य के चक्रव्यूह में आखिरी द्वार उसी को खोलना है। सोशल मीडिया ने पहली बार सीधे पाठकों को भी एक अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध करा दिया है। शिक्षित मध्यवर्ग बढ़ा है और उसे दृश्य माध्यमों की चकाचौंध से बाहर निकाल कर वापस किताबों की ओर लाने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने के कारण साहित्य के शिक्षित विशेषज्ञ बढ़े हैं। अगर सही ढंग से हो, तो शोध भी आलोचना कर्म का ही विस्तार है। प्रश्न यही है कि हिंदी में नामवर युग के अवसान के बाद किसी व्यक्ति आलोचक की ताजपोशी के स्थान पर किसी संस्थागत स्थायी मूल्यांकन तंत्र का विकास, यानी पंचायती आलोचना की ओर हिंदी जगत क्यों नहीं बढ़ता।

दरअसल, आलोचना एक संस्थागत और सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्यिक भाषा-कर्म है। लेकिन हिंदी में यह आरंभ से ही कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं पर और लगभग व्यक्ति आश्रित रहा है। हिंदी आलोचना के कुछ बरगदों का युग समाप्त हो जाने से अन्य वनस्पतियों का युग शुरू होता तो भी अच्छा ही होता, लेकिन विडंबना यह है कि भारतीय राजनीति की तरह हिंदी की आलोचना संस्था भी व्यक्ति केंद्रित विपणन की शिकार है। इसने आलोचक की रुचि और पसंद केंद्रित एकरस लेखन को बढ़ावा दिया है। इसने आलोचना और आलोचक की मुखापेक्षी रचनाधर्मिता को बढ़ावा दिया और इसने रचनाकारों की एक बड़ी पीढ़ी को कुछ अधिक ही दमित, शमित, नियंत्रित और सुनियोजित किया।

इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि एक पीढ़ी के हिंदी रचनाकारों में नेतृत्व का आत्मविश्वास और नवोन्मेषी प्रयोगधर्मिता के लिए जोखिम लेने की प्रवृत्ति ही सिरे से गायब हो गई। इससे हिंदी में कुछ समय के लिए बरगदी आलोचक के सापेक्ष बोनसाई लेखकों का दौर रहा। जबकि आलोचक के प्रभुत्व के अभाव वाली अन्य भारतीय भाषाओ में इस कारक के अभाव के कारण बड़े और प्रयोगधर्मी साहित्यकारों का उभरना देखा जा सकता है।

हिंदी के इस यथार्थ के सापेक्ष अंग्रेजी साहित्य के परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो वैश्विक पूंजी के आधार पर होने वाले विपणन के समांतर उनका संस्थागत मूल्यांकन तंत्र सशक्त और विश्वसनीय है। अपने यहां पहले से मान लिया गया है कि इस बीच सभी शोध प्रबंध पीएच-डी की उपाधि के लिए ही लिखे गए हैं। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह इतिहास में दर्ज होते हुए भी कि मालवीय जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उनके अनौपचारिक अध्ययन और कार्य के आधार पर ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य पद दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां मूल्यांकन का स्वायत्त तंत्र और विवेक नहीं है। रचनाकारों और रचनाओं के छवि-निर्माण का दायित्व पूंजीपतियों और मध्यवर्ग से आए साहित्यकारों की रीढ़ पर टिकी लघु पत्रिकाओं यानी कुल मिला कर पत्रकारिता पर ही है।

रचना ही साहित्य की आधारभूत ईकाई है। रचना एक असमाप्त वाद या मुकदमे की तरह है और पाठकों के बीच अपनी विश्वसनीयता सुरक्षित रहने तक आलोचक उस जज की तरह है, जिसके निर्णय की पुनर्परीक्षा का अधिकार भावी पीढ़ी के जज यानी आलोचक को हस्तांतरित होता जाता है।

दरअसल, रचना ही आलोचना का आधार होती है। क्योंकि आलोचना के होने या न होने के बावजूद वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान होती है। एक विरोधी आलोचना उसे खारिज करने के स्थान पर और चर्चित और लोकप्रिय बना सकती है। अमृतपान करने वाले मिथकीय चरित्र राहु की तरह ऐसे विवाद रचना की अमरता ही सुनिश्चित करते हैं। आलोचना एक परनिर्भर साहित्यिक विधा है। पाठक आलोचक की संस्तुति मानने के लिए तब तक बाध्य नही है, जब तक कि वह आलोचकीय टिप्पणी की विश्वसनीयता को लेकर आश्वस्त न हो। आलोचना विधा को साहित्यिक स्वीकृति भी पाठकों की सहमति के बाद ही मिलती है।

चित्र: नरेंद्र जायसवाल

राजनीति की तरह आलोचना भी एक संस्थागत (सामाजिक) व्यवहार है। आलोचक की वैधता भी मानवीय मूल्यों और सरोकारों के सापेक्ष होती है। आलोचक व्यक्ति होने पर भी समाज के प्रतिनिधि के रूप में मूल्यांकन-चिंतन करता है। जब लोग असामाजिक व्यक्ति के रूप मे आलोचक होने का दंभ जीने लगेंगे, तो आलोचना के संसथागत विवेक और विश्वसनीयता को क्षतिग्रस्त करेंगे। राम की जगह समाज को रख कर भरत की जगह आलोचक को रखा जाए, तब भरत-विवेक के सदृश आलोचक के विवेक का आदर्श उपस्थित होगा। ❑

राजनीति की तरह आलोचना भी एक संस्थागत (सामाजिक) व्यवहार है। आलोचक की वैधता भी मानवीय मूल्यों और सरोकारों के सापेक्ष होती है। आलोचक व्यक्ति होने पर भी समाज के प्रतिनिधि के रूप में मूल्यांकन-चिंतन करता है। जब लोग असामाजिक व्यक्ति के रूप मे आलोचक होने का दंभ जीने लगेंगे, तो आलोचना के संसथागत विवेक और विश्वसनीयता को क्षतिग्रस्त करेंगे।

ईश्वर का स्वरूप

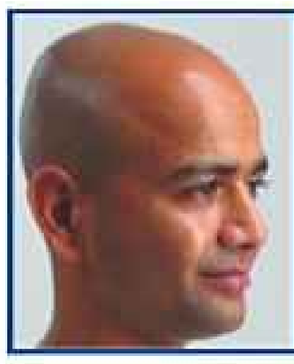

योग दर्शन

डॉ. वरुण वीर

ॐ तत्सत् ॐ ही सत्य है। आज विश्व में अनेक मत हैं लेकिन 10 मत ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जीवित हैं। हिंदू, ईसाई, मुसलमान, सिख, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, ताओ, कन्फ्यूशंस, बाहाई आदि यह मत प्रमुख हैं। जिनमें कुछ ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो कुछ ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो ईश्वर को स्वीकार करते है उनमें भी ईश्वर को लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं। यदि केवल हिंदू मत को ही लिया जाए तो उसमें भी ईश्वर को मानने की एक नहीं बल्कि अलग-अलग धारणाएं हैं। लेकिन यदि हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ वेद को पढ़ा तथा समझा जाए तो ईश्वर एक है। जो कि सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अजर, अमर, अभय तथा सच्चिदानंद स्वरूप नित्य अनादि है। यदि बुद्धि पूर्वक विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि इस सृष्टि का निर्माण अपने आप नहीं हो सकता है। प्रत्येक पदार्थ, वस्तु जो भी क्रियाकलाप इस सृष्टि में हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर है। अकारण कुछ भी नहीं होता है। शरीर में जो श्वांस भी चल रहा है यह भी अपने आप नहीं चल रहा है इसके चलने की प्रक्रिया और यह क्यों चल रहा है? इन सभी के पीछे सृष्टि का विज्ञान और उस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। वेदों में त्रैतवाद का सिद्धांत है जो परमात्मा, आत्मा व प्रकृति की अपनी अपनी सत्ता को स्वीकार करता है। परमात्मा, आत्मा तथा मूल प्रकृति अनादि है। परमात्मा ने प्रकृति को लेकर इस जगत को आत्मा के आनंद कल्याण के लिए रचा है। इसलिए ईश्वर का सदैव स्मरण करना तथा उसके सर्वश्रेष्ठ नाम ॐ का जप अर्थ सहित करना चाहिए। बिना अर्थ के जप करना तोता रट हो जाता है जिसका कुछ लाभ नहीं होता है। ईश्वर का मुख्य नाम ॐ है जो कि तीन अक्षर अ, उ, म से मिलकर बना है। 'अ' का अर्थ धन संपदा (अनुपम= ईश्वर) 'उ' का अर्थ आत्म संपदा (उन्नतिशील= जीवात्मा) 'म' का अर्थ माया संपदा (माया= प्रकृति) है। इस्लाम तथा ईसाई मत में भी ॐ का ही उच्चारण अंत में आमीन कहकर किया जाता है। अंग्रेजी में ईश्वर को जीओडी (गॉड) कहा जाता है। जिसमें 'जी' का अर्थ है जेनेरटर (उत्पादक), 'ओ' से ऑपरेटर (गति देने वाला) तथा 'डी' से डिस्ट्रॉइअर (संहारकर्ता) है।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः
प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमांगतिम् ॥ गीता

ॐ ब्रह्माण्ड की गति का साधक है। ओंकार ध्वनि पर ध्यान लगाता हुआ जो कोई भी इस शरीर को त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिन से सिद्ध होता है कि जीवन के आदि और अंत में ॐ के ध्यान का विधान है। योगिराज श्री कृष्ण ने भी ॐ को सर्वश्रेष्ठ कहा है। भागवत के अंतिम अध्याय में ॐ को ही परम मंत्र माना है तथा योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतञ्जलि भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अर्थ सहित ॐ का सिमरन करो। ॐ स्वाभाविक ध्वनि है। जब शिशु जन्म लेता है तब उसकी रोने की ध्वनि ॐ जैसी प्रतीत होती है। जब व्यक्ति भोजन करके तृप्त होता है तब डकार के समय भी ॐ ध्वनि ही प्रतीत होती है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय में भी ॐ ध्वनि गुंजायमान थी। ॐ ही ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है।
न त्वावाँ२ ऽ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते ।
अश्वायन्तो मधवन्निन्द्र वाजिनो गत्यन्तस्त्वा हवामहे ॥

ना कोई परमेश्वर के समान शुद्ध हुआ है, ना होगा और ना है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी की भी उपासना कभी भी नहीं करनी चाहिए। यही कर्म इस लोक और परलोक में आनंददायक जाने।

न तस्य प्रतिमाऽ अस्ति यस्य नाम महद्यशः

उस परमेश्वर की प्रतिमा, उसके समान साधन मूर्ति तथा आकृति नहीं है। ईश्वर देहधारी नहीं होता है। जिसकी सीमा नहीं है, जिसकी

आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है, इससे भिन्न उपासना करोगे तो इस महान पाप से युक्त होकर लोग दुख कलेश में नष्ट होते रहेंगे।

ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥

ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन छह का नाम भग है। जिन महापुरुषों में यह 6 गुण हैं वह भगवान कहलाने योग्य हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ईश्वर हो गया है। केवल भगवान कहलाने योग्य हैं। देहधारी कभी ईश्वर नहीं बन सकता है और ना ही ईश्वर की बराबरी कर सकता है। अपने कर्मों से वह महात्मा बन सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के कुछ गुणों को धारण कर सकता है, वह भगवान बन सकता है लेकिन ईश्वर नहीं बन सकता है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं।

बहुनिये व्यतीतानि जन्मानि अर्जुन।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपं॥

अर्जुन तेरे मेरे और तुम्हारे बहुत बीत चुके हैं मैं उनको योग बल से जानता हूं परंतु तुम नहीं जानते ।

अज गतिक्षेपणयोः , जनी प्रादुभार्वे।

आज गति से पढ़ो जो सब प्रकृति के अवयव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि के पंच भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिला था शरीरों के साथ जीवो का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इसलिए उस परमेश्वर का नाम "अज" है।

सर्वाः शक्त्यों विधनते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीश्वरः।

ईश्वर जो अपने कार्य में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने सामर्थ्य से सब कार्य पूरे करता है इसलिए उस परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। जो भी कार्य हमें इस ब्रह्मांड में होता दिख रहा है वह ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है। हम मनुष्य की बुद्धि सीमित है इसी कारण सोच भी सीमित है। बहुत दूर तक देखने तथा सोचने के लिए हमें यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है लेकिन यंत्रों की सीमा है। केवल सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों तक ही हम पहुंच पाते हैं, यदि और प्रयास करें तो लाखों-करोड़ों मील तक चले जाते हैं लेकिन परमात्मा अनंत है ना ही उसका कोई आरंभ है नाही अंत है। उसको तो केवल योग के आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही पाया जा सकता है। उसकी शक्ति अनंत है।

यदस्तित्रिषु कालेषु न बाध्यते तत सद्ब्रह्म ॥

जो सदा वर्तमान स्वतंत्र है। जो भूत भविष्य वर्तमान काल में बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए उसे सत कहते हैं। जो चेतन स्वरूप सब जीवो को चिताने और सत्य असत्य का जानने हारा है। इस कारण परमेश्वर को चित्त नाम दिया है।

आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः
सर्वान् जीवानानन्दयति स आनन्दः ।

जो आनंद स्वरूप है। जिससे सब युक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्माओं को आनंद युक्त करता है। इसलिए उसे आनंद कहते हैं।

सत्त चित तथा आनंद इन तीनों विशेषणों के होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद कहते हैं।

निर्गत आकारात्स निराकारः।

जिसका आकार कोई भी नहीं और ना कभी शरीर धारण करता है। इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। यदि ईश्वर जन्म लेकर शरीर के बंधन में आ जाएगा तब कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को गति दे सकेगा? इसलिए यह कहना कि वह सर्वशक्तिमान है तो वह यह कर भी सकता है तब यह बात बालकपन की लगती है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे करने के लिए ईश्वर को शरीर के बंधन में बंधना ही पड़े। यदि किसी अधर्मी राक्षस को दंड देना है तब ईश्वर किसी भी रूप में उसे दंडित कर सकता है और चाहे तो गर्भ में ही मार सकता है। इसलिए ईश्वर को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह न्यायकारी है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वह जीवो के कर्मों का ही फल देता है ना ज्यादा ना कम देता है। हम मनुष्यों की अल्प बुद्धि उसे देखना चाहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ दृश्य मान होना चाहिए लेकिन वह अदृश्य है। उसे भौतिक आंखों से नहीं केवल आत्मा के स्तर पर अनुभव किया जा सकता है। इसलिए सभी बुद्धि मानव को उस परमेश्वर का ध्यान ओम ध्वनि के साथ हृदय कोश में लगाकर उसे पाना चाहिए तभी उस निराकार ईश्वर के दर्शन संभव है। यही ईश्वर का स्वरूप है। ■

चितरंजन दास

जन्म : 5 नवंबर 1870
निधन : 16 जून 1925

शख्सियत

सी आर दास यानी चितरंजन दास एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील, कवि और पत्रकार थे। उन्होंने बंगाल में स्वराज पार्टी की स्थापना की। वे लोगों के बीच 'देशबंधु' या 'राष्ट्र मित्र' के रूप में लोकप्रिय थे। उनका जन्म कोलकाता में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता भुबनमोहन दास कलकत्ता उच्च न्यायालय के जाने-माने वकीलों में से एक थे।

वकालता से मिली प्रसिद्धि

वकालत दास ने 1890 में कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उसी साल वे आइसीएस में उत्तीर्ण होने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वे फेल हो गए और उन्होंने कानूनी पेशे का चुनाव किया। दास ने लंदन में 'द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल' में कानून की पढ़ाई की। दो साल बाद वे भारत आ गए और कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। यहां उन भारतीयों का मुकदमा लड़ने लगे जिन पर राजनीतिक अपराधों का आरोप था। इसे उन्हें पहचान मिलने लगी। 1908 में चितरंजन दास को व्यापक प्रसिद्धि मिली, यह प्रसिद्धि उन्हें अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का बचाव करने में सफलता मिलने की वजह से पाई।

राजनीतिक करिअर

दास का राजनीतिक करिअर केवल छह साल का था, लेकिन उस संक्षिप्त अवधि में भी वे अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। 1917 में वे राजनीति में आए। उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष का पद श्रीमती एनी बेसंट को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 'स्वदेशी' में विश्वास रखते थे इसलिए उन्होंने पश्चिमी देशों की प्रचारित विकास की धारणा को खारिज कर दिया था। 1920 में, दास ने अपने सभी सुखसाधनों का त्याग किया और 'खादी' का समर्थन किया। उसी साल उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस के कहने पर उन्होंने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी सपत्ति मेडिकल कॉलेज और महिला अस्पतालों को दान कर दिया। इनके इस महान त्याग को देखकर जनता इन्हें 'देशबंधु' कहने लगी। असहयोग आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे उनके लिए इन्होंने ढाका में 'राष्ट्रीय विद्यालय' की स्थापना की।

स्वराज पार्टी की स्थापना

1921 में आंदोलन में भाग लेने के लिए दास को उनकी पत्नी और बेटे के साथ छह महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उसी साल उन्हें अहमदाबाद कांग्रेस के लिए चुना गया था। दिसंबर 1922, दास को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मोतीलाल नेहरू के साथ, दास ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना की।

कवि और पत्रकार

चितरंजनदास के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ तथा नेता तो थे ही, वे बंगला भाषा के अच्छे कवि तथा पत्रकार भी थे। इनके समय के बंग साहित्य के आंदोलनों में इनका प्रमुख हाथ रहा। 'सागरसंगीत', 'अंतयार्मी', 'किशोर किशोरी' इनके काव्यग्रंथ हैं। 'सांगरसंगीत' का इन्होंने तथा श्री अरविंद घोष ने मिलकर अंग्रेजी में 'सांग्ज आव दि सी' नाम से अनुवाद किया और उसे प्रकाशित किया। 'नारायण' नामक वैष्णव-साहित्य-प्रधान मासिक पत्रिका इन्होंने काफी समय तक चलाई। 1906 में प्रारम्भ हुए 'वंदे मातरम्' नामक अंग्रेजी पत्र के संस्थापक मंडल तथा संपादकमंडल दोनों के ये प्रमुख सदस्य थे । इतना ही नहीं इन्होंने बंगाल स्वराज्य दल के मुखपत्र 'फार्वर्ड' की पूरी जिम्मेदारी उठाई।

निधन : दास ने 'इंडिया फार इन्डियन' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना भी की थी। चितरंजन दास का राजनैतिक जीवन चरम था लेकिन काम के बोझ को उनका शरीर झेल न सका और उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। 1925 में वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दार्जिलिंग चले गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया और उनका निधन हो गया। ■

मौसमी देसी जायका

भोजन में हमेशा मौसमी साग-सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां तक हो सके, मौसमी अन्न का भी उपयोग करें। आयुर्वेद के अनुसार वही भोज्य हमारे शरीर के अनुकूल होता है, जो जहां हम रहते हैं वह वहीं उगाया गया हो और उसी मौसम में खाया जाए, जिस मौसम में उसे उगाया गया है। अक्तूबर के बाद का मौसम मैदानी भागों में भरपूर साग-सब्जियों का होता है। मगर हमें शहरी और विदेशी मिजाज के भोजन की इस कदर आदत पड़ चुकी है कि इस बात को भूल चुके हैं। इस बार देसी तरीके से बनने वाली कुछ साग-सब्जियों के बारे में बात करते हैं।

दाना-पानी

मानस मनोहर

मूली की तरकारी

मूली को बहुत सारे लोग आमतौर पर सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसके पत्तों का साग बनाते हैं। कुछ लोग इसके परांठे खाना पसंद करते हैं, तो कुछ दही के साथ मिला कर इसकी चटनी भी बनाते हैं। कुछ लोग राई के साथ इसका अचार भी बनाते हैं। मगर ऐसे भी अनेक लोग हैं, जिन्हें मूली खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वे मानते हैं कि मूली से बदबू आती है। जबकि आयुर्वेद में मूली के अनेक गुण बताए गए हैं। अगर किसी को पीलिया यानी जॉइंडिश हो गया है, तो उसे मूली का रस पीने को कहा जाता है या अपने भोजन में अधिक से अधिक मूली का उपयोग करने को कहा जाता है। इसका रस पीलिया के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। जिन्हें पाचन संबंधी समस्या रहती है, अगर वे मूली की तरकारी खाएं, तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है। मूली में फाइवर यानी रेशे बहुत होते हैं, जो पेट को साफ रखने में मदद करते हैं। इसलिए मूली की देसी तरीके से तरकारी बनाएं और इस मौसम में उसका लुत्फ उठाएं। कभी-कभी देसी भोजन भी करना चाहिए।

मूली की तरकारी बनाना बहुत आसान है। इसमें न तो बहुत सारे मसालों की जरूरत पड़ती है, न बहुत तैयारी करनी पड़ती है। फटाफट काटा और झटपट बना लिया। जिन लोगों को तेल और मसालों से परहेज है, उनके लिए यह उत्तम तरकारी है।

तरकारी बनाने के लिए मूली का छिलका उतार लीजिए। उसे साफ कर मनचाहे आकार में काट लें- गोल, लंबा जैसा चाहें। पत्तों को अलग कर लीजिए। उसका साग बना सकते हैं। अगर चाहें, तो कुछ पत्ते भी उसमें काट कर डाल सकते हैं। यों पत्तों का अलग से साग बना कर खाएं, नहीं तो सब्जी में अतिरिक्त चरपरापन आने की संभावना रहती है और जो लोग यह तरकारी नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं आएगी।

अब एक कुकर में एक चम्मच सरसों तेल गरम करें। उसमें आधा चम्मच राई और इतना ही जीरे और अजवाइन का तड़का दें। अगर पसंद हो तो एक-दो साबुत लाल मिर्च भी तड़के में डाल सकते हैं। फिर उसमें कटी हुई मूली छौंक दें। इसमें जरूरत भर का नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर और एक चम्मच सब्जी मसाला डालें और इन सबको चला कर ठीक से मिला लें। अगर इसे रसेदार बनाना चाहते हैं, तो आधा कटोरी पानी डालें। वैसे मूली गरम होने के बाद पानी छोड़ती है और वह अपने ही पानी से पक जाएगी। इसलिए अगर इसे ज्यादा रस वाली खाना नहीं पसंद करते तो पानी न डालें। अब कुकर का ढक्कन लगा दें। मध्यम आंच पर एक से दो सीटी के बाद बंद कर दें। जब सारी भाप निकल जाए, तो कुकर को खोल कर सब्जी निकालें और रोटी या परांठे के साथ गरमा-गरम खाएं।

गांठ गोभी की सब्जी

मूली की तरह गांठ गोभी भी रेशेदार सब्जी होती है। इसकी गांठ और पत्ते दोनों की सब्जी बनती है। मूली की तरह इसमें चरपरापन नहीं होता। थोड़ी मिठास होती है। चाहें तो इसमें हरी मटर, गाजर वगैरह डाल कर भी सब्जी बनाई जा सकती है। इसकी रसेदार और सूखी दोनों तरह से सब्जी बनती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभकारी होती है। चूंकि इसकी गांठ और पत्तों में रेशे भरपूर होते हैं, इसलिए यह पेट के लिए बहुत गुणकारी सब्जी है। जिन्हें पाचन संबंधी समस्या रहती हो, उन्हें हफ्ते में कम से कम एक बार यह सब्जी अवश्य खानी चाहिए। कोई समस्या न हो, तो भी खाएं।

सब्जी बनाने के लिए पहले गांठ गोभी के पत्तों को अलग कर लें। इनमें जो पत्ते अधिक कड़े हों या पीले पड़ रहे हों उन्हें फेंक दें। नरम पत्तों को ले लें। फिर गोभी की गांठ का छिलका उतार लें। छिलका उतारते समय ध्यान रखें कि भीतर का कोमल हिस्सा ही रहे, क्योंकि इसके छिलके में कठोर रेशे होते हैं, जो खाते समय दांतों में फंसते हैं और इससे सब्जी को पकने में भी देर लगती है। छिलका उतारने के बाद गांठ को मनचाहे आकार में काट लें। इसी के साथ पत्तों को भी अच्छी तरह धोकर काट लें। अगर इसके साथ गाजर और मटर मिलाना चाहें, तो मिला सकते हैं, नहीं तो यह सब्जी अपने आप में पर्याप्त है।

अब कड़ाही में एक चम्मच सरसों का तेल गरम करें। उसमें राई, जीरा, अजवाइन और साबुत लाल मिर्च का तड़का दें। उसमें सब्जी को छौंक दें। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, जरूरत भर का नमक और आधा चम्मच सब्जी मसाला या सिर्फ धनिया और जीरा पाउडर डालें और आधा कटोरी पानी डाल कर कड़ाही पर ढक्कन लगा दें। मध्यम आंच पर पकने दें।

जब गांठ गोभी के टुकड़े पक कर नरम हो जाएं, तो आंच बंद कर दें। सब्जी तैयार है। इसके ऊपर कुछ काली मिर्च के दाने कूट कर डालें और मिला लें।

गांठ गोभी की सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। जब भी सूखी सब्जी बनानी हो, तो पानी का उपयोग न करें। आंच मद्धिम रख कर पकाएं, ताकि सब्जी जलने न पाए। बीच-बीच में चलाते रहें। गांठ गोभी के टुकड़े पक कर नरम हो जाएं, तो आंच बंद कर दें। इसे चावल, रोटी, परांठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। ■

थाइराइड की समस्या

सेहत

थाइराइड एक ग्रंथि है लेकिन बीते बीस साल में इसे एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। चाहे आपका वजन अचानक बढ़ने लगा हो या फिर आपके बाल झड़ने या गिरने लगे हैं या फिर आपको हर समय थकान रहती है, इन सबकी जड़ में थाइराइड और थाइराइड असंतुलन है।

एक अध्ययन के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड विकार दस गुना ज्यादा होता है। यही कारण है कि आज ज्यादातर महिलाएं मोटापे की शिकार हैं तो कई महावारी की अनियमितता से। वहीं कुछ महिलाएं थाइराइड असंतुलन की वजह से चेहरे पर निकल आए बालों से परेशान रहती हैं तो कई महिलाएं गर्भवती ही नहीं हो पाती। डॉक्टरों की मानें तो थाइराइड असंतुलन के प्रमुख कारणों में दिनोंदिन बढ़ता तनाव और हमारी खराब दिनचर्या है।

क्या है थायराइड

थायराइड एक अंतः स्रावी ग्रंथि (एंडोक्राइन ग्लैंड) है, जो गले में होता है। इसका आकारा तितली यानी बटरफ्लाई के आकार का होता है। इसमें से थायराइड हार्मोन निकलता है जो शरीर में चयापचय को संतुलित करता है। थायराइड ग्रांथि शरीर से आयोडीन की मदद से हार्मोन बनाता है और जब थायराइड हार्मोन का स्राव असंतुलित हो जाता है तो शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती है।

थाइराइड के प्रकार

थाइराइड रोग के पांच प्रकार हैं जिनमें हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म प्रमुख हैं। किसी व्यक्ति को एक समय में एक या एक से अधिक तरह की थाइराइड समस्या हो सकती है। सभी प्रकारों के लक्षण और समस्याएं अलग-अलग होती है।

हाइपोथायरायडिज्म : इसमें जरूरत से कम थायराइड हार्मोन का स्राव होता है।

हाइपरथायरायडिज्म : जरूरत से कहीं अधिक थायराइड हार्मोन के स्राव से समस्याएं होती हैं।

संरचनात्मक असामान्यताएं : थायरॉयड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से घेंघा होता है।

ट्यूमर : इसमें मामूली ट्यूमर या कैंसर भी हो सकता है।

थाइराइड : असामान्य कार्य करना

हाइपो-थायराइड

इसमें थायराइड ग्रंथि सक्रिय नहीं होता, जिससे शरीर में जरूरत के मुताबिक टी3, टी4 हार्मोन नहीं पहुंच पाता। इससे पीड़ित व्यक्ति का वजन अचानक बढ़ जाता है। कम खाना जैसे तमाम उपाय भी उसके वजन को कम नहीं कर पाते। इससे पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में आयोडिन नमक, सी फूड, फिश, चिकेन, अंडा, दूध और इसे बनी चीजें खानी चाहिए।

लक्षण

- चेहरे एवं आंखों पर सूजन
- मांसपेशियों में ऐंठन
- हृदय गति का धीमा होना
- यादाश्त कम होना
- अनियमित महावारी
- सुस्ती
- थकान
- कब्ज
- उदासी
- वजन बढ़ना

हाइपर-थायरायड

इसमें जरूरत से अधिक थायराइड हार्मोन का स्राव होता है जो खून में घुलने लगता है। ऐसा होने पर पीड़ित व्यक्ति का वजन अचानक कम होने लगता है। यह बेहद खतरनाक स्थिति होती है। इसमें मरीज चाहे जितना भी खा ले उसका वजन लगातार घटता ही रहता है। आहार में हरी सब्जियां, साबूत अनाज, ब्राउन ब्रेड, ओलिव ऑयल, लेमन, हर्बल और ग्रीन टी, अखरोट, जामुन, स्ट्रॉबेरी, गाजर, हरी मिर्च, शहद को शामिल करना चाहिए।

लक्षण

- मांशपेशियों में कमजोरी
- अच्छी नींद का अभाव
- गर्म तापमान के प्रति संवेदनशीलता
- दस्त
- महावारी में अनियमितता
- भूख का बढ़ जाना
- हृदय गति तेज होना
- अधिक पसीना आना
- चिड़चिड़ापन
- गर्भपात

सावधानियां

वजन के तेजी से बढ़ने या घटने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। सुबह उठकर सैर पर जाएं या फिर योग या कसरत करें। समय पर खाएं, सोएं और डॉक्टर के परामर्श अनुसार दवाइयां लेते रहें। ■

पारंपरिक परिधानों में इतरा कर चलें

आज फैशन के नाम पर हम कुछ भी पहन लेते हैं। नई पीढ़ी में तो नए चलन की नकल करने की होड़-सी लगी है। ऐसे में हम न सिर्फ अपने परिधानों से बल्कि अपने संस्कारों से भी दूर होते जा रहे हैं। कारण कि परिधान भी भारतीय संस्कारों का अभिन्न अंग हैं। भारतीय परिधानों को आज के फैशन के अनुसार ढाल कर कैसे नया फैशन बनाया जा सकता है इस टिप्स की जानकारी दे रही हैं दीप्ति अंगरीश।

हम भारतीय हैं और हमें अपनी परंपराओं पर गुमान है। परंपरा में हम रचे-बसे हैं। केवल इतना कहने भर से काम नहीं चलेगा। भारत की धरोहर, संस्कृति, कला, भाषा आदि को संजोना, सहेजना, प्रसारित और प्रचारित करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी अमीर विरासत से लबरेज हो। साथ ही स्वयं को भी आत्मसात करना होगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मिट्टी की महक को भूल अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि के रंग में रंग जाएं। भले यह सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन वर्षों बाद हमें महसूस होगा कि हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें अपनी परंपराओं और अच्छे रीति-रिवाजों को आत्मसात करना होगा। संजोना होगा।

इसका यह मतलब भी नहीं कि हम विदेश से मुंह मोड़ लें और सिर्फ भारत की डुगडुगी बजाएं। बस, जरूरत है बेहतर तालमेल की। यानी विदेश की सकरात्मकता को अपनाते हुए संस्कृति से लेकर पहनावे में जड़ें मजबूत रखें। इस क्रम में चर्चा करते हैं भारतीय पारंपरिक कलाकारी की, जो हर प्रांत की विशिष्टता है। यदि हम साड़ी की बात करें, तो साड़ी भारतीय मूल का एक ऐसा परिधान है जो सबकी पहली पसंद है। वहीं फिल्मी समारोहों में अभिनेत्रियों साड़ी में ही नजर आती हैं। आप अपनी मां, नानी, दादी की पुरानी साडियों को आज के फैशन के अनुसार ढाल कर नया फैशन अपना सकती हैं।

बता दें कि भारत विविध कलाओं, हथकरघों व बुनकरों का घर है। हर कला की कहानी और इतिहास है, पर आधुनिकता और तकनीक इसे लील रही है। यही वजह है कि बहुतेरे समाज पर स्वस्थ पैनी नजर रखने वाले भारतीयों से अपील करते हैं कि नकली डिजाइन नहीं पहनें। यदि पारंपरिक पहनना है तो असली दिखने वाला नकली नहीं खालिस असली पहनें। कई बार पूरी दुनिया ने भारत के चर्चित चेहरों को कांस जैसे फिल्म समारोह में साड़ी में देखा और वाह कर उठे। यही तो है परंपरा और आधुनिकता का तड़का है।

यह भले देखने में पारंपरिक कलाकारी का हूबहू नमूना हो पर यह कई बुनकरों भूख, लाचारी का कारण होता है। रूबरू होते हैं भारत के सबसे खूबसूरत पारंपरिक हथकरघा से, जिन्हें देश-विदेश में सराहा जाता है।

कांजीवरम

दक्षिण भारत में हर महिला की आलमारी में कांजीवरम साड़िया विशिष्ट स्थान रखती हैं। तमिलनाडु राज्य में छोटा-सा गांव है कांचीपुरम। यह कांजीवरम साड़ियों का प्रादुर्भाव स्थान है। टिकाऊ व मजबूत होने के कारण कांजीवरम सिल्क को दुनिया का बेहतरीन सिल्क माना जाता है। जितना इसमें जरी का प्रयोग होता है उतनी ही इसकी कीमत बढ़ती जाती है। कांजीवरम की बेहतरीन लुक्स के कारण दक्षिण भारतीय महिलाएं ही नहीं समस्त भारतीय महिलाएं शादी, पूजा, तीज-त्योहार जैसे विशेष मौके पर इसे पहनना पसंद करती है।

स्टाइलिंग टिप्स : नजाकत और नफासत दिखाने के लिए कांजीवरम साड़ी के साथ पुराने डिजाइन वाले सोने के गहने पहनें और बालों में चमेली के फूलों का गजरा लगाएं।

कलमकारी

कलमकारी का प्रादुर्भवाव आंध्र प्रदेश में हुआ है। यह एक कला है जिसे पेन की मदद से सूती कपड़े पर उकारा जाता है। सबसे खास है इसमें प्रयुक्त रंग। बता दें कि कला में रंगों को उकेरने के लिए प्राकृतिक रंग या फल-सब्जी के रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल के कारण कलमकारी कला देश-विदेश में लोकप्रिय है। आजकल कई फैशन डिजाइनर की पहली पसंद है कलमकारी। कलमकारी कला आपको साड़ी, सूट के अलावा स्कार्फ, जैकेट, प्लाजो से लेकर रनिंग फैब्रिक में मिलती है।

स्टाइलिंग टिप्स : रंग-बिरंगी कलमकारी कला से बने कपड़ों के साथ धागे की कढ़ाई या ट्राइबल डिजाइन वाली एक्ससेरीज पहनें।

चिकनकारी

नवाबों का शहर लखनऊ सिर्फ कबाब के लिए ही नहीं बल्कि चिकनकारी के लिए भी मशहूर है। चिकन या चिकीन पुर्तगाली शब्द है। कुछ समय पहले तक चिकानकारी सफेद धागे से मलमल सूती या मोटी सूती कपड़े पर की जाती थी। समय के साथ चिकनकारी में फैशन के रंग घुले हैं। सफेद के अलाव रंग-बिरंगे रंगों के धागों के साथ कढ़ाई की जाती है।

स्टाइलिंग टिप्स : गर्मियों में सूती कपड़ों में हल्के रंगों से की गई कढ़ाई ठंडक का अहसास दिलाती है। कार्यालय, कॉलेज, लंच डेट या दोस्तों के साथ मिलने पर चिकनकारी वाला आउटफिट उम्दा दिखता है।

बंगाल टसर

बंगाल के टसर सिल्क को कोसा सिल्क भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले में इसका प्रादुर्भाव व व्यापार होता है। महिलाएं टसर साड़ी को पहनना बहुत पसंद करती हैं। पारंपरिक रूप में टसर सिल्क बेज, कॉपर और हनी ब्राउन रंग में आता है। टसर सिल्क साड़ियों के अलावा रनिंग फैब्रिक से आप मनचाहे कुर्ती, कुर्ते, सलवार, जैकेट आदि कस्टमाइज करवा सकते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स : खास मौकों के लिए लाइटवेट व नाजुक टसर सिल्क साड़ी से लेकर कोई भी आउटफिट की मध्यम चमक आपको दमकाएगी।

इकट

रोजमर्रा में आप क्लासी दिखना चाहती हैं, जिसमें लुक्स भी हों और आराम भी, तो जान लें कि इकट से बेहतर कुछ नहीं है। उड़ीसा के इकट में धागों को बांधकर डाई में डुबाकर फिर कपड़े को बुना जाता है। इकट बेहद लोकप्रिय है। रैम्प पर मॉडल्स भी इसे पहन कर इतराती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स : पारंपरिक इकट वाली साड़ियों, प्लाजो, दुपट्टा, शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, ब्लाउज आदि का आलमारी में जरूर जगह दें।

बांधनी

हथकरघा की सबसे सुंदर कला है गुजरात की बांधनी। बांधनी आर्ट कपड़े पर टाई एंड डाई की बेहतरीन कला है जिसमें डिजाइन को पूरे कपड़े पर मटर के दाने के बराबर कपड़े को धागों से बांधा जाता है और एक रंग या दो रंग या अधिक रंगों में रंगा जाता है। बांधनी कला गुजरात के अलावा राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। तमिलनाडू में भी बांधनी की जाती है। वहां इसे सुनगुडी कहा जाता है। यह कला साड़ी, सूट, कुर्ती और दुपट्टे में लोकप्रिय है।

स्टाइलिंग टिप्स : डेली वियर में बांधनी आर्ट के कपड़े पहने जा सकते हैं। सफेद सूट के साथ लाल व नीला बांधनी दुपट्टा ऐलीगेंट लुक देता है।

मांगलगिरी फैब्रिक

मांगलगिरी फैब्रिक आंध प्रदेश का है। यह फैब्रिक हाथों से बना होता है। बुनकर इस फैब्रिक को बनते हैं और फिर डाई करते हैं। डाई करने से पहले अनेकों बार फैब्रिक को शुद्ध किया जाता है। इस कारण इसे मनचाहे रंग में रंगना आसान होता है। यहां तक कि इसे कॉटन की सबसे बेहतरीन किस्म माना जाता है।

स्टाइलिंग टिप्स : मांगलगिरी फैब्रिक में गहरे रंग और मोटे टिफ वाले छापे के डिजाइन से बनी साड़ियां को आलमारी में रखें। यह आरामदायक होने के साथ ऐलीगेंट लुक देता है।

पटन पटोला

गुजरात की मशहूर हैं पटन पटोला साड़ियां। गुजरात के पटन जिले में कारीगर सदियों से पटोला साड़ियां बुन रहे हैं। बता दें कि पटोला इकट से काफी मिलता-जुलता है। इसमें डबल इकट पैटर्न को विविध डिजाइन में बुना जाता है। एक पटोला साड़ी को बुनने में पांच महीने लगते है।

स्टाइलिंग टिप्स : खास मौकों पर सोने के गहनों, फ्रेंच जूड़ा के साथ पटोला साड़ी पहनें।

बनारसी

भारत की सबसे अनमोल टेक्सटाइल आर्ट है ब्रोकेड। ब्रोकेड यानी बनारसी फैब्रिक पहनकर लगता है मानो कोई कलात्मक चीज पहनी हो। इसमें सोने, चांदी के धागों या रेशमी धागों से कपड़े को बुना जाता है।

स्टाइलिंग टिप्स : लाइमलाइट में रहना है तो ब्रोकेड के बने कपड़े या साड़ी पहनें। आपकी चमचमाती ब्यूटी लशकारे मारेगी। ❑

नन्ही दुनिया

ऐसे हुई बिजली की बचत

कहानी

संतोष उत्सुक

शेखू के स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। उसका सहपाठी शिखर उससे बार-बार कहता रहता था कि वह उसके घर जरूर आए। शिखर का घर शेखू के घर से आधा घंटे की दूरी पर नहर के उस पार था। वहां सुबह जाकर शाम को वापस आया जा सकता था। शेखू ने अपने पापा से, अपनी छोटी बहन अन्नू के साथ शिखर के घर जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा रविवार को जा आना। रविवार को उन्होंने अपनी-अपनी साइकिलें निकाली, कपड़े से साफ की और शिखर के घर के लिए निकल पड़े। उन्होंने नाश्ता शिखर के यहां ही करना था। शेखू की मम्मी ने पिछली शाम बेसन के लड्डू बनाए थे जो शिखर को बहुत पसंद थे । शिखर भी पहले से ही तैयार था, उसने अपनी मम्मी से आलू प्याज के परांठे बनाने के लिए तैयारी रखने को कहा था। नहर के किनारे साइकिल चलाकर शेखू और अन्नू को बहुत मजा आया । शिखर के घर पहुंचे तो वह बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था ।

आलू के गरमा गरम स्वादिष्ट परांठे खाकर जब वे तीनों कैरम खेलने दूसरे कमरे में जाने लगे, तो शिखर ने पंखे का स्विच बंद नहीं किया, शेखू ने उसे याद दिलाया, तो वह बोला छोड़ न यार मम्मी कर देगी। लेकिन आंटी तो किचन में हैं और व्यस्त हैं, शेखू बोला। अब शिखर ने स्विच बंद किया। काफी देर कैरम खेलने के बाद वे म्यूजिक सुनने लगे। किचन से शिखर की मम्मी की आवाज आई, खाने का समय हो गया, आओ बच्चों खाना लगा दिया है। कमरे से बाहर निकले तो इस बार फिर शिखर ने फिर स्विच बंद नहीं किया । शेखू हैरान, बोला तुमने फिर पंखे का स्विच ऑफ नहीं किया शिखर। वह लापरवाही से बोला, मैं तो रात को ट्यूब भी बंद नहीं करता। क्या तुम्हारे यहां बिजली मुफ्त में मिलती है, शेखू ने पूछा, पता है गांवों में लोगों को बिजली नहीं मिलती, मिलती है तो कुछ देर के लिए। आजकल गर्मी के मौसम में कितनी परेशानी होती है और कुछ लोग बिजली बर्बाद करते हैं। इस बीच शिखर की मम्मी उनके पास आकर बैठ गई । शिखर बोला, हमें क्या लेना किसी को मिले न मिले, मुझे तो पंखा और लाइट बंद न करने की आदत है। शेखू ने कहा गलत आदत है तुम्हारी, तुम्हें पता है बिजली बचाना ही बिजली बनाना है, हमें हर चीज का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए ताकि बचत हो। शिखर की मम्मी ने कहा, बिलकुल ठीक, पंखे या टयूब की जरूरत न हो तो बंद रखें, जिस जगह बैठते हैं वहीं की बिजली जलानी चाहिए।

मान लो हम रोज दस रुपए की बिजली बचाते हैं तो एक महीने में तीन सौ रुपए और साल में तीन हजार छह सौ रुपए की बचत हो सकती है । इस पैसे से हम दूसरा जरूरी सामान खरीद सकते हैं। अन्नू ने कहा, शिखर भैया हमारी बचाई बिजली दूसरों के काम आ सकती है। यदि आप हमेशा याद रखो कि स्विच आफ करना है तो आपको आदत पड़ जाएगी ।

अब शिखर के दिमाग में बात टिकने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि उसकी थोड़ी सी सजगता से उनकी बचत और दूसरों का फायदा हो सकता है। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह हमेशा ध्यान रखेगा। शाम को जब शेखू और अन्नू वापिस घर जा रहे थे तो शेखू ने कमरे से बाहर आते समय पंखे का स्विच बंद करने के लिए हाथ उठाया तो शिखर ने आगे बढ़ कर कहा, सौरी, स्विच मैं बंद करूंगा आज भी और हमेशा। उसकी मम्मी ने कहा, शाबास शिखर। शिखर ने कहा, शुक्रिया शेखू और अन्नू, तुम दोनों की वजह से आज मैंने बिजली की बचत करना सीख लिया। ❑

कविता

सूर्यकुमार पांडेय

गीदड़ की शामत

काम न धंधा कुछ जंगल में, रोटी कैसे खाए,
गीदड़ चला शहर को, शायद रोजगार पा जाए।

सोच रहा था खड़ा किनारे, घुसूं किस तरह अंदर,
तभी दिखाई दिया शहर से वापस आता बंदर।

गीदड़ बोला, "बंदर भाई! कितना माल कमाया,
मुझको भी कुछ काम मिलेगा, यही सोचकर आया।

बंदर बोला, "शहर न जाओ, वरना पछताओगे,
काम न ठेंगा वहां मिलेगा, भूखों मर जाओगे।

सुना नहीं क्या, बुरे हाल, चल रही उधर मंदी है।
और शहर की हर फैक्टरी में अब तालाबंदी है।

गीदड़ भाई! शामत जिसकी आई, गया शहर को,
मेरी मानो, लौट चलो तुम भी संग वापस घर को।"

शब्द-भेद

कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। इस तरह उन्हें लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आइए उनके अर्थ जानते हुए उनका अंतर समझते हैं।

अनिष्ट / अनिष्ठ

अनिष्ट का अर्थ हानि, बुरा, अशुभ या अमंगल होता है। जैसे सुबह से ही उसे कुछ अनिष्ट होने के आसार लग रहे थे। जबकि **अनिष्ठ** का अर्थ है जिसमें निष्ठा न हो। जैसे उस अनिष्ठ व्यक्ति की वजह से हमारी दुकान को बहुत नुकसान हुआ है।

तरणी / तरुणी

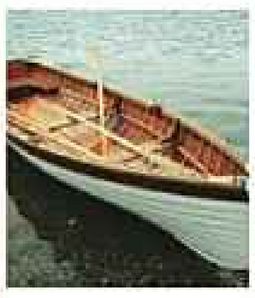

तरणी का अर्थ है नाव, नौका। वाक्य प्रयोग से इसे ऐसे समझें जैसे नदी में उतरते ही तरणी लहरों से बातें करने लगी। जबकि **तरुणी** का अर्थ युवती होता है। इसे ऐसे समझे जैसे समय बीतता गया और वह बालिका से तरुणी हो गई।